


BASTI MASTER PLAN 2031



1. विषय-सूची

1.परियोजना पृष्ठभूमि	11
1.1 दृष्टिकोण और पद्धति 	11
1.1.1 मौजूदा महायोजना का मूल्यांकन 	12
1.2 स्वरूप 	22
1.3 बस्ती का विकास 	23
1.4 स्थान 	23
1.5 क्षेत्रीय स्थान और कनेक्टिविटी 	23
1.6 विनियमित क्षेत्र की वृद्धि दिशा	25
1.7 संभावित विकास दिशा निम्नानुसार एक लंबी सड़क है.....	Error! Bookmark not defined.
1.8 भूगोल 	25
1.9 जलवायु.....	25
1.10 मेलों और महोत्सव 	26
2.महायोजना 2021 का मूल्यांकन.....	27
2-1 योजना क्षेत्र	27
2-2 पूर्व में नियोजन पहले	27
2-2-1 जनसंख्या.....	28
2.2.2 घरेलू आकार.....	28
2.2.3 घनत्व पैटर्न 	28
2.2.4 बस्ती विचलन.....	33
3.मौजूदा स्थिति.....	35
3.1 जनसांख्यिकी.....	35
3.1.1 पिछले दस वर्षों के लिए विकास के रुझान 	36
3.1.2 लिंग अनुपात 	36
3.1.3 साक्षरता दर 	37
3.1.4 प्रवास 	39
3.1.5 आवास 	51
3.1.6 आकार, स्थिति के आधार पर मौजूदा स्थिति का विश्लेषण 	52
3.1.6.2 परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाएं	52
3.2 यातायात और परिवहन.....	53
3.2.1 सड़क परिवहनरू.....	53
3.2.2 राज्य बस सेवा सुविधा	54

3.2.3 ट्रक सेवाएं।.....	55
3.2.6 कार्य यात्राएं।	55
3.2.7 सड़क की लंबाई और फुटपाथ	57
3.3 वाणिज्य और उद्योग	58
3.3.1 प्राथमिक क्षेत्र।.....	58
3.3.2 माध्यमिक।.....	61
3.3.3 तृतीयक।.....	64
3.4 सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक।.....	65
3.4.1 सामाजिक आधारभूत संरचना।	65
3.4.2 शैक्षणिक सुविधाएं।.....	65
3.4.3 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं.....	66
3.4.4 मनोरंन की सुविधाएं	67
3.5 सामाजिक—सांस्कृतिक सुविधाएं.....	68
3.5.1 आग.....	68
3.5.2 शहर में अपराध दर।.....	69
3.5.3 भौतिक आधारभूत संरचना	71
3.6 विद्युत.....	77
3.7 पर्यावरण प्रोफाइल।	77
3.8 जल निकाय.....	78
3.8.1 घाघरा, कुवानो और राप्ती नदी.....	78
3.8.2 प्रदूषण स्तर	78
3.8.3 ध्वनि प्रदूषण	78
3.8.4 जल प्रदूषण	79
3.9 बस्ती विकास प्राधिकरण की आय.....	83
4.(शक्ति कमी अवसर जोखिम) विश्लेषण	86
5. भविष्य दृष्टि और उद्देश्य।.....	87
5.1 भविष्य दृष्टि।	87
5.2 उद्देश्य।.....	87
6. प्रक्षेपण	88
6.1 जनसंख्या प्रक्षेपण	88
6.2 प्रस्तावित गांवों का परिचय।	88
6.3 भविष्य का घनत्व।.....	88
6.4 आवास मांग।	88
6.5 आवास प्रस्ताव	89

6.5.1 आवास / भवन के लिए अनुशंसा	89
6.6 प्रस्तावित महायोजना	91
6.6.1 आवासीय.....	91
6.6.2 वाणिज्यिक.....	91
6.6.3 औद्योगिक.....	92
6.6.4 मिश्रित उपयोग.....	92
6.6.5 खुले स्थान और हरित क्षेत्र.....	92
6.6.6 सार्वजनिक सुविधाएं और सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक:	92
6.6.7 यातायात और परिवहन.....	93
6.6.8 प्रस्ताव यातायात और परिवहन:	94
6.6.9 रिंग रोड से परे क्षेत्र के लिए पार्किंग मूल्य निर्धारण 	96
6.6.10 विशिष्ट उपयोग.....	96
6.6.11 नगर क्षेत्र 	98
6.6.12 ग्रामीण क्षेत्र 	99
6.7 नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (M), 2016के अनुसार:	100
6.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिएमानदंड 	101
6.7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति 	102
6.8 बिजली के लिए मानदंड 	103
6.9 आवास और मलिन बर्ती विकास 	103
6.9.1 अवैध कालोनियों का नियमितीकरण 	104
6.9.2 उसी स्थान पर (इन–सीटू पुनर्विकास ढांचे)	105
6.10 वैडिंग जोन–अनौपचारिक क्षेत्र 	106
7. महायोजना 2031 के लिए नीतियां.....	111
7.1 नदी केंद्रित विकास	111
7.1.1 किस प्रकार के विकास को नियमित किया जा सकता है	113
7.1.2 परिस्थितियाँ जिनमें अनाधिकृत विकास को नियमित किया जा सकता है।	114
7.1.3 नियमित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	114
7.1.4 कैसे नियमित किया जाए	114
7.1.5 नियमितीकरण के परिणाम	114
7.1.6 नियमितीकरण निधि का उपयोग	114
7.1.7 विकास अधिकार का हस्तांतरण	115
7.1.8 प्रारंभिक चरण.....	117
7.1.9 पार्किंग नीति 	118

7.1.10 मुद्दे.....	118
7.1.11 विश्व स्तर पर प्रयास और इसका प्रभाव.....	118
7.1.12 अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण 	121
7.1.13 किस प्रकार के विकास को नियमित किया जा सकता है	121
7.1.14 वे परिस्थितियाँ जिनमें अनधिकृत विकास को नियमित किया जा सकता है।.....	122
7.1.15 नियमित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	122
7.1.16 नियमित कैसे किया जाए?	123
7.1.17 नियमितीकरण के परिणाम?	123
7.1.18 नियमितीकरण निधि का उपयोग 	123
7.1.19 विनियमों में संशोधन.....	123
7.1.20 जोनल योजना तैयार करना 	125
7.1.21 टीपी योजनाओं की तैयारी	125
7.1.22 प्रतिबंधित आवास.....	126
7.1.23 पीपीपी मोड पर परियोजनाओं का विकास 	126
7.1.24 संचालन की आउटसोर्सिंग	126
7.1.25 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर परियोजनाओं का विकास	127
7.1.26 सरकारी अनुदान पर परियोजनाएं	127
8. प्रशासनिक रूपरेखा.....	128
8.1 कानूनी ढांचा	128
8.1.1 पिछली महायोजना 2021के उद्देश्य:	128
8.1.2 महायोजना और इसकी सामग्री तैयार करने के लिए कानूनी प्रावधान	128
8.2 महायोजना का पुनरीक्षण:.....	129
8.2.1 नई महायोजना 2031के उद्देश्य	129
9.हितधारकों से विचार–विमर्श.....	131
10.बस्ती महायोजना 2031 के लिए प्राप्त हुए सुझाव	132
11.अनुलग्नक	133
11.1 अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव.....	133
11.2 अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची	134
11.3 अनुलग्न कसी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची.....	135
बस्ती जोनिंग विनियम.....	153
13.1 परिचय	153
13.1.1 जोनिंग के उद्देश्य	153
मॉडल जोनिंग विनियमन की मुख्य विशेषताएं	153
विभिन्न गतिविधि / अनुमति श्रेणियों का उपयोग करती है	153

चल/ प्रवाह उपयोग	154
प्रभाव शुल्क	1
54	
अनुमति के लिए प्रक्रिया	154
अन्य उम्मीदें	154
परिभाषाएं	155
विभिन्न भूमि उपयोग / गतिविधियों की परिभाषा	155
आवासीय	155
वाणिज्यिक	155
औद्योगिक	156
कार्यालय	156
सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक	156
सार्वजनिक उपयोगिताएँ	158
यातायात और परिवहन	158
पार्क, खेल / खुले स्थल	159
कृषि	160
अन्य	160

तालिका 1	बस्ती नगर की जलवायु	25
तालिका 2	बस्ती शहर का योजना.....	27
तालिका 3	जनसंख्या	28
तालिका 4	बस्ती मौजूदा भूमि उपयोग	29
तालिका 5	बस्ती प्रस्तावित भूमि उपयोग 2021	30
तालिका 6	विचलन.....	34
तालिका 7	बस्ती विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या	35
तालिका 8	दशकीय वृद्धि दर.....	36
तालिका 9	बस्ती का लिंगानुपात.....	37
तालिका 10	बस्ती की साक्षरता दर	37
तालिका 11	बस्ती में अप्रवासी	39
तालिका 12	आप्रवासन के कारण.....	40
तालिका 13	कुल कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के गैर—कार्यकर्ता	42
तालिका 14	विनियमित क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक	44
तालिका 15	मुख्य और सीमांत कामगार	45
तालिका 16	व्यावसायिक संरचना	47
तालिका 17	सीमांत कार्यकर्ता की व्यावसायिक संरचना.....	49
तालिका 18	सड़क की लंबाई	57
तालिका 19	मौजूदा सड़क और सड़क की चौड़ाई.....	57
तालिका 20	बस्ती में कृषि उपज	59
तालिका 21	बस्ती में कृषि उपज	60
तालिका 22	सिंचाई क्षेत्र.....	60
तालिका 23	बस्ती शहर में उद्योगों के प्रकार.....	62
तालिका 24	उद्योगों के प्रकार	62
तालिका 25	बस्ती शहर में नए जोड़े गए होटलों और रेस्तरां की सूची.....	65
तालिका 26	बस्ती के मौजूदा स्कूल.....	66
तालिका 27	बस्ती शहरी क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं.....	67
तालिका 28	बस्ती में वर्तमान सामाजिक—सांस्कृतिक सुविधाएं	68
तालिका 29	शहर में आग दुर्घटनाओं की संख्या	68
तालिका 30	मौजूदा जल आपूर्ति	71
तालिका 31	जल आपूर्ति की मात्रा.....	71
तालिका 32	ओवर हेड टैंकों की संख्या	72
तालिका 33	ओवरहेड टैंकों की संख्या और क्षमता	72
तालिका 34	वर्षा जल निकासी	73
तालिका 35	बस्ती में वर्षा जल निकासी	73
तालिका 36	स्वच्छता.....	73
तालिका 37	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	75
तालिका 38	ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए तैनात वाहन.....	76
तालिका 39	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड	77
तालिका 40	बस्ती में बिजली की आपूर्ति	77
तालिका 41	बस्ती शहर में बिजली कनेक्शनों की संख्या	77
तालिका 42	ध्वनि प्रदूषण मानक	79
तालिका 43	मौजूदा ध्वनि प्रदूषण स्तर	79

तालिका 44	नदी के जल गुणवत्ता मानक	80
तालिका 45	कुवानो नदी की मौजूदा जलगुणवत्ता.....	80
तालिका 46	मौजूदा भूमि उपयोग 2020.....	81
तालिका 47	राजस्व प्राप्ति	83
तालिका 48	पिछले दो वर्षों में बस्ती विकास प्राधिकरण की आय और व्यय	83
तालिका 49	बस्ती में चल रही परियोजनाओं की सूची	85
तालिका 50	जनसंख्या प्रक्षेपण	88
तालिका 51	आवास की मांग	89
तालिका 52	आवास / भवन के लिए अनुशंसा	Error! Bookmark not defined.
तालिका 53	बस्ती का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031.....	91
तालिका 54	मिश्रित उपयोग	92
तालिका 55	प्रस्तावित पार्किंग शुल्क	96
तालिका 56	हरित पट्टी	96
तालिका 57	शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण.....	98
तालिका 58	ग्रामीण क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण	98
तालिका 59	जल आपूर्ति प्रक्षेपणों के लिए मानदंड.....	98
तालिका 60	बस्ती शहरी क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए प्रक्षेपण.....	98
तालिका 61	बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए प्रक्षेपण	99
तालिका 62	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड	101
तालिका 63	शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण	102
तालिका 64	ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण	102
तालिका 65	सरकारी नीतियां.....	115
तालिका 66	जोनिंग	Error! Bookmark not defined.
तालिका 67	चरणबद्ध	Error! Bookmark not defined.
तालिका 68	चालू परियोजनाओं की सूची.....	130
तालिका 69	अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव	134
तालिका 70	अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची	135
तालिका 71	अनुलग्नकसी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची	137
तालिका 72	अनुलग्नन कड़ी गांवों की सूची (ग्रामीण)	140
तालिका 73	वार्ड–वार जनसंख्या घनत्व की तालिका.....	141
तालिका 74	पंजीकृत वाहन.....	142
तालिका 75	मौजूदा उपलब्ध कृषि सुविधाएं	142
तालिका 76	दुकानों की सूची बनाएं	143
तालिका 77	बस्ती के नॉन–वैंडिंग जोन.....	144
तालिका 78	बस्ती के वैंडिंग जोन.....	144
तालिका 79	बस्ती में मौजूदा पार्क	145
तालिका 80	अनुलग्नक के 2031 के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता.....	148

चित्र 1 बस्ती शहर.....	22
चित्र 2 बस्ती का स्थान	24
चित्र 3 बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र की विकास दिशा.....	25
चित्र 4 महायोजना 2021.....	31
चित्र 5 बस्ती शहर का विचलन	33
चित्र 6 बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर	38
चित्र 7 बस्ती शहर के कुल कार्यकर्ता और गैर-श्रमिक	41
चित्र 8 सड़क नेटवर्क का नक्शा	Error! Bookmark not defined.
चित्र 9 बस मार्ग.....	54
चित्र 10 ट्रक मार्ग का नक्शा.....	55
चित्र 11 नदी के किनारे रिवरफ्रंट का दृश्य_1.....	108
चित्र 12 नदी के किनारे रिवरफ्रंट का 3-D दृश्य_2	108
चित्र 13 रिवरफ्रंट की पार्किंग का 3-D दृश्य.....	109
चित्र 14 नदी के किनारे.....	109
चित्र 15 सड़क खंड	149
चित्र 16 24 मीटर रोड.....	150
चित्र 17 मीटर सड़क खंड.....	151
चित्र 18 मीटर सड़क खंड.....	152

ग्राफ 1 बस्ती पुरुष बनाम महिला	35
ग्राफ 2 बस्ती शहर की दशकीय जनसंख्या.....	36
ग्राफ 3 बस्ती का लिंगानुपात.....	37
ग्राफ 4 साक्षरता दर.....	38
ग्राफ 5 ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर.....	38
ग्राफ 6 महिला बनाम पुरुष आप्रवास.....	39
ग्राफ 7 अप्रवासन	40
ग्राफ 8 आप्रवासन के कारण	40
ग्राफ 9 विनियमित क्षेत्र की कार्य बल भागीदारी	41
ग्राफ 10 ग्रामीण क्षेत्र की कार्यबल भागीदारी.....	42
ग्राफ 11 महिला कार्यबल प्रवृत्ति.....	43
ग्राफ 12 बस्ती विनियमित क्षेत्र में कुल श्रमिक	43
ग्राफ 13 विनियमित क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक	44
ग्राफ 14 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक.....	44
ग्राफ 15 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक.....	45
ग्राफ 16 मुख्य और सीमांत श्रमिकों का रुझान	45
ग्राफ 17 मुख्य कार्यकर्ता श्रेणियां.....	47
ग्राफ 18 2001 और 2011 में मुख्य श्रमिकों की तुलना (पुरुष).....	Error! Bookmark not defined.
ग्राफ 19 2001 और 2011 में सीमांत श्रमिकों की तुलना (पुरुष)	48
ग्राफ 20 यात्रा के साधन	56
ग्राफ 21 स्वामित्व वाले वाहन.....	56
ग्राफ 22 शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि	58
ग्राफ 23 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि.....	59
ग्राफ 24 उद्योगों की कुल संख्या	62
ग्राफ 25 लघु उद्योग	63
ग्राफ 26 मध्यम पैमाने के उद्योग	63
ग्राफ 27 बस्ती में आग दुर्घटनाओं की संख्या	69
ग्राफ 28 बस्ती की अपराध दर	70
ग्राफ 29 जल आपूर्ति के स्त्रोत व पीने के पानी की गुणवत्ता	72
ग्राफ 30 मौजूदा भूमि उपयोग 2020	82
ग्राफ 31 बस व ट्रक टर्मिनल का स्थान	93
ग्राफ 32 बस व ट्रक के मार्ग	94
ग्राफ 33 हरित पट्टी व हाइवे सुविधा क्षेत्र / जोन	97
ग्राफ 34 जल कार्य स्थल स्थान	100

1. परियोजना पृष्ठभूमि

महायोजना नगर के व्यवस्थित विकास में सहायक ढांचा प्रदान करती है। इससे भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली आधारभूत संरचना मिलती है। इससे भलीभांति नगर क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध सामाजिक-आर्थिक संरचना भी मिलती है, जो नगर क्षेत्र के विकास में प्रशासन के लिए सहायक होती है। यह शहरी क्षेत्र की जनता और वहां के प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बने मुद्दों का समाधान करने में भी सहायक होती है।

उत्तर प्रदेश के बस्ती विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) को विनियमित क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए महायोजना की आवश्यकता है। इस नगर में अभी तक केवल एक ही महायोजना है, जो की 2001–2021 की समयावधि के लिए बनायी गई थी, चूंकि विनियमित क्षेत्र की महायोजना की अवधि समाप्त होने की कगार पर है इसलिए ब. वि. प्रा. को आगामी 10 साल के लिए पुनरीक्षित महायोजना की आवश्यकता है।

1.1 दृष्टिकोण और पद्धति।

महायोजना एक निर्दिष्ट ढांचे के साथ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधीन तैयार की गई एक वैधानिक योजना होती है। यू.आर.डी.पी.एफ.आई. दिशानिर्देश महायोजनाको उस योजना के रूप में परिभाषित करता है जो क्षेत्रीय या शहर विकास योजना में दी गई विभिन्न नीतियों के लिए रणनीतियों और भौतिक प्रस्तावों के रूप में आवश्यक विवरण और इच्छित कार्य प्रदान करता है।

लोगों की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं और आकांक्षा पर निर्भर करता है। उपलब्ध संसाधन और प्राथमिकताएं प्रदान करता है। यह स्थानीय जनता को भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास, सुविधाओं और सेवाओं के बारे में स्थानीय प्राधिकरण के इरादे के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो नागरिक की बेहतरी के लिए प्रस्तावित किए जाने हैं।

अमृत मिशन के तहत, जी.आई.एस. आधारित महायोजना को संबंधित चयनित शहरों के लिए तैयार किया जाना है। यह परियोजना जी.आई.एस. आधारित महायोजना उत्तर प्रदेश के बस्ती विकास प्राधिकरण के लिए तैयार की जानी है। परियोजना मोटे तौर पर बीड़ीए क्षेत्र की महायोजना 2021 के पुनरीक्षण से संबंधित है। महायोजना जन केन्द्रित, स्थानिक चरित्र वाली या सार्वजनिक भागीदारी वाली होनी चाहिए। इसमें उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अध्याय-3 के अधीन वर्णित सभी आदेशों यू.आर.डी.पी.एफ.आई. दिशा-निर्देशों, अमृत दिशा-निर्देशों तथा अन्य संपूर्ण प्रासंगिक अधि नियम एवं नीतियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

महायोजना की तैयारी के चरण (जैसे कि निविदा दस्तावेज में दिये गये हैं)

महायोजना पांच चरणों में तैयार की जाएगी जैसे कि

चरण – 1: प्रारम्भ आख्या।

चरण – 2 : डेटा संग्रह और सर्वेक्षण, स्थानिक डेटा की विशेषताओं का संग्रह, शहरी डेटा बेस का संग्रह, और एनआरएससी के डेटा की धरातल पर पुष्टि और आधार मानचित्र की जांच बस्ती शहर के प्राधिकरण के साथ बैठक करके अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा।

चरण 3: मौजूदा भूमि उपयोग योजना, विषयगत मानचित्र, चार्ट, रेखाचित्र आदि सहित डेटा विश्लेषण रिपोर्ट। मुद्दों और क्षमताओं और प्रक्षेपित आवश्यकताओं की चिन्हिकरण।

चरण 4: आधार मानचित्र पर सजरा आरोपण, प्रस्तावों के प्रारूप, महायोजना प्रारूप महायोजना का प्रारूप का मूल्यांकन (शासकिय समिति) सार्वजनिक आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति।

चरण 5: सार्वजनिक आपत्तियों और सुझावों का सुनवाई निस्तारण, महायोजना प्रारूप का अनुमोदन (ब.वि.प्रा. बोर्ड)

पूर्व के नियोजन प्रयासों का मूल्यांकन और विश्लेषण:

सर्वप्रथम मौजूदा महायोजना का मूल्यांकन और विश्लेषण किया गया है। जिसमें भविष्य के प्रक्षेपण शामिल होंगे जैसे कि जनसंख्या और जनसांख्यिकी, घर का आकार, घनत्व स्वरूप कार्य बल, व्यावसायिक संरचना, यातायात और परिवहन, सामुदायिक सुविधाएं और सेवाएं, जोनिंग, आर्थिक पहलू, उपलब्ध संसाधन, सामाजिक और भौतिक अवसंरचना, नगर संकाय आदि।

1.1.1 मौजूदा महायोजना का मूल्यांकन।

मौजूदा महायोजना का मूल्यांकन निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करके किया जाना चाहिए जैसे जनसांख्यिकीय अनुमान।

- जनसंख्या
- आवास स्वरूप
- घनत्व स्वरूप
- कार्य बल
- व्यावसायिक संरचना

यातायात और परिवहन।

- रिंग रोड / बायपास सहित प्रसार संजाल
- बस और ट्रक टर्मिनल सुविधाएं
- पार्किंग की सुविधा
- फ्लाई ओवर और जंकशनों में सुधार
- रेल संजाल मेट्रो / मोनोरेल / आर आर टी एस
- साइकिल और पैदल यात्री क्षेत्र
- यातायात परिमाण
- यातायात दिशा
- गंतव्य
- यातायात की संरचना
- अड़चनों चिन्हांकन

सामुदायिक सुविधाएं और सेवाएं

- शैक्षणिक
- चिकित्सा और स्वास्थ्य
- अन्य सामुदायिक सुविधाएं और सेवाएं उदाहरण डाक व तार, पुलिस थाने अग्निशमन केन्द्र, सामुदायिक केंद्र आदि।

सार्वजनिक उपयोगिताएँ।

- जलापूर्ति
- सीवरेज
- जल निकासी
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- विद्युत
- संचार

विभिन्न उपयोगों के तहत भूमि का विकास।

- आवासीय
- वाणिज्यिक
- कार्यालय
- औद्योगिक
- सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं
- पार्क और खुले स्थान
- अन्य उपयोग / प्रस्ताव

6 भूमि उपयोग परिवर्तन और उनकी सीमा वैध और अवैध दोनों।

7 महायोजना के संबंध में अन्य प्रस्तावों का मूल्यांकन।

1 विनियमित क्षेत्र का बेसलाइन अध्ययन: पिछले नियोजन प्रयासों का अध्ययन करने के बाद संभावनाओं और परिणामों का अध्ययन किया गया और तदनुसार सभी लापता कड़ियों की पहचान की गई। इससे विनियमित क्षेत्र के कामकाज के मौजूदा परिदृश्य के साथ-साथ शहरी रूप का पता चलता है और संरचना और मौजूदा स्वरूप कि ग्रिडिरोन, रैखिक, रिं-रैखिक का पता चला।

महायोजना तैयार करने के दौरान जिन घटकों पर ध्यान दिया जाना है, वे इस प्रकार हैं।

1 मौजूदा संरचना।

- शहर की स्थिति और क्षेत्रीय सेटिंग, कड़ियां और भीतरी क्षेत्र के साथ संबंध
- विनियमित क्षेत्र—अधिसूचना और सीमा।
- विनियमित क्षेत्र के भीतर निपटान (शहरी और ग्रामीण) स्वरूप।
- शहर का ऐतिहासिक क्रमागत विकास।
- हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजी और जलवायु सहित भौतिक विशेषताएं।
- मौजूदा भूमि उपयोग।
- निर्मित क्षेत्र—विस्तार और चरित्र।
- प्रमुख समस्याएं यथा। मिश्रित और नियम विरुद्ध भूमि उपयोग, यातायात परिवहन, पर्यावरणीय समस्याएं, आपदा—ग्रस्त क्षेत्र, आदि।
- शारीरिक विस्तार के रुझान और विकास की क्षमता।
- विकास के प्रमुख मुद्दे।
- क्षेत्र में चल रही प्रमुख सरकारी / सार्वजनिक / निजी परियोजनाएं / क्षेत्र में नीतियां और विकास क्षेत्र पर उनका प्रभाव।

2 विनियमित और जनसांख्यिकी।

- शहर और पूरे योजना क्षेत्र के लिए आधार तिथि पर वर्तमान जनसंख्या।
- पिछले दस वर्षों के लिए विकास के रुझान।
- उम्र, लिंग, साक्षरता और घरेलू आकार के आधार पर मौजूदा संरचना।
- प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास के माध्यम से हाल के रुझान।
- विनियमित क्षेत्र के भीतर मौजूदा घनत्व स्वरूप।
- वर्ष २०३१ के लिए भविष्य के अनुमान (१० वर्ष का अंतराल)
- भविष्य का घनत्व और उसका वितरण।
- आर्थिक स्थिति (शहरी गरीब) के आधार पर मौजूदा संरचना।

3 आर्थिक आधार और रोजगार।

- आधार तिथि पर कार्य बल।
- मौजूदा पेशागत संरचना।
- रोजगार और पेशागत संरचना में हाल के रुझान।
- अनौपचारिक क्षेत्र का रोजगार।
- महत्वपूर्ण चरणों में भविष्य की व्यावसायिक संरचना।

4 संसाधन।

- पिछले 10 वर्षों के दौरान नियोजन प्राधिकरण की आय।
- ऋण, अनुदान और बुनियादी ढांचे सहित वित्तीय स्थिति।
- विकास निधि, आदि।
- जनशक्ति और तकनीकी क्षमता।
- अन्य संसाधन जैसे भूमि और सम्पत्तियाँ।
- पिछले 5 वर्षों के दौरान अचल संपत्ति क्षेत्र में निजी निवेश।
- सरकारी अभिकरणों का पूँजीगत निवेश का कार्य
- महत्वपूर्ण चरणों में योजना, विकास और रखरखाव का अनुमान (विशिष्ट योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए)
- भूमि के अधिग्रहण / संयोजन के लिए कार्य योजना (5 वर्ष)।

5 आवास।

- आकार, स्थिति को देखते हुए मौजूदा स्थिति का विश्लेषण (में इस्तेमाल किया जा सकता है)।
 - शहर की आपदा मानचित्रण में प्रयुक्त हो सकता है तथा पर्याप्तता
 - द्वितीय सार्वजनिक, निजी, सहकारी क्षेत्रों और स्वयं सहायता आवास का योगदान।
 - आवास में हाल के रुझान यथा। ऊर्ध्वाधर विकास, लागत प्रभावी का उपयोग।
 - निर्माण सामग्री और निर्माण तकनीक, का उपयोग।
 - वैध / और अवैध आवास।
 - प्रकार और आकार के आधार पर महत्वपूर्ण चरणों में आवास की मांग का आकलन।
 - आकार।
 - निम्न के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का मूल्यांकन
- 1 निर्मित क्षेत्र के भीतर घनत्व में कमी और नए क्षेत्रों में घनत्व में वृद्धि।
 - 2 मौजूदा विकसित क्षेत्र का घनत्वीकरण।
 - 3 मुख्य क्षेत्रों का पुनर्विकास।
 - 4 मौजूदा आवास स्टॉक में सुधार / पुनः विकास / नियमितीकरण।

6 यातायात और परिवहन।

- मौजूदा संजाल (सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, जल), साधन विभाजन, यात्रा के स्वरूप और महत्वपूर्ण कारकों का विश्लेषण उदाहरण के लिए।
- I- रहने और काम के क्षेत्रों के बीच संबंध।

- II- केंद्रीय और मुख्य क्षेत्रों की समस्याएं।
- III- टर्मिनल सुविधाओं सहित पार्किंग की समस्याएं।
- IV- पर्यावरण पर प्रभाव।
- V- दुर्घटनाएं (दुर्घटना बहुल क्षेत्रों का चिन्हिकरण)।
- VI- विकास क्षेत्र के बाहर मौजूदा और प्रस्तावित नेटवर्क जो विकास क्षेत्र के आंतरिक यातायात पैटर्न को प्रभावित कर सकता है।
- यातायात प्रवाह, लोग और माल
 - सार्वजनिक और निजी परिवहन में रुझान।
 - निम्न के संबंध में सामान्य धारणाएं
- i- सार्वजनिक सड़क परिवहन पर बल
- ii- रेल पर बल
- iii- सार्वजनिक, निजी परिवहन का सापेक्ष अनुपात
- संबंधित नीतियों के साथ परिवहन प्रणाली के लिए प्रस्ताव,
- i- ट्रक नेटवर्क और पदानुक्रम।
- ii- जंकशनों में सुधार।
- iii- पार्किंग क्षेत्रों का वितरण।
- iv- साधनों की अदला—बदला के लिए सुविधाएं
- v- बस और ट्रक के लिए टर्मिनल सुविधाएं।
- vi- सबवे, फ्लाईओवर आदि का स्थान।.
- vii- पैदल यात्री आवागमन क्षेत्र।
- viii- जनता पर परिवहन (दुनिया भर में स्वीकृत और कार्यान्वित वैकल्पिक तकनीकों के साथ)।
- यातायात नियमों और प्रबंधन के लिए सामान्य नीति।
 - चरणबद्ध और कार्यान्वयन (5–10) वर्ष का कार्यक्रम।

7 उद्योग।

उद्योगों का प्रकार और पैमाना

सेवा उद्योग।

हल्के और मध्यम उद्योग।

व्यापक और भारी उद्योग।

विषाक्त और खतरनाक उद्योग।

- स्थानिक विश्लेषण।
- पर्यावरण पर प्रभाव।
- हाल के रुझान यथा विस्तार, बंदी, अन्य उपयोगों के लिए रूपांतरण।
- भविष्य के अनुमान और भूमि की आवश्यकता।
- निम्न के संबंध में नीति।
- स्पॉट-जोनिंग।
- नियम विरुद्ध उपयोगों की निरंतरता।
- असंगत उद्योग का स्थानान्तरण।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जेड) का विकास।
- बीमार और बन्द उद्योगों का पुनर्विकास।
- शहर के भीतर प्रस्तावित वितरण स्वरूप।
- चरणबद्धता और कार्यान्वयन
- भूमि का अधिग्रहण / संयोजन, पुनर्विकास, खतरनाक की शिफिटिंग।
- उद्योगों, का स्थानान्तरण आदि के लिए चार वर्ष का कार्यकाल)

8 वाणिज्य।

- मौजूदा स्थिति का विश्लेषण उदाहरणार्थ
- वाणिज्यिक केंद्रों का वितरण और पहुंच
 - व्यापार और वाणिज्यिक केंद्रों द्वारा तल-स्थान
-
- हाल के रुझान यथा। – शॉपिंग मॉल, संचल दुकाने, बाजार-गलियां आदि।
 - सामान्य नीति उदहरार्थ
- केंद्रों की पदानुक्रम निर्धारण।
 - मार्गों का निर्धारण।
 - अनौपचारिक खरीदारी सुविधा देना
 - केंद्रीय क्षेत्र में भीड़ कम करना
- खरीदारी क्षेत्रों (खुदरा, थोक, गोदाम और भंडारण) का वितरण।
 - चरणबद्धता और कार्यान्वयन (10 वर्ष)।

9 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक।

- मौजूदा स्थिति का विश्लेषण उदाहरणार्थ।
- संख्या और वितरण।
 - भूखण्ड क्षेत्र और तल क्षेत्र का विवरण।
 - भवनों की स्थिति।

iv- पर्यावरण की गुणवत्ता।

- हाल के रुझान उदाहरण निजी क्षेत्र की भूमिका।
- सामुदायिक सुविधाओं और सेवाओं के लिए सरकार की नीतियां।
- महत्वपूर्ण चरणों में प्रदान की जाने वाली साइटों और सुविधाओं की मात्रात्मक आवश्यकता।
- जोन और शहर के भीतर वितरण।
- चरणबद्ध और कार्यान्वयन (5-10)कार्यक्रम।

10 आधारभूत संरचना।

• मौजूदा संजाल और अधिष्ठानों का विश्लेषण यथा।

i- जलकल और जलाशय।

ii- सीवरेज संजाल और उपचार संयंत्र।

iii- जल निकासी निस्तारण प्रणाली (उच्चतम वर्षा जल आकलन के साथ)।

iv- स्वच्छता भूमि साइटों / कम्पोस्ट संयंत्र

v- विद्युत केन्द्र और नेटवर्क ग्रिड।

vi- गैस कार्यशालाएं

• हाल के रुझान, उदाहरणार्थ।

i- ट्रंक जल निकासी का विस्तार।

ii- शहर के मलजल निस्तारण क्षमता का विस्तार।

iii- जल स्रोतों का संवर्धन।

iv- बुनियादी ढांचे का निजीकरण।

v- बुनियादी ढांचे का पुनर्वास।

• प्रतिबद्धताएं, उदाहरणार्थ।.

i- नए सेवा जलाशय / जलकल

ii- नए मलजल उपचार संयंत्र।

iii- नए वर्षाजल नाले।

iv- नए बिजली स्टेशन।

v- उपयोगिता सेवाओं के लिए सामान्य नीति, उदाहरणार्थ।

vi- अतिरिक्त संजाल का प्रावधान।

vii- उपयोगिता वाहिनी का प्रावधान।

viii- महत्वपूर्ण चरणों में प्रदान की जाने वाली मात्रा सेवाओं के लिए भविष्य के अनुमान।

i - शहर के भीतर वितरण संजाल।

- चरणबद्धता और कार्यान्वयन (5–10 वर्ष कार्यक्रम)।

XI- मनोरंजन और अवकाश।

- मौजूदा स्थिति और संभावनाओं का विश्लेषण, उदारणार्थ।

i- भूमि।

ii- पार्क, खेल के मैदान, स्टेडियम / खेलकूद संकुल

iii- झीलें / जल निकाय।

iv- पर्यटन / तीर्थयात्रा क्षेत्र।

v- दर्शनीय / अन्य विशेषताएं।

- मनोरंजन और अवकाश में हाल के रुझानों में।

- निम्न के संबंध में मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान के लिए सामान्य नीति।

- मौजूदा और प्रक्षेपित मांग।

- निजी क्षेत्र द्वारा प्रावधान के लिए संभावना।

- महत्वपूर्ण चरणों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं हेतु भूमि की आवश्यकता।

- यथा :- क्षेत्रीय / नगर पार्क, खेल का मैदान, स्टेडियम / खेलकूद संकुल,।

- मनोरंजन पार्क, झीलें, तरण—ताल, वाटर पार्क आदि।

- जोन और शहर के भीतर वितरण स्वरूप।

- चरणबद्धता और कार्यान्वयन (10 वर्ष)।

XII- संरक्षण, नगर परिदृश्य और भू-परिदृश्य।

- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान के मौजूदा विधि का विश्लेषण;

- क्षेत्रीय विशेषताएं, उदाहरण भू-परिदृश्य

- पैटर्न और बस्तियों का स्वरूप।

- निचली भूमि / अनुपयोगी भूमि।

- ऐतिहासिक स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल।

- हाल के रुझान।
- i- पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना जैसे। पेड़ों की कटाई, अतिक्रमण, यातायात का प्रभाव, प्रदूषण, आदि।
- पप. पर्यावरण में सुधार करना यथा. वनीकरण, बेकार भूमि का पुनर्ग्रहण, संरक्षण & विरासत क्षेत्रों की घोषणा।
- संरक्षण नियोजना और विकास नियंत्रण के लिए नीतियां, उदाहरणार्थ।
- i- भवन की ऊंचाई, गोपनीयता, प्राकृतिक प्रकाश।
- ii. भू-परिदृश्य का संरक्षण।
- iii. नए विकास की स्थल निर्धारण और परिकलन

1- प्राथमिक और गौण डेटा संग्रह, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के लिए प्राथमिक और गौण डेटा अधिनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार एकत्र किया जाएगा और जीआईएस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा।

2- आधार मानचित्र तैयार करना, आधार मानचित्र तैयार करना डेटा संग्रह के साथ-साथ किया जाएगा। भू-उपयोग के आंकड़ों के जमीनी सत्यापन के लिए और मौजूदा स्थिति, अंतराल और विकास योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।

3- नगर डेटा बेस सृजन शहरी और सामाजिक-आर्थिक डेटा मौजूदा स्थिति, मुद्दों की पहचान और प्रस्तावों और अनुमानों के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाने वाला सामग्री है। जबकि एकत्र किया जाने वाला अधिकांश डेटा द्वितीयक है, कुछ महत्वपूर्ण डेटा प्राथमिक सर्वेक्षणों से एकत्र किये जाने की आवश्यकता हो सकती है डेटा संग्रह के लिए एक साकेतिक प्रारूप परिकल्प एवं में दिया जाए।

I- प्राथमिक और द्वितीयक डेटा विश्लेषण : एकत्र किए गए प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का उपयुक्त तरीकों का उपयोग करके विश्लेषण किया जाएगा। विचलन की पहचान मूल कारण के साथ की जाएगी और भविष्य के नियोजन प्रस्तावों के लिए उन पर विचार किया जाएगा।

II- आवश्यकताओं का प्रक्षेपण और कमियों का आकलन : एक बार डेटा विश्लेषण पूरा हो जाने के बाद मौजूदा अंतराल की पहचान की जाएगी और तदनुसार आवश्यकताओं के प्रक्षेपण के साथ-साथ कमियों का आकलन किया जाएगा। उदाहरण के लिए विश्लेषण होगा भविष्य के जनसंख्या प्रक्षेपणों, भू-आवंटन मौजूदा एवं वांछित आधारभूत सरचना सुविधाओं, भू-उपयोग शुल्क और उनकी सीमा, सार्वजनिक उपयोगिताओं। आर्थिक समानों और स्वरूपों पर्यावरणीय संसाधनों और संरक्षण के आधार पर किया गया है।

III- दृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्य : डेटा संग्रह, डेटा विश्लेषण और आवश्यकताओं की पहचान के सफल समापन के बाद, महायोजना के विजन, उद्देश्य और उद्देश्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

IV- हित धारकों के साथ परामर्श : बैठक विधिक रूप से की जाएगी और आधिकाधिक आपत्तियों और सुझाव प्राप्त करने का प्रयत्न किया जायेगा। सहभागी और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए हितधारक परामर्श और फोकस समूह चर्चा एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही हितधारक परामर्श का उद्देश्य योजना तैयार करने के चरण के दौरान सामुदायिक चिंता का समाधान करना है। हितधारक का परामर्श हितधारकों की पहचान संभावित हितधारकों की सूची जिन्हें योजना प्रक्रिया में शामिल करने की आवश्यकता है। व्यापार संघ / उद्योग, गैर सरकारी संगठन, शिक्षाविद, निर्वाचित प्रतिनिधि, होटल उद्योग, बस्ती विकास प्राधिकरण, अन्य लाइन एजेंसी या राज्य सरकार के विभाग से संबंधित या प्रभावित होने वाली जानकारी, यह शहरी स्थानीय निकाय विशेष, सार्वजनिक निर्माण विभाग

V- प्रस्ताव और नीतियां : सभी प्रस्तावों और नीतियों को डेटा विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुसार और सभी प्रासंगिक अधिनियमों के साथ-साथ नीतियों को / यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। इसमें भविष्य के विकास के लिए भूमि की आवश्यकता को उचित घनत्व मानकों और विभिन्न गतिविधियों के लिए आवश्यकताओं और भूमि उपयोग क्षेत्रों के साथ-साथ जोनिंग, चरणबद्ध और उसी के लिए भूमि विकास तंत्र प्रदान करना शामिल होगा।

I- प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना एवं विकास

- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर विनियमित क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए विषयगत अवधारणा योजना।
- विनियमित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग
- शहरीकरण योग्य क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि उपयोग संरचना (अनुलग्नक-1 के अनुसार)
- शहरीरूप जैसे, एकल-नाभिक / बहु-नाभिकीय संरचना, निम्नवृद्धि और उच्चवृद्धि विकास
- यातायात और परिवहन योजना और बुनियादी ढांचा योजनाओं के साथ भूमि उपयोग योजना का एकीकरण
- सुधार और पुनर्विकास के लिए रणनीति
 - भीड़ भाड़ कम करने और विकेंद्रीकरण के लिए रणनीति
 - मिश्रित तथा नियम विरुद्ध भू-उपयोगों के लिए नीति
 - पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकास रणनीति जैसे

i- हरित क्षेत्रों का संरक्षण

ii- ऊर्जा का संरक्षण

iii- जल संरक्षण

iv- प्रदूषण में कमी

v- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

II- सरकारी नीतियों का अनुपालन

i- राज्य शहरी आवास और पर्यावास नीति

ii- हाई-टेक टाउनशिप नीति

iii- एकीकृत टाउनशिप नीति

iv- वर्षा जल संचयन नीति

v- शहरी दायरे में आने वाले गांवों के विकास के लिए नीति

vi- आपदा प्रबंधन नीति

vii- पर्यावरण नीति

viii- पर्यटन नीति

ix - गली स्थित विक्रेता नीति

x उ.प्र. विशेष आर्थिक जोन नीति

- उ.प्र. औद्योगिक और सेवा निवेश नीति
- फिल्म नीति
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति
- ऊर्जा नीति
- कोई अन्य प्रासंगिक नीति

III- जोनल विकास योजनाओं का ढांचा

i- विनियमित क्षेत्र को जोनों में सीमांकन

ii- जोन का क्षेत्रफल और कामकाजी विशेषताएं

iii- जोन के विकास के लिए रणनीति

iv- जोनिंग विनियम

शहर और क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के साथ-साथ तरल आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उत्तरप्रदेश के प्रचलित उप-नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार शहर स्तर की आबादी सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं सेवाएं और उपयोगिताएं प्रदान की जानी चाहिए। यू. आर. डी. पी. एफ. आई. दिशा निर्देशों को विशिष्ट सुविधाओं, सेवाओं और उपयोगिताओं के लिए संदर्भित किया जाएगा जिनका उल्लेख प्रचलित उप-नियमों में हीं किया गया है।

vi- चरणबद्धता और वित्त रु चरणबद्धता और वित्त प्रबंधन योजना प्रस्तावों तथा उपलब्ध वित्त के अनुसार किया जाता है—

चरणबद्धता— में विभिन्न वर्षों यथासंभव दशकीय अंतराल पर, के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण होते हैं। आवास, इन प्रक्षेपणों के रोजगार, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे आदि के प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। चरणबद्धता और वित्त पोषण अल्पकालिक परियोजनाओं, प्राधिकरण की परियोजनाओं, योजनाओं और विशिष्ट कार्यों से संबंधित भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे।

प्रस्तावित प्रमुख परियोजनाओं, योजनाओं, बुनियादी ढांचे के लिए कार्यान्वयन के चरणों को परिभाषित किया जाता है और उन्हें योजना की प्रमुख तिथियों से उन तिथियों को इच्छित नए आवासों आदि कार्यवाहियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए संयुक्त किया जाता है।

i- सार्वजनिक निवेशरू आय के साथ विभिन्न निवेश शीर्षकों के तहत भूमि अधिग्रहण / विधानसभा, विकास, निर्माण और सुधार की लागत का आकलन जहां उपयुक्त हो जैसे, शहर स्तर की सड़कों, उपयोगिताओं और सेवाओं।


वित्तीय अनुमानरू— तैयार की गई योजना की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय आकलन किया जाना चाहिए।

पप. निजी निवेशरू महायोजना योजना की आर्थिक गतिविधियों के स्तर और निजी के स्तर के बारे में प्राधिकरण की धारणा, अनुमान और मंतव्यों को स्पष्ट करेगी।

1.2 स्वरूप।

बस्ती का विनियमित क्षेत्र शहर पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा और राप्ती नदी के बीच स्थित है, लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गन्ने के अधिक उत्पादन के कारण बस्ती में कई चीनी मिलें हैं। बस्ती एक नव सृजित मंडल मुख्यालय है। सरकारी फल बाग फलों और पेड़ों की नई किस्मों के विकास और संरक्षण अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है।

इस विनियमित क्षेत्र में अमोदा का किला, गणेश पिंडोरी राज्य, एथोडा राज्य और नरहाना पांडे राज्य हैं। इस शहर में केवल एक पॉलिटेक्निक, तीन आईटीआई हैं और कोई विश्वविद्यालय/ मेडिकल कॉलेज / इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है।



चित्र 1 बस्ती शहर

1.3 बस्ती का विकास।

बस्ती को मूल रूप से गाँव के नाम से जाना जाता था और यह गोरखपुर जिले का एक हिस्सा था। वैशिष्टी नाम की उत्पत्ति इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में ऋषि (ऋषि) वशिष्ट का आश्रम था। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भगवान् राम कुछ समय के लिए ऋषि वशिष्ट के साथ यहां आए थे। वर्तमान जिले को शामिल करने वाला मार्ग दूरस्थ था और इसका अधिकांश भाग जंगल से आच्छादित था। लेकिन धीरे-धीरे यह क्षेत्र आबाद हो गया। रिकॉर्ड किए गए और विश्वसनीय इतिहास के लिए यह नहीं हो सकता। निश्चितता के किसी भी डिग्री के साथ कहा जा सकता है कि मूल निवास के कारण जिले को उसके वर्तमान नाम से कैसे जाना जाता है। (बस्ती) कालन राजा द्वारा अपने राज की सीट के रूप में चुना गया।, एक घटना जो संभवतः 16 वीं शताब्दी में हुई थी। 1801 में, बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया और 1865 में इसे नव स्थापित जिले के मुख्यालय के रूप में चुना गया।


1.4 स्थान।

बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। बस्ती कुवानो नदी के तट पर स्थित है। बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और रेलवे के साथ राष्ट्र के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है।

1.5 क्षेत्रीय स्थान और कनेक्टिविटी।

बस्ती जिला उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में से एक है, बस्ती शहर जिला मुख्यालय है। बस्ती जिला बस्ती डिवीजन का एक हिस्सा है। जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर – पूर्वी भाग में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर/पूर्व कोने में धाघरा नदी से परे स्थित देश के खिंचाव का हिस्सा है। जिला $26^{\circ}23'$ और $27^{\circ}30'$ उत्तरी अक्षांश और $82^{\circ}17'$ और $83^{\circ}20'$ पूर्व रेखांश के बीच स्थित है। इसमें कुछ अनियमित आकार का एक पथ शामिल है। यह जिला पूर्व में संत कबीर नगर और पश्चिम में गोंडा से धिरा हुआ है। धाघरा नदी ने इसे फेजाबाद और अबेडकर नगर से अलग किया जबकि उत्तर में सिधार्थ नगर जिले के साथ सीमांकन किया। इसका क्षेत्रफल 2, 688 वर्ग किमी है।


लखनऊ को गोरखपुर से जोड़ने वाली मुख्य लाइन और पूर्व में बिहार और असम में स्थित स्थान जिले के दक्षिण से होकर गुजरते हैं। मुख्य लाइन में 7 रेलवे स्टेशन हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, मुंदरवा, ओरवारा, बस्ती, गोविंदनगर, टिनिच, गौर और जिले के भीतर बब्न हैं। गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और लखनऊ के बीच एक दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस है। नेशनल हाईवे 28 भारत सरकार और NHAI की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा भी बस्ती से गुजरता है।



चित्र 2 बस्ती का स्थान

1.6 विनियमित क्षेत्र की वृद्धि दिशा

बस्ती विकास क्षेत्र का शहरी विकास मुख्य रूप से सड़कों के दोनों ओर है। यह भी कहा जा सकता है कि बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विकास पैटर्न रिबन विकास है। ज्यादातर शहरी विकास सड़कों के किनारे देखा जाता है



चित्र 3 बस्ती विकास प्राधि करण क्षेत्र की विकास दिशा

संभावित विकास दिशा सड़कों के साथ इस प्रकार हैं

1. बस्ती—गोरखपुर छम्ब28
2. बस्ती—बंसी रोड एनएच 233
3. बस्ती—दुमरियागंज
4. बस्ती—महेदवाल मार्ग

1.7 भूगोल।

बस्ती शहर घाघरा और एमी नदी के बीच स्थित है। बस्ती शहर का अक्षांश $26^{\circ}23'$ और $27^{\circ}80'$ उत्तर और बस्ती शहर का रेखांश $82^{\circ}17'$ और $83^{\circ}2'$ पूर्व। इसके उत्तर में सिद्धार्थ नगर जिले, पूर्व में संत कबीर नगर जिले, पश्चिम में गोंडा और दक्षिण में फैजाबाद जिले से स्थित हैं।

1.8 जलवायु

बस्ती की जलवायु दक्षिण के निकटवर्ती जिलों की तुलना में अधिक समान है। वर्ष को चार ऋतु में विभाजित किया जा सकता है। सर्दियों, नवंबर के मध्य से फरवरी तक, गर्मियों के बाद, जो लगभग जून के मध्य तक रहता है।

क्र.सं.	विनियमित क्षेत्र का नाम	विनियमित क्षेत्र का नाम	तापमान (सेंटीग्रेड में)	
			अधिकतम	न्यूनतम
1	बस्ती	770	37	5.9

तालिका 1 बस्ती नार की जलवाय

1.9 मेलों और महोत्सव।

शहर में नव दुर्गा पूजा 15 दिनों के लिए मनाई जाती है। शहर की सारी सड़कें बिजली की कैसी बत्तियों और सुंदर देवी प्रतिमा सजाई जाती है। जिला नगर पालिका प्रशासन इस अवधि के दौरान सभी निवारक व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा, श्रावण मास के दूसरे मंगलवार को अगस्त के महीने में कावरिया मेला भी आयोजित होता है। लगभग एक से डेढ़ लाख लोग बस्ती आते हैं।

2. महायोजना 2021 का मूल्यांकन


2.1 योजना क्षेत्र

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं की धारा 3 के उप-खंड (2) के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 243—क्यू (फ) के खंड (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में, 1916 के 2।) राज्यपाल संविधान के भाग IX-A के प्रयोजनों के लिए हो सकता है। अनुसूची 1में निर्दिष्ट क्षेत्र में नगर परिषद शामिल है। बस्ती, छाटे शहरी क्षेत्र में जिला बस्ती और आगे खंड के तहत अधिसूचित। (घ।) संविधान के अनुच्छेद—243 पी के अनुसार। नीचे अनुसूची—I में निर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने के बाद। अनुसूची— पप में निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त नगर पालिका परिषद का क्षेत्रीय क्षेत्र होगा। बस्ती, और जिला बस्ती, नगर पलिका परिषद, बस्ती, जिला बस्ती के क्षेत्र में शामिल किया जाने वाला क्षेत्र। विकास योजना के योजना क्षेत्र में बस्ती शहर और 69 गाँव शामिल हैं। गांवों की सूची अनुलग्नक के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर—प्रदेश शहरी योजना और विकास अधिनियम —1973 के प्रावधान के अनुसार बस्ती विकास क्षेत्र 2615.19 हेक्टेयर के लिए तैयार महायोजना।

क्र.सं.	साल।	घटना	अभिकरण
1	1865	बस्ती जिला का गठन किया गया था।	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
2	2001	2001-2021 की समय अवधि के लिए पहली बार महायोजना की गयी थी	बस्ती विकास प्राधिकरण

तालिका 2 बस्ती शहर का योजना

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011



- Area of Interest
- Basti Development Authority
- Basti New Nagarpalika Boundary
- Basti Old Nagarpalika Boundary

2.2 पिछली योजना पहल

बस्ती क्षेत्र के लिए की गई पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

महायोजना (2001–2021)

शहर के नियोजित और प्रभावी विकास के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2001-2021 तैयार की गयी थी। बस्ती विकास प्राधिकरण के महायोजना में दिए गए प्रस्ताव निम्नलिखित पैमाने पर आधारित हैं।

- 1) वर्ष 2021 के लिए ली गई प्रक्षेपित जनसंख्या 235000 है।
- 2) बस्ती के आसपास के क्षेत्र में गन्ने के खेतों की प्रचुरता के कारण, इसे चीनी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की संभावना है।
- 3) आपदा प्रबंधन नीति: कुचानो नदी के उत्तरी किनारे के पास 45 मीटर बाईपास का प्रस्ताव।

जनसंख्या प्रक्षेपण						
	नगर पालिका परिषद			ग्रामीण गांव		
	2001	2011	2021	2001	2011	2021
अंकगणित	107601	127831	148061	39575	50154	60733
ज्यामिति		132515	163197		54014	73718
वृद्धिशील		137255	175081		57083	82337
कुल	107601	397601	486339	39575	161251	216788
औसत		132534	162113		53750	72263

2.2.1 जनसंख्या

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011

कुल जनसंख्या प्रक्षेपण: $162113+72263=234376$ says 235000

2.2.2 घरेलू आकार

परिवारों का आकार और आवासीय इकाइयों की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार, बस्ती नगर की तालिका 3 जनसंख्या कुल जनसंख्या 87371 है, जिसमें आवासीय भवनों की संख्या 12592 है और परिवारों की संख्या 13337 है। इस प्रकार, उपरोक्त के आधार पर, बस्ती नगर में परिवार का औसत आकार 6.6 व्यक्तियों के लिए आता है। वर्ष 1991 में प्रति घर एक आवास इकाई की आवश्यकता के आधार पर 745 आवास इकाइयों की कमी थी। वर्ष 1991 में, यदि उपलब्ध आवास इकाइयों में से 10 प्रतिशत को जीर्णशीर्ण होने के कारण आवास के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो इस आधार पर उनकी संख्या 1259 हो जाती है। इन्हें भी शामिल करने के बाद, आवास इकाइयों की कमी, बस्ती शहर में आवास इकाइयों की कुल कमी 2004 में आती है। इसी तरह, वर्ष 2001 में, शहर की कुल आबादी 107601 है, आवासीय भवनों की संख्या 13479 है और परिवारों की संख्या 15823 है। इस दशक में औसत परिवार का आकार 6.8 व्यक्ति रहा है। इस प्रकार, प्रति परिवार एक आवासीय इकाई की आवश्यकता के मानक के आधार पर, वर्ष 2001 में शहर में 2344 आवासीय भवनों की कमी थी। यदि अधिकृत इमारतों की संख्या का 10% भवनों को जर्जर माना जाये तो आवासीय भवनों की कुल वास्तविक कमी 3692 हो जाती है।

2.2.3 घनत्व पैटर्न।

आवासीय घनत्व : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, बस्ती शहर का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति हेक्टेयर 55 व्यक्ति था। विभागीय सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 के अनुसार, शहर की कुल भूमि का कुल 44758 हेक्टेयर (8.75 प्रतिशत) वर्तमान में आवासीय उपयोग में के अधीन है। वर्ष 2001 में शहर की जनसंख्या 107601 थी और आधारित घनत्व, प्रति हेक्टेयर 240 व्यक्तियों का आवासीय घनत्व आता है। वर्ष 2021 के लिए प्रस्तावित जनसंख्या 235000 है, प्रति हेक्टेयर 225 व्यक्तियों का आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया था।

मौजूदा महायोजना (2006) में, सर्वेक्षण पर, कुल 5112.00 हेक्टेयर का क्षेत्र आता है, जिसमें अधिकतम क्षेत्र आवासीय/निर्मित क्षेत्र 447.58 हेक्टेयर और 28.96 हेक्टेयर का सबसे कम क्षेत्र वाणिज्यिक भूमि उपयोग के अंतर्गत आता है। वर्तमान भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण तालिका में दिखाया गया है।

क्रमांक संख्या	भूमि उपयोग प्रकार	मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर)	मौजूदा भूमि उपयोग (%)
1	आवासीय/निर्मित	447.58	8.75
2	व्यावसायिक	28.96	0.57
3	औद्योगिक	43.40	0.85
4	संस्थागत	97.56	1.91
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	39.48	0.77
6	यातायात एवं परिवहन	140.46	2.75
7	खुला स्थान / हिरतबफर	69.54	1.36
8	जल समिति	37.47	0.73
9	गांव (ग्रामीण आबादी)	75.51	1.48
10	कब्रिस्तान / स्वर्ग स्थान)शमशान(2.30	0.04
11	कृषि / अन्य	4129.74	80.79
	कुल	5112.00	100

तालिका 4 बस्ती मौजूदा भूमि उपयोग


स्रोत : बस्ती महायोजना 2021

क्रमांक संख्या	भूमिउपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयरमें)	प्रतिशत
1	आवासीय	1223.66	46.79
1.1	निर्मित	240.78	9.21
1.2	आवासीय	982.88	38.58
2	व्यावसायिक	163.95	6.27
2.1	सामान्य व्यापार	42.5	1.62
2.2	बजार क्षेत्र	22.18	0.85
2.3	जिला केंद्र	24.04	0.92
2.4	थोक व्यापार	5.51	0.21
2.5	नगर का केंद्र	33.16	1.27
2.6	खनिज साइडिंग	25.6	0.98
2.7	गोदाम	10.88	0.42
3	औद्योगिक	135.52	5.18
3.1	लघु उद्योग / सेवा उद्योग	102.08	3.9
3.2	बड़े पैमाने के उद्योग	8.8	0.34
3.3	आईटी पार्क	24.61	0.94
4	कार्यालयों	164.9	6.31
4.1	कार्यालय / जिला कार्यालय	139.3	5.33
4.2	जेल	25.6	0.98
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	140.55	5.37
5.1	शिक्षा	26.67	1.2
5.2	स्वास्थ्य सेवाएं	6.78	0.16
5.3	पुलिस मुख्यालय	4.48	0.17
5.4	दमकल केंद्र	3.04	0.12
5.5	डाक और संचार केंद्र	0.96	0.04
5.6	सामुदायिक सेवा	63.96	2.44
5.7	संस्थागत	34.66	1.32

क्रमांक संख्या	भूमिउपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयरमें)	प्रतिशत
6	सार्वजनिक सुविधाएं	20.14	0.77
6.1	उप केन्द्र	2.4	0.09
6.2	जलकल	1.42	0.06
6.3	सीवेज फार्म/	4.48	0.17
6.4	डंपिंग ग्राउंड	11.84	0.45
7	परिवहन	326.58	12.49
7.1	मौजूदा सड़क	119.7	4.58
7.2	प्रस्तावित सड़क	153.26	5.86
7.3	रेलवे लाइन / क्षेत्र	20.76	0.79
7.4	बसअड्डा	7.4	0.28
7.5	ट्रकअड्डा / परिवहन नगर	25.46	0.98
8	मनोरंजन	439.89	16.82
8.1	क्रीड़ागांगन	26.36	1.01
8.2	पार्क और खुली स्थान	186.13	7.12
8.3	हराबफर	227.4	8.69
	कुल	2615.19	100
9	अन्य	54.03	
9.1	जन निकाय	11.95	
9.2	ग्रामीण	40.25	
9.3	श्मशान	1.83	
	कुल	2669.22	

तालिका 5 बस्ती प्रस्तावित भूमि उपयोग 2021

स्नोत्र बस्ती महायोजना 2021



वित्र 4 महायोजना 2021

महायोजना में दी गई नीतियां इस प्रकार थीं

- उच्च तकनीक टाउनशिप और एकीकृत टाउनशिप नीति।
- वर्षा जल संचयन नीति।
- पर्यटन नीति।
- फिल्म नीति।
- औद्योगिक नीति।
- सूचना और प्रौद्योगिकी नीति।

2.2.4 बस्ती विचलन

नक्शा उस भूमि उपयोग को दर्शाता है जिसे बस्ती टाउन के अधिसूचित महायोजना

2021 के अनुसार लागू नहीं किया गया है। नीचे दी गई तालिका भूमि उपयोग के विचलन वाले क्षेत्रों को दर्शती है



चित्र 5 बस्ती शहर का विचलन

Sr.No	Proposed Landuse 2021(OMP)				Development in Favour of Proposed Landuse																				Development against Proposed Landuse		Total Developed Area	Vacant Plot	Undeveloped	Total Area					
	Class	Area(Ha)	Sub-Class	Gis Based Area	Residential	Mixed	Commercial	Industrial	Govt.	Educational	Public & Semi Public	Health Services	Public Utilities	Transportation	Railway	Recreational	Green Areas	Water Bodies	Villages	Agricultural	Others	Vacant Land	Wet Lands	Wasteland	Area	Percentage	Area	Percentage							
1	Residential	1361.07	Built Up Area Residential (Avasiya)	261.619 1099.449	219.21	232.15	20.85	2.02	7.85	15.87	8.35	3.13	0.74	44.55	0.93	1.74	37.19	18.49	18.34	414.11	15.2	183.97	7.06	109.32	219.21	16.11	338.18	24.85	557.39	183.97	803.68	1361.07			
	Mixed	0.00	Mixed																							0	0.00	0	0.00	0	0	0.00			
2	Commercial	156.84	General Business	47.140																															
			Petrol Pump	0.273																															
			CBD	20.110																															
			Wholesale	7.904	15.64	15.23	6.95	1.71	1.28	1.57	0.37	0.48		3.88	0.07	0.54	2.89	4.34	1.25	67.67	0.85	20	1.75	10.41	6.95	4.43	40.77	25.99	47.72	20	109.16	156.88			
			City Centre	44.422																															
			Mineral Site	23.389																															
3	Industrial	155.81	Small Scale Industry	126.994																															
4	Government	170.67	Large Scale Industry	11.890	5.59	5.21	7.96	24.38	0.35	0.58	0.24	0.1		4.39	0.01		5.09	1.93	4.01	74.96	0.1	6.23			14.68	24.38	15.65	24.43	15.68	48.81	6.23	107	155.81		
			J.T Park	16.925																															
			Office	164.755	15.82	10.32	4.45	0.67	35.92	2.22	7.82	0.36	1.62	6.06		0.46	10.48	0.78	1.92	36.06		16.2	0.03	19.48	35.92	21.05	49.8	29.18	85.72	16.2	84.95	170.67			
			Jail	5.919																															
5	Public & Semi-Public	136.49	Educational	28.585																															
			Hospital	9.257																															
			Police Station	6.907																															
			Fire Station	5.916	15.25	8.13	4.93	0.01	5.32	17.97	2.05	3.97	0.05	4.23		0.19	2.26	2.22	0.01	40.03	1.38	16.72	0.56	11.21	23.99	17.58	38.11	27.92	62.1	16.72	74.39	136.49			
			Post Office	1.380																															
			Community Facilities	70.148																															
			Institutional	14.298																															
6	Public Utilities	19.25	Electrical Station	2.009																															
			Jalkal	1.054	0.23	1.44			0.04		0.12			0.3				0.84	0.44		13.9		0.26		1.68	0	0.00	4.26	22.13	2.13	0.26	17.12	19.25		
			Sewarage Farm	3.004																															
			Dumping Ground	13.183																															
7	Transportation	331.21	Road	267.840																															
			Railway Property	37.335	15.66	38.84	19.86	0.46	2.64	3.08	1.61	0.92	0.15	67.15	21.52	0.1	6.37	3.49	3.01	84.71	0.73	20.41	3.51	36.99	88.67	26.77	83.32	25.16	171.99	20.41	159.22	331.21			
			Bus Station	7.206																															
			Truck Turnimal	18.834																															
8	Recreational	434.16	Garden	52.610																															
			Park & Open Space	149.507	26.4	22.67	7.38	4.6	5.1	8.05	0.78	0.09	1.05	8.3		3	18.41	6.07	3.48	215.62	0.9	36.82	6.68	58.71	21.41	4.93	84.42	19.44	87.42	36.82	346.69	434.11			
			Green Belt/ Green Buffer	232.041																															
9	Others	88.48	Water Bodies	41.798																															
			Gramin Abadi	44.336	20.98	9.73	0.04	0.01	0.12	0.09	0.27	0.03		1.99				2.28	38.15	3.84	3.6	1.72	1.88	0.19	3.57	43.71	49.40	35.54	40.17	33.26	1.88	55.23	88.49		
			Cremation / Cemetery	2.344																															
TOTAL		2853.98		2765.544	334.78	343.72	72.42	33.86	58.62	49.43	21.61	9.08	3.61	140.85	22.53	6.03	85.81	75.91	35.86	950.66	20.88	302.49	19.78	266.05	464.24										2853.98
10	Agricultural				21.15	14.18	7.49	1.67	0.03	7.59	0.63	0.35	0.31	26.36	0.25	0.66	51.61	17.69	65.5	894.43	15.68	20.71	1.23	184.18	1100.55									20.71	
TOTAL				355.93	357.9	79.91	35.53	58.65	57.02	22.24	9.43	3.92	167.21	22.78	6.69	137.42	93.6	101.36	1845.09	36.56	323.2	21.01	450.23	1564.79	698.83									1096.54	

तालिका 5 विचलन

3. मौजूदा स्थिति

3.1 जनसांख्यिकी

किसी भी शहर की योजना और भौतिक विकास उसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना जैसे वाणिज्य और व्यापार, उद्योग और सामुदायिक सुविधाओं आदि की स्थिति पर आधारित है। शहर के नियोजित विकास की योजना का निर्धारण करने के लिए, वर्तमान आबादी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही, शहरी आबादी के गुणात्मक और कम्प्यूटेशनल प्रकृति का एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर, नियोजन अवधि के लिए विभिन्न उपयोगों के तहत भूमि और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, टाउनशिप शहरी क्षेत्र की आबादी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है।


बस्ती विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार, बस्ती की जनसंख्या 1,14,657 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या लगभग 52% और महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 48% है।

बस्ती विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या			
	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011
नगर सीमा	87371	107601	114657
69 गांवों को एनपीपी में शामिल करने का प्रस्ताव	38785	52039	67113
शहरीकरण योग्य गांव	19311	24369	28235
राजमार्ग के साथ	24207	30602	35602
ग्रामीण	39697	49030	56992

तालिका 6 बस्ती विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011



ग्राफ 1 बस्ती पुरुष बनाम महिला

3.1.1 पिछले दस वर्षों के लिए विकास के रुझान।


बस्ती विकास प्राधिकरण की जनसंख्या की पिछली प्रवृत्ति भविष्य की जनसंख्या के आँकड़े दे सकती है। नियोजन अवधि के दौरान विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने के लिए, शहर की पिछली जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्ति का अध्ययन करना आवश्यक है।

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि	दशकीय वृद्धिदर (%)
1971	49635		
1981	69465	19830	39.95%
1991	87371	17906	25.77%
2001	107601	20230	23.15%
2011	114657	7056	6.55%

तालिका 7 दशकीय वृद्धि दर
स्रोत – भारत की सूची जनगणना 2011

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार बस्ती नगर की जनसंख्या 49635 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 69465 हो गई। इसी तरह, 1991 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 87371 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 107601 हो गई। इस प्रकार, 1971–1981 के दशक में 39.95 प्रतिशत की वृद्धि, 1981–1991 में 25.78 प्रतिशत और 1991–2001 में 68.44 प्रतिशत और 2001–2011 में 6.56 प्रतिशत परिलक्षित हुई। इससे स्पष्ट है कि लगातार दशकों में इस शहर की जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में गिरावट के बाद वृद्धि हुई है। लेकिन नव निर्मित डिवीजनल मुख्यालय के गठन के बाद, जनसंख्या वृद्धि की अधिक संभावना है।

बस्ती शहरी क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन नीचे ग्राफ में दिखाया गया है।



ग्राफ 2 बस्ती शहर की दशकीय जनसंख्या


उम्र, लिंग, साक्षरता और घरेलू आकार के आधार पर सौजूदा संरचना।

3.1.2 लिंग अनुपात।

जनसंख्या का लिंग अनुपात जन्म, मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास दर को प्रभावित करता है और इससे प्रभावित होता है। इसे एक लिंग के व्यक्तियों की संख्या के दूसरे लिंग के अनुपात के रूप में या प्रत्येक में आवंटन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। महिलाओं और पुरुषों की सापेक्ष उत्तरजीविता और जनसंख्या की भावी प्रजनन क्षमता। नीचे दी गई तालिका शहर के लिंगानुपात को दर्शाती है

शहर	लिंगअनुपात		
	1991	2001	2011
बस्ती (शहरी)	855	886	908

तालिका 8 बस्ती का लिंगानुपात



ग्राफ 3 बस्ती का लिंगानुपात


2001 की तुलना में 2011 में लिंग अनुपात में थोड़ा सुधार दिखलायी पड़ता है। इस लाभ को महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार और महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसरों की उपलब्धता का परिणाम कहा जा सकता है। लेकिन इस विकास पर किसी भी प्रकार की शिथिलता को इस तथ्य से नकारा जाना चाहिए कि भिन्नता बहुत तीव्र है।

3.1.3 साक्षरता दर।

साक्षरता दर सामाजिक-आर्थिक प्रगति की कुंजी है। साक्षरता व्यक्तियों के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाती है जो उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से समझने और उचित रूप से जवाब देने में सक्षम बनाती है। शिक्षा और साक्षरता के उच्च स्तर से अधिक जागरूकता पैदा होती है और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार में भी योगदान होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 73.6% है। नीचे दी गई तालिका में कुल साक्षर और निरक्षर हैं

क्रमांक	शहर का नाम	साक्षरों की संख्या			निरक्षरों की संख्या			साक्षरतादर (%)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	बस्ती (नगर)	84,389	47,036	37,353	30268	13059	17209	73.6%	41%	32%

तालिका 9 बस्ती की साक्षरता दर



ग्राफ 4 साक्षरता दर


चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पुरुष के विनियमित क्षेत्र की साक्षरता दर 41% है जो शहरी क्षेत्र में कुल साक्षरता दर (84,389) में से 32% महिला साक्षरता दर से अधिक है। इसलिए, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 9% का अंतर है।

महिलाओं की कुल आबादी में से जो 48% (54,562) है, केवल 32% महिलाएं साक्षर हैं और 16% निरक्षर हैं, यह अंतर संभवतः इसलिए है क्योंकि शैक्षिक अवसर महिलाओं की पहुंच न होने के कारण अथवा इस कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं घरेलू काम ज्यादा करती हैं।

क्रमांक संख्या	बस्ती का नाम	साक्षरों की संख्या			निरक्षरों की संख्या			साक्षरता दर (%)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	बस्ती (ग्रामीण)	110581	66081	44500	77407	32096	45311	58.84%	35.16%	23.68%

चित्र 6 बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर

स्त्रोत – भारत की स्त्रोत जनगणना 2011



ग्राफ 5 ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर

पाई चार्ट से यह देखा जा सकता है कि पुरुष के ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर 35% है जो ग्रामीण क्षेत्र में कुल साक्षरता दर (110581) में से 24% महिला साक्षरता दर से अधिक है। इसलिए, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 11% का अंतर है।

अनुमान

साक्षरता सबसे आशाजनक पहलुओं में से एक है, हालांकि बस्ती में 73% साक्षर हैं जो जिले के औसत 82% से कम है। साथ ही, पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर में 10% का अंतर है जिसे एसएचजी या गैर सरकारी संगठनों की मदद से शिक्षा के महत्व के साथ उचित नीतियां और ज्ञानवर्धक महिलाओं को प्रदान करके पूरा किया जाना है।

प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास के माध्यम से हाल के रुझान।


3.1.4 प्रवास।

2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती में प्रवासियों की कुल संख्या 43444 है, जिसमें 36.8% (15632) पुरुष हैं और 64% (27812) महिलाएं हैं।

शहर का नाम	2001			2011		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	24602	8290	16312	43444	15632	27812


तालिका 10 बस्ती में अप्रवासी

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011



ग्राफ 6 महिला बनाम पुरुष आप्रवास

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि महिला प्रवासियों की संख्या 2001 में 64% से बढ़कर 2011 में 66% हो गई है, जबकि पुरुष प्रवासियों की संख्या 2011 में 35.98% से घटकर 33.70% हो गई है। कारण को सही ठहराने के लिए इसके पीछे कारणों का विश्लेषण नीचे दिखाया गया है।




ग्राफ 7 अप्रवासन

शहर का नाम	आप्रवासन के कारण						
	कामगार / रोजगार	व्यवसाय	शिक्षा	विवाह	जन्म के बाद आगमन	घर के साथ आगमन	अन्य
बस्ती	4845	515	1319	18270	1678	8907	7910

तालिका 11 आप्रवासन के कारण

स्रोत - भारत की स्रोत जनगणना 2011



ग्राफ 8 आप्रवासन के कारण

इसलिए, ऊपर के आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि विवाह की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं बस्ती में आई (42%) और 11% लोग रोजगार के कारण चले गए हैं जबकि केवल 1% लोग व्यापार के लिए आये। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि बस्ती में आर्थिक अवसरों की कमी है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

शहर के भीतर मौजूदा घनत्व पैटर्न

कस्बे का कुल क्षेत्रफल 1943 हेक्टेयर है और शहर की कुल जनसंख्या 114657 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती में कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 59 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। ग्रामीण क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13558 हेक्टेयर है और ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 187942 है। जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 13.9 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार जनसंख्या घनत्व अनुबंध में दिखाया गया है।

कार्यकर्ता प्रोफाइल

विकासशील देशों में श्रम शक्ति परिवर्तन के किसी भी विश्लेषण में जनसांख्यिकीय और गैर-जनसांख्यिकीय कारक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। जनसांख्यिकीय कारकों के तहत जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर सीधे कार्य भागीदारी दरों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, एक अर्थव्यवस्था विकसित करने के प्रारंभिक प्रयास, स्कूल नामांकन का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं, बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ कार्य भागीदारी दरों में गिरावट और बेरोजगारी दर में वृद्धि हो सकती है (रायप्पा और एर्फनशेड: 1975)

कार्य भागीदारी दर


एक शहर का विकास उसके कार्यबल की भागीदारी पर निर्भर करता है। इसलिए, किसी शहर के कार्यबल को मजबूत करना उसके आर्थिक विकास को मजबूत जड़ प्रदान करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य भागीदारी दर (WPR), जिसे कुल श्रमिकों के कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, 26.6% है। पूरे बर्स्टी जिले की कार्यबल भागीदारी दर लगभग 32% है और 2011 की जनगणना के अनुसार बर्स्टी विनियमित क्षेत्र में केवल 26.6% कामकाजी आबादी है। विनियमित क्षेत्र की लगभग 73% आबादी या तो काम नहीं कर रही है या काम करने की स्थिति में नहीं है

शहर का नाम	कुल जनसंख्या			कुल कामगार			गैर कामगार		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बर्स्टी	1,14,657	60,095	54,562	30,599	25,808	4,791	84,058	34,287	49,771


चित्र 7 बर्स्टी शहर के कुल कार्यकर्ता और गैर-श्रमिक

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011

कार्यबल भागीदारी



कार्यकर्ता बनाम गैर-कार्यकर्ता




ग्राफ 9 विनियमित क्षेत्र की कार्य बल भागीदारी

जनगणना 2011 के अनुसार कार्य बल वितरण नीचे दिखाया गया है और यह दर्शाता है कि पुरुष कार्य बल की भागीदारी की तुलना में महिला कार्यबल बहुत कम है। इस प्रकार यह पाई चार्ट से देखा जाता है कि 26% श्रमिकों में से, 22% पुरुष श्रमिक हैं जबकि महिला श्रमिक केवल 4% हैं। महिला रोजगार शिक्षा, लिंग नीतियों, सामाजिक मानदंडों और रोजगार सृजन की प्रकृति जैसे कारकों की एक श्रृंखला से प्रेरित है।

2011 की जनगणना के अनुसार बर्स्टी ग्रामीण क्षेत्र में केवल 31% कामकाजी आबादी है। और गाँव (ग्रामीण) की लगभग 69% आबादी या तो काम नहीं कर रही है या काम करने की स्थिति में नहीं है।

शहर का नाम	कुल कार्यकर्ता गैर-कार्यकर्ता			कुल कार्यकर्ता गैर-कार्यकर्ता		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	58627	44476	14151	129361	53701	75660

तालिका 12 कुल कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के गैर-कार्यकर्ता



ग्राफ 10 ग्रामीण क्षेत्र की कार्यबल भागीदारी


जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का कार्य बल वितरण ऊपर दिखाया गया है और यह दर्शाता है कि पुरुष कार्य बल की तुलना में महिला कार्यबल बहुत कम है। इस प्रकार, यह पाई चार्ट से देखा जाता है कि 31% श्रमिकों में से, 24% पुरुष श्रमिक हैं जबकि महिला श्रमिक केवल 7% हैं।

कार्य बल और विकास में महिलाओं की भागीदारी के बीच संबंध जटिल है और आर्थिक गतिविधि, शैक्षिक प्राप्ति, प्रजनन दर, सामाजिक मानदंडों और अन्य कारकों में परिवर्तन को दर्शाता है। महिला कार्य बल की भागीदारी बढ़ाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

लिंग-उत्तरदायी नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं बेहतर नौकरियों तक पहुंचने या व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हों, और आर्थिक विकास का लाभ उठा सकें। अंततः, लक्ष्य केवल महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सभ्य काम के अवसर प्रदान करने के लिए है, जो बदले में, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान करेगा।

विनियमित क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी में परिवर्तन की पहचान करने के लिए, अतीत और वर्तमान डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है। नीचे दिया गया ग्राफ 2001 और 2011 में महिला श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है।

महिला कार्यबल प्रवृत्ति



ग्राफ 11 महिला कार्यबल प्रवृत्ति

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा गया है कि महिला कार्य भागीदारी दर 2001 में 2.4%, से थोड़ा सुधार होकर 2011 में 4.4% हुआ है पुरुष की तुलना में। भूमि, क्रेडिट, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल जैसे उत्पादक संसाधनों के असमान पहुंच, नियंत्रण और स्वामित्व के साथ असमान कार्य बोझ्य घर के भीतर खपत संसाधनों का असमान वितरण पुरुषों से महिलाओं को अलग करने वाले प्रमुख कारक हैं। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों तक पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के निर्माण खंड हैं।

3.1.5 कार्यबल भागीदारी की प्रवृत्ति

विनियमित क्षेत्र में कार्य बल की भागीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए पिछले कार्य बल भागीदारी विश्लेषण और तुलना की आवश्यकता है। इसलिए, नीचे दी गई तालिका भारत की जनगणना के अनुसार 2001 में विनियमित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है।

श्रमिकों की कुल संख्या			
वर्ष	1991	2001	2011
बस्ती	20870	24923	30599

ग्राफ 12 बस्ती विनियमित क्षेत्र में कुल श्रमिक

ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार यह देखा गया है कि कुल आबादी के 2011 में श्रमिक केवल 26.6% हैं जो 2001 में 23.6% से बढ़ा है। यह लाभ संभवतः प्रवास में वृद्धि या रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण है। जबकि 2001–2011 के दौरान पुरुषों के लिए काम की भागीदारी दर 21% से बढ़कर 23% हो गई, महिलाओं के लिए यह संबंधित अवधि के दौरान 2% से 4% तक थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि, विनियमित क्षेत्र के भीतर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, स्टार्टअप्स या किसी अन्य सूक्ष्म या छोटे पैमाने पर उद्योग के श्रमिकों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जो शहर में कार्य भागीदारी दर बढ़ा सकते हैं।

3.1.6 श्रमिक श्रेणी


जनगणना 2011 के अनुसार, श्रमिकों की प्रोफाइल को तीन श्रेणियों जैसे कि मुख्य श्रमिकों, सीमांत श्रमिकों और गैर श्रमिकों में विभाजित किया गया है।

मुख्य कार्यकर्ता वे थे जिन्होंने वर्ष के प्रमुख भाग के लिए काम किया था, जो कि गणना की तारीख से पहले यानी, जो 183 दिनों (या छह महीने) या वर्ष के दौरान किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे। सीमांत कार्यकर्ता वे थे जिन्होंने किसी भी समय वर्ष में काम करने से पहले काम किया था, लेकिन वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए काम नहीं किया, अर्थात् जो 183 दिनों से कम (या छह महीने) से कम काम करते थे और अन्य स्थानों पर भी पलायन करते थे। काम, गैर-कार्यकर्ता वे थे जिन्होंने वर्ष में किसी भी समय काम नहीं किया था, जो गणना की तारीख से पहले था। इन श्रेणियों को तब चार उप श्रेणियों जैसे कि काश्तकार, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग श्रमिकों और अन्य श्रमिकों में वर्गीकृत किया जाता है।

शहर का नाम	मुख्य कार्यकर्ता			सीमांत कार्यकर्ता		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	23,124	20,098	3,026	7,475	5,710	1,765

तालिका 13 विनियमित क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011




ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि शहर में मुख्य कार्यकर्ता 76% हैं, जिनमें से 66% पुरुष हैं और 10% महिलाएं हैं और सीमांत श्रमिक केवल 24.4% हैं।

शहर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती (ग्रामीण)	34796	28664	6132	23831	15812	8019

ग्राफ 14 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011



ग्राफ 15 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक


ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यकर्ता 59% हैं, जिनमें से 49% पुरुष हैं और 10% महिलाएँ हैं और सीमांत श्रमिक केवल 59% हैं।

क्रमांक संख्या	श्रेणी	मुख्य कामगार		सीमांत कामगार	
		2001	2011	2001	2011
1	बस्ती	24519	23124	4406	7475

तालिका 14 मुख्य और सीमांत कामगार

स्रोत - भारत की स्रोत जनगणना 2011

मुख्य और सीमांत श्रमिकों का रुझान



ग्राफ 16 मुख्य और सीमांत श्रमिकों का रुझान

उपरोक्त चार्ट से यह देखा गया कि बस्ती में श्रमिकों की कुल संख्या 2001 में 23.6% से बढ़कर वर्ष 2011 में 26.6% हो गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सीमांत श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि के कारण है जिसने 4.09% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है 2001 में 2011 में 6.95%।

अनुमान

ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि बस्ती के शहरी क्षेत्रों में लोगों को किसी भी समय काम करने में अधिक रुचि है, जो कि वर्ष में किसी भी समय काम करने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए काम नहीं करते थे।

यावसायिक संरचना

भारत की जनगणना के अनुसार, आर्थिक गतिविधि को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

कल्पीवेटर: को स्वामित्व वाली भूमि की खेती में लगे व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है या सरकार से आयोजित किया जाता है या निजी व्यक्तियों या संस्थानों से पैसे, या किसी प्रकार का शेयर में भुगतान के लिए आयोजित किया जाता है। खेती में खेती में प्रभावी पर्यवेक्षण या दिशा शामिल है। एक व्यक्ति जिसने किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था को अपनी जमीन दी है, जो पैसे के लिए खेती के लिए या फसल की तरह की खेती के लिए है और जो भूमि पर खेती भी नहीं करता है, उसे खेती भी नहीं करता है, उसे किसान के रूप में नहीं माना जाता है।

कृषि मजदूर : एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर पैसे या किसी प्रकार का शेयर में काम करता है, उसे एक कृषि मजदूर माना जाता है। उसे खेती में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन केवल मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर काम करता है। एक कृषि मजदूरों के पास भूमि पर पहुंच या अनुबंध का कोई अधिकार नहीं है जिस पर वह काम करता है।

घरेलू उद्योग कार्यकर्ता : घरेलू उद्योग को घर पर या ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव के भीतर और केवल घर के पूर्ववर्ती घर के भीतर घर के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा संचालित उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहां घर शहरी क्षेत्रों में रहता है। घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में घर के सदस्य होते हैं। उद्योग को एक पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं चलाया जाता है, जहां बिजली के 10 से अधिक व्यक्ति या बिजली के 20 व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह योग्य होगा या भारतीय कारखानों अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा। शहरी क्षेत्रों में भी एक घरेलू उद्योग का मुख्य मानदंड एक घर के एक या अधिक सदस्यों की भागीदारी है। यहां तक कि अगर उद्योग वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर स्थित नहीं है, तो घर के सदस्यों के भाग लेने की अधिक संभावना है, भले ही यह गाँव की सीमा के भीतर कहीं भी स्थित हो। शहरी क्षेत्रों में, जहां संगठित उद्योग अधिक प्रमुखता लेता है घरेलू उद्योग को उस घर के पूर्ववर्ती तक सीमित किया जाना चाहिए जहां प्रतिभागी रहते हैं।


अन्य कार्यकर्ता : संचालनकर्ताओं, कृषि मजदूरों या घरेलू उद्योग में श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिक, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, उन्हें 'अन्य श्रमिकों' (OW) के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार के श्रमिकों के उदाहरण सरकारी नौकर, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के श्रमिक, वृक्षारोपण कार्यकर्ता, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारियों, मनोरंजन कलाकारों, आदि में लगे हैं। हमने देखा है कि पाइ चार्ट में मुख्य और बस्ती के सीमांत श्रमिक क्रमशः 75% और 24.4% हैं। इसके अलावा, दोनों मुख्य और सीमांत श्रमिकों को खेती करने वाले, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग कार्यकर्ता और अन्य में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, दोनों मुख्य और सीमांत श्रमिकों को खेती करने वाले, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग कार्यकर्ता और अन्य में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, बस्ती में श्रमिकों का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

मुख्य कामगार

क्रमांक संख्या	श्रेणी	मुख्य कामगार	कृषक	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग	कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्ता
1	बस्ती	23124	405	643	1150	20926
			पुरुष महिला	पुरुष महिला	पुरुष महिला	पुरुष महिला
			358 47	552 91	888 262	18300 2626

तालिका 15 व्यावसायिक संरचना


मुख्य कार्यकर्ता श्रेणियां



■ Cultivators ■ Agricultural Labourers ■ Household industry ■ other


ग्राफ 17 मुख्य कार्यकर्ता श्रेणियां

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मुख्य कार्यकर्ता (90%) सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, वृक्षारोपण श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण में लगे रहने वाले लोगों से जुड़े हैं। यह देखा जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार शहर में कृषि मजदूर केवल 2.70% हैं और काश्तकार कुल कामकाजी आबादी का केवल 1.75% है।



ग्राफ 18 2001 और 2011 में मुख्य श्रमिकों की तुलना (पुरुष)

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2011 में पुरुष श्रमिकों (मुख्य) की संख्या में 2001 में कुल पुरुष श्रमिकों की तुलना में काश्तकारों, कृषि मजदूरों और घरेलू उद्योग श्रमिकों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।



ग्राफ 18 2001 और 2011 में सीमांत श्रमिकों की तुलना (पुरुष)


उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2011 में 2001 की तुलना में महिला श्रमिकों (मुख्य) की संख्या में खेती करने वालों, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग के श्रमिकों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और अन्य कार्यकर्ता श्रेणी में एक बड़ी वृद्धि देखी जाती है जिसमें सरकार शामिल है नौकर, नगरपालिका के कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकारों, आदि में लगे हुए हैं।

सीमांत कार्यकर्ता

क्रमांक संख्या	विनियमित क्षेत्र का नाम	सीमांत कामगार	किसान	कृषि मजदूर	घरेलू उद्योग कार्यकर्ता	अन्य कार्यकर्ता
1	बस्ती	7475	129	1227	491	5628
			पुरुष महिला	पुरुष महिला	पुरुष महिला	पुरुष महिला
			108 21	935 292	367 124	4300 1328


तालिका 16 सीमांत कार्यकर्ता की व्यावसायिक संरचना

सीमांत कार्यकर्ता श्रेणियां




उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश सीमांत श्रमिक अर्थात् 75% सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकार, आदि और कम से कम सीमांत श्रमिक कृषक और घरेलू उद्योग कार्यकर्ता हैं। जबकि लगभग 16.40% सीमांत श्रमिक खेतिहार मजदूर हैं।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि बस्ती की अधिकांश कामकाजी आबादी विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शामिल है जबकि बहुत कम कृषि क्षेत्रों से जुड़ी है।




ग्राफ 19 मुख्य महिला श्रमिकों की तुलना (2001 और 2011)

ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2011 में 2001 की तुलना में सभी कामकाजी क्षेत्रों में पुरुष सीमांत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई।



ग्राफ 20 सीमांत महिला कार्यकर्ताओं की तुलना (2001 और 2011)

ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001–2011 के दशक में, पुरुष सीमांत श्रमिकों के विपरीत, महिला सीमांत श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिक वर्ग में प्रमुख रूप से बढ़ी है जो की 2011 में 17.5% है व 2001 में 5.2% था और कृषि और घरेलू उद्योग क्षेत्र में कमी आई है।



निष्कर्ष

ग्राफ 21 काम के प्रकार

अतः यह कहा जा सकता है कि बस्ती के श्रमिक कृषि या घरेलू उद्योगों की तुलना में नौकरियों में अधिक लिप्त हैं। इसके अलावा, मुख्य और सीमांत दोनों तरह की बस्ती महिला श्रमिक सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक में लगी नौकरियों में अधिक जुड़ी हुई हैं। कृषि और घरेलू उद्योगों के क्षेत्र के अलावा काम, मनोरंजन कलाकार, आदि। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बस्ती में अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

3.1.5 आवास।

मुख्य रूप से भोजन, जल, वस्त्र और आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। किसी भी शहर क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का आवासीय स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और ग्रामीण आबादी के प्रवासन और जनसंख्या वृद्धि के कारण, इन शहरी क्षेत्रों में दिन–दिन आवासीय सुविधाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, क्योंकि आप्रवासन के अनुपात में शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी है। लगभग सभी शहरों में आवासीय भवनों की कमी है और अलग शौचालय / स्नान घर और रसोई जैसी अन्य आवासीय सुविधाओं की कमी है। ऐसी स्थिति में आदमी मलिन बस्तियों और प्रदूषित वातावरण में रहने के लिए मजबूर होता है।

उपरोक्त वर्णित इन समस्याओं से बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र भी प्रभावित है। आवासीय समस्याओं में आवास इकाइयों की कमी के साथ–साथ आवास की स्थिति, अस्वास्थ्यकर वातावरण और बुनियादी आवश्यक सुविधाओं की कमी शामिल है। शहर में आवासीय विकास मुख्य रूप से पुराने बस्ती क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र और बस्ती–गोरखपुर सड़क पर हुआ है। शहर का सबसे धना और पुराना आवासीय क्षेत्र ओल्ड बस्ती, पांडे बाजार और चौक क्षेत्र में आता है। पुराने बसावट क्षेत्र में खुले स्थानों की पूरी कमी है और यहां कनेक्टिविटी भी संभव है। इस शहर में आवासीय विकास अराजक और अनियंत्रित तरीके से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आवासीय क्षेत्रों में अन्य गैर–आवासीय विकास के कारण और मिश्रित भूमि उपयोग के कारण, यातायात जमाव, संकरी सड़कों, खुले स्थानों के अभाव, बेतरतीब तरीके से उच्च घनत्व वाला विकास योजना से संबंधित समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं।

3.1.6 आकार, स्थिति के आधार पर मौजूदा स्थिति का विश्लेषण।

3.1.6.1 परिवारों का आकार और आवासीय इकाइयों की संख्या:

1991 की जनगणना के अनुसार, बस्ती नगर की कुल जनसंख्या 87371 थी, जिसमें आवासीय भवनों की संख्या 12592 थी और परिवारों की संख्या 13337 थी। इस प्रकार, ऊपर के आधार पर, बस्ती नगर में परिवार का औसत आकार 6.6 व्यक्तियों के लिए आता है। वर्ष 1991 में प्रति घर एक आवास इकाई की आवश्यकता के आधार पर 745 आवास इकाइयों की कमी थी। वर्ष 1991 में, यदि उपलब्ध आवास इकाइयों में से 10 प्रतिशत को जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवास के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो इस आधार पर उनकी संख्या 1259 हो जाती है। इन्हें भी शामिल करने के बाद, आवास इकाइयों की कमी, बस्ती शहर में 2021 हो जाती है। इसी तरह, वर्ष 2011 में, शहर की कुल आबादी 114657 थी, आवासीय भवनों की संख्या 17894 थी और परिवारों की संख्या 19109.5 थी। इस दशक में औसत परिवार का आकार 6 व्यक्तियों का रहा है। इस प्रकार, प्रति परिवार एक आवासीय इकाई की आवश्यकता के मानक के आधार पर, वर्ष 2021 में शहर में आवासीय भवनों की कमी थी।

3.1.6.2 परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

बस्ती नगर में छोटी इमारतों की बहुतायत के कारण, आवास के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग रसोई, बाथरूम और शौचालय की सुविधाओं की कमी है। शहर के लगभग 5 प्रतिशत घरों में अलग रसोईघर है, 3 प्रतिशत में एक अलग बाथरूम है और 2 प्रतिशत में अलग शौचालय की सुविधा है।

3.1.6.3 नई आवास निर्माण दिशानिर्देश।

नगर निगम क्षेत्र / विकास क्षेत्र / औद्योगिक क्षेत्र में आने वाले सभी नए विकास / भवन निर्माण / कालोनियों के लिए दिशा निर्देश:

किसी भी निचले / जल-जमाव प्रवण क्षेत्रों में तलघर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

प्राकृतिक सतत शहरी जल निकासी प्रणाली (एसयूडीएस) को जोनल योजनाओं को लागू करते समय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एसयूडीएस पारंपरिक पाइप वाली प्रणाली ओपन / क्लोज्ड की तुलना में अधिक टिकाऊ तरीके से सतह के पानी के अपवाह का प्रबंधन करती है। हालांकि, इन प्राकृतिक एसयूडीएस को कचरे के उंपिंग का स्थान नहीं देना चाहिए।

सभी नए भवनों / भवन परिसरों के लिए जिनका जुड़ा हुआ भार 100 से अधिक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के तहत विभिन्न प्रावधानों पर भी विचार करने की सिफारिश की गई है।

पानी और बिजली के मीटरों को अनुमानित तल स्तर से ऊपर लगे होना चाहिए और विद्युत सॉकेट को बाढ़ के स्तर से ऊपर स्थापित किया जाना चाहिए। इसी तरह, टेलीफोन, टी वी, इंटरनेट आदि के लिए वायरिंग। क्षति को रोकने के लिए वितरण नलिकाओं में उपयुक्त इन्सुलेशन द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए।

एकल चीली रणनीती के रूप में सभी नए निर्माणों के लिए और देवत्स, अन्य उपयुक्त विकेन्द्रीकृत ग्रे वाटर / ब्लैक वाटर उपचार प्रणाली के लिए सुधारित सेटिंग टैंक का प्रस्ताव देने का सुझाव दिया जाता है, जिनमें अधिक पूजी नहीं लगती / सोख्ता गड्ढों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि शहर में भूजल स्तर ऊँचा है और इन सोख्ता गड्ढ से अनउपचारित मलजल रिसाव से जल के दूषित होने की संभावना बहुत अधिक होती है।

3.1.6.4 आवासीय निर्माण संस्थान

आवास विकास परिषद द्वारा विनियमित क्षेत्रों में कलेक्ट्रेट की उत्तर दिशा में आवास विकास कालोनी का निर्माण करवाया गया है। वर्तमान में कुल आवास इकाइयों की लगभग प्रतिशत इकाइयों का निर्माण व्यक्तिगत स्तर पर अनियोजित तरीके से कर लिया गया है।

3.2 यातायात और परिवहन

किसी भी शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रभावी परिवहन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। विनियमित क्षेत्र में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को छोड़कर । 28 (गोरखपुर – बस्ती – फैजाबाद), अन्य सड़कों का विकास संकीर्ण और अनियोजित है, जिसके परिणाम स्वरूप यातायात की गति में कई अवरोध उत्पन्न होती हैं। शहर के विभिन्न स्थानों और गतिविधियों में सुगम और सुविधाजनक सम्पर्क के लिए, यह आवश्यक है कि उनके बीच अच्छी तरह से जुड़े यातायात के मार्गों को विकसित / निर्मित किया जाए। बस्ती नगर में स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली सड़कों की कुल लंबाई 149 किमी है, जिनमें से 65 किमी पक्की सड़कें बनी हैं। बस्ती नगर की विभिन्न सड़कों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

आकार, स्थिति के आधार पर मौजूजा स्थिति का विश्लेषण और पर्याप्तता (नगर क्षेत्र के आपदा मानचित्र में प्रयोग में लाया जा सकता है)

इस श्रेणी में उन सड़कों को रखा गया है, जो या तो बस्ती नगर को जिला सीमा के बाहर के शहरों/ क्षेत्रों से या जिला सीमा से जोड़ती हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अन्य शहरों/ कस्बों से जुड़ने का काम करें। बस्ती शहरी क्षेत्र का विकास मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के दोनों ओर के क्षेत्रों में हुआ है। 28 (गांधी मार्ग) और एनएच 233 और मालवीय रोड, गाँधीनगर रोड के दोनों किनारों पर हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के निर्माण के बाद, नगर के बाहर की शहर के बाहर सभी क्षेत्रीय / मुख्य शहरी सड़कों नवनिर्मित बाईपास मार्ग से गुजरना शुरू कर दिया है। जबकि इस सड़क के पुराने हिस्से (गांधी नगर) का उपयोग मुख्य स्थानीय सड़क के रूप में किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मार्गों का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:


- फैजाबाद – बस्ती – गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 28
- बस्ती – बंसी प्रांतीय मार्ग संख्या – 5
- बस्ती – डुमरीगंज प्रांतीय मार्ग संख्या – 26

बस्ती नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 28 का उपयोग स्थानीय मार्ग के रूप में किया जाता है। शहर की बढ़ती आबादी के साथ, शहर के भौतिक विकास / विस्तार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सड़कों का विकास किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मार्गों का विवरण इस प्रकार है:

- बस्ती – मेहदावाल मार्ग
- बस्ती – महसन मार्ग
- बस्ती – कलवारी मार्ग
- बस्ती – टांडा मार्ग

3.2.1 सड़क परिवहन:


बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र में चलने वाले वाहनों में धीमी गति के वाहन प्रमुख हैं। एक औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र होने के कारण, माल ढोने के लिए हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, इक्का, तांगा और टेंपो ए टैक्सी आदि वाहनों की बहुतायत है। तेज गति से चलने वाले वाहनों में बसें, ट्रक, कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि भी बहुतायत में हैं।



चित्र 8 सड़क नेटवर्क का नक्शा

3.2.2 राज्य बस सेवा सुविधा


राज्य बस सेवा सुविधा बस्ती नगर में उपलब्ध है, जो लगभग 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 28 के दक्षिणी मार्ग पर स्थित है। यहां से, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें विभिन्न दिशाओं के लिए उपलब्ध हैं, जो बस्ती जिले और इस जिले के बाहर के दूरदराज के शहरों में परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। राज्य बस स्टैंड के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर एक निजी हवाई अड्डा / टैक्सी स्टेशन है जहां से शहर के विभिन्न दिशाओं और इस जिले के बाहर यातायात है।



चित्र 8 बस मार्ग

3.2.3 ट्रक सेवाएं।

बस्ती नगर में कोई सुनियोजित ट्रक स्टैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां शहर की मुख्य सड़कों पर वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास ट्रकों को रोक दिया जाता है, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।



चित्र 9 ट्रक मार्ग का नक्शा

3.2.4 रेल सेवा

बस्ती नगर उत्तर पूर्व रेलवे के गोंडा रेलवे लाइन के माध्यम से गोरखपुर-लखनऊ लाइन में स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो बस्ती नगर को राज्य के प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक शहरों से जोड़ती है।


3.2.5 पंजीकृत वाहन।

जैसा कि तालिका में दिखाया गया है आरटीओ, 2020 के अनुसार बस्ती नगर में कुल 194003 पंजीकृत वाहन हैं। दो पहिया वाहनों की संख्या अन्य प्रकार के सभी वाहनों से अधिक है।

3.2.6 कार्य यात्राएं।

यह जानने के लिए कि शहर में यात्रा की मांग का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कार्य-यात्राओं का अध्ययन वाचित होता है और इसे प्राथमिक सर्वेक्षण की मदद से किया जाता है। गतिशीलता की गणना करने के लिए, पहुंच और यात्रा की मांग चार प्रमुख जंक्शनों जैसे कि दक्ष दरवाजा, कटरा, पक्के रोड, ब्लॉक रोड और पांडे बाजार रोड का चयन किया गया और यातायात प्रवाह का अध्ययन किया गया। यातायात सर्वेक्षण का औसत परिणाम अनुलग्नक में दिया गया है।


यात्रा के साधन



ग्राफ 22 यात्रा के साधन

प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

वाहन का स्वामित्व



ग्राफ 23 स्वामित्व वाले वाहन

प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि बड़ी संख्या में लोगों की कार्य यात्राएं दोभी टोला, पठान तोला और दफाली तोला से मंगल बाजार की सड़क तक होती हैं। ये लोग छोटे व्यवसायी हैं और मंगल बाजार में अपनी दुकानें हैं। यियाबारी के लोग आमतौर पर बस्ती के कोटवाली क्षेत्र की अपनी यात्राएं करते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्य से जो यात्राएं की जाती हैं, वे कैली सड़कों की ओर होती हैं क्योंकि इस सड़क के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिलटनगर, तुर्कहिया और बेलवाड़ी के लोगों की कार्य यात्राएं गांधीनगर रोड, कैली रोड और मंगल बाजार रोड की ओर हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि सरकारी अधिकारियों के निवासी शिव कॉलोनी में प्रमुख रूप से हैं और उनकी कार्य यात्राएं पक्के सड़क और मालवीय सड़क की ओर हैं। पिकुआरा बख्श और पिकाउरा दतुराई के लोग मालवीय रोड और पक्के रोड की ओर अपनी कार्य यात्राएं करते हैं।

निष्कर्ष

माध्यमिक और प्राथमिक आंकड़ों से, यह देखा गया कि बस्ती के लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली यात्रा का तरीका दोपहिया है और शहर के भीतर अधिकतम यात्रा का समय 25–30 मिनट होता है। यह भी देखा गया कि शहर के भीतर की सड़कें संकरी और अतिक्रमणकारी हैं जो पीक आवर्स के दौरान फ्रैफिक की भीड़ का कारण बनती हैं। यद्यपि यातायात प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए प्रमुख जंक्शनों और यातायात पुलिस पर यातायात संकेत हैं फिर भी यातायात को बनाए रखने के लिए मजबूत यातायात नियम प्रवर्तन की आवश्यकता है। उपयुक्त पार्किंग स्थानों की कमी ने बेतरतीब पार्किंग की समस्या को बढ़ा दिया है और पैदल चलने की तुलना में फुटपाथ का उपयोग पार्किंग के लिए अधिक किया जाता है। इसलिए, प्रावधानों और पार्किंग स्थानों की आवश्यकता होती है।

3.2.7 सड़क की लंबाई और फुटपाथ

पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	सड़कों की कुल लम्बाई	फुटपाथ	साइकिलट्रैक
185.38 किमी	43.27 किमी	228.65 किमी	—	—

तालिका 17 सड़क की लंबाई

स्त्रोत नगर पालिका बस्ती 2020

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार शहर की मौजूदा सड़क की लंबाई 1535 किमी है। बस्ती शहरी क्षेत्र में मौजूदा सड़क और सड़क की चौड़ाई नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

क्रमांक	सड़ककानाम	मौजूदासड़ककीचौड़ाई
1	नारंग मार्ग	18.00
2	दक्षिण दरवाजा चौराहा से पांडे बाजार मार्ग	18.00
3	पांडे बाजार चौराहा से गौरा चौराहा	18.00
4	पांडे बाजार से हादिया चुराहा मार्ग	18.30
5	दक्षिण दरवाजा चौराहा से पुरानी बस्ती रोड रेलवे स्टेशन	30.00
6	मालवीय रोड	30.00
7	रौता चौराहा सेफौवारा मार्ग	30.00
8	रौता चौराहा से रामचंद्रशुक्ल चौराहा	18.00
9	बस्ती–मुदघाट मार्ग (आईटीआई तिराहा से मूदघाट चौराहा)	18.00
10	बस्ती–महोसो मार्ग (अस्पताल चौराहा से नगरपालि का सीमा)	31.35

तालिका 18 मौजूदा सड़क और सड़क की चौड़ाई

स्त्रोत नगर पालिका बस्ती 2020

निष्कर्ष

प्राथमिक आंकड़ों से यह देखा गया कि पीक ऑवर्स के दौरान सबसे अधिक यातायात जाम पांडे बाजार रोड, दक्षिण दरवाजा रोड, महोसो रोड, बस्ती–बस्ती रोड और कटरा रोड पर था। भीड़भाड़ का संभावित कारण अतिक्रमण सकरी सड़कों पर पार्किंग था जिसने इन सड़कों के रास्ते के अधिकार को संकुचित कर दिया है। यह भी देखा गया कि पार्किंग की उचित जगह नहीं थी और लोग अपने वाहन फुटपाथ पर पार्क करते थे। व्यवसायिक क्षेत्रों में लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें बढ़ा ली हैं, जिससे शहर में फुटपाथ का दुरुपयोग होता है। इसलिए व्यावसायिक क्षेत्र में पार्किंग के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि फुटपाथ को भीड़भाड़ मुक्त बनाया जा सके और पैदल चलने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही, शहर के भीतर कोई उचित प्रवेश नहीं है क्योंकि मुदघाट का गेट सर्विस लेने के बजाय सीधे राजमार्ग से जुड़ा है, जिसके कारण इस जंक्शन पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए, बस्ती नगर क्षेत्र में उचित प्रवेश और निकास बिंदु की आवश्यकता है।

3.3 वाणिज्य और उद्योग

आर्थिक क्षेत्रों को मूल रूप से तीन भागों में बांटा गया है जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों से सीधे संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कच्चे माल और बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग उद्योगों या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले एक बुनियादी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जो निर्माण गतिविधियों और तैयार माल और मूर्त उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र संभावित उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तृतीयक क्षेत्र में अमूर्त प्रकृति का होता है जिसका जोर, सेवा क्षेत्र पर होता है। इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा वांछित शिक्षा, विकित्सा, होटल और वित्त जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है।


बस्ती जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि आधारित लघु उद्योग पर आधारित है। कई लघु उद्योग हैं जो स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। चीनी कारखाने, कुटीर उद्योग और पीतल के बर्तन, लोहा और बढ़ीगीरी के सामान, कृषि उपकरण, ईंट, कृषि उत्पाद, जूते, साबुन, मोमबत्तियां और मिट्टी के बर्तनों की निर्माण इकाइयों सहित लघु उद्योग यहाँ मौजूद हैं। बस्ती भी बांस, यूकिलिप्टस, (यूकिलिप्टस टेरिट्रोनिस), आम और शीशाम (डलबर्गियासिसू) के लिए भी प्रसिद्ध है। जिले में तीन चीनी मिलें हैं। आम तौर पर यहाँ गन्ना, मक्का, धान, दालें, गेहूं जौ और आलू की खेती आमतौर पर की जाती है। (बस्ती, दपब.पद)।

3.3.1 प्राथमिक क्षेत्र।

3.3.1.1 कृषि रूपरेखा।


शहर की कृषि प्रोफाइल प्राथमिक उत्पादों के उत्पादन में अपने योगदान का अर्थ है जो आवश्यक है। कृषि को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का शीर्ष उत्पादक है। कृषि राज्य के निवासियों को लगभग 59% रोजगार प्रदान करती है। जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि नीचे दिखाई गई है;

शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि



ग्राफ 24 शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि

जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि बस्ती में बोया गया शुद्ध क्षेत्र कृषि भूमि का 83% है और यहाँ 8% बंजर भूमि है। इसी तरह, जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि नीचे दिखाई गई है।



ग्राफ 25 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में बोआई शुद्ध क्षेत्र कृषि भूमिका 94% है और केवल 3% बंजर भूमि है। बस्ती में गन्ना, मक्का, धान, दालें, गेहूं, जौ और आलू की खेती आम है।

बस्ती में कृषि उत्पाद नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

अनुक्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयरमें)
1	गेहूं	120136
2	ज्वार	112
	कुल	120248
3	चना	1057
4	मटोर	5756
5	मसूर	2663
6	अरहर	0
	कुल	9476
7	राई / सरसो	2665
8	अलसी	30
9	तोराइ	7560
	कुल	10255
10	मक्का	3
	उपयोग	139982

तालिका 19 बस्ती में कृषि उपज

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020


क्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयरमें)
1	धान	107185
2	मक्का	2985
3	बाजरा	0
4	अन्य	0
5	उड़द	383
6	मूंग	8
7	अरहर	4589

क्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयरमें)
8	मूँगफली	1
9	तिल	218
	कुल क्षेत्रफल	115369
10	धान नर्सरी	7146


तालिका 20 बर्सी में कृषि उपज

स्रोत : कृषि विभाग बर्सी 2020

कृषि भूमि का स्वामित्व



फसल का प्रकार



स्रोत : कृषि विभाग बर्सी 2020


ग्राफ 1 कृषि भूमि का स्वामित्व व फसल का प्रकार

अनुक्रमांक		क्षेत्र
1	सिंचाई क्षमता	78330 Ha
2	कृषि योग्य मानक क्षेत्र	66949 Ha
3	शेष क्षेत्र	11381 Ha

तालिका 21 सिंचाई क्षेत्र

स्रोत : कृषि विभाग बर्सी 2020

IRRIGATIONAL AREA



3.3.1.2 कृषि सुविधाएं।

कृषि सुविधाओं में कृषि जिसे, बाजार, मंडिस, साप्ताहिक हाट बाजार, कृषि विपणन समितियां शामिल होती हैं। बस्ती शहर में एक एमपीसी मार्केट, तुर्कहिया में एक सब्जी बाजार, गांधीनगर में नियमित बाजार और पिकौरा बर्खा में नियमित बाजरा है बस्ती विनियमित क्षेत्र और ग्रामीण में उपलब्ध कृषि जिसे नीचे दिखायी गयी है।

3.3.1.3 बागवानी।

बागवानी क्षेत्र भारत की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। उच्च उत्पादकता और उत्पादन में योगदान, करने के साथ ही यह एक बागवानी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान और उनकी आय को प्रभावित करता है।

बागवानी क्षेत्र में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, नारियल जैसी वृक्षारोपण फसलों, चाय और कॉफी जैसे पेय और कुछ औषधीय और सुर्गांधित पौधों जैसी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों और फसलों और आनुवंशिक संसाधनों में समृद्ध विविधता भारत को वर्ष भर में बागवानी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड का संकेत है कि फलों के वैश्विक उत्पादन का 13% और सब्जियों का 21% हिस्सा, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, दोनों कमोडिटी समूहों (एक नजर 2017 में बागवानी सांख्यिकी) में।

बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र 1956 में बस्ती में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बागवानी और कृषि गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यह न केवल छात्रों को आर्किष्ट करता है, बल्कि इसके कलात्मक रूप से परिदृश्य के कारण पर्यटकों की एक बड़ी संख्या भी है। केंद्र विभिन्न प्रकार के फलों, सजावटी पौधों, सब्जियों और फसलों की खेती में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। मशरूम के अनुसंधान और उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता है। केंद्र ने एक मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई रसायनिक की है। मशरूम की खेती करने वालों को उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम के बीज की आपूर्ति की जाती है। यह शहद के उत्पादन के लिए अपने एपिकल्चर विभाग में बड़ी संख्या में मधुमक्खी यार्ड भी रखता है। मधुमक्खी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी सुविधा है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में ख्याती अर्जित की है और वह है आप्रपाली रोमानी और नीलम जैसी मीठे आमों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उत्पादन। यह केन्द्र देश भर के किसानों को इन किस्मों को उपलब्ध करवाता है।

3.3.2 माध्यमिक।

3.3.2.1 MSME के बड़े, मध्यम और क्लस्टर।

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण हुआ है। राज्य में भलीभाति विकसित कृषि आधारित उद्योग है। गन्ना के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के नाते, राज्य भारत का चीनी कटोरा है। उत्तर प्रदेश में भारत के चीनी उत्पादन का 28.03 प्रतिशत हिस्सा का योगदान करता है।

कुछ बड़े और मध्यम उद्योगों की सूची नीचे दर्शायी गयी है।


- बस्ती चीनी मिल, बस्ती।
- गोविंद मिल लिए। (फ्लोर मिल), वाल्टरगंज, बस्ती।
- गोविंद नगर चीनी मिल, वाल्टरगंज, बस्ती।

ऐसे कई लघु पैमाने के उद्योग हैं जो बस्ती के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। चीनी कारखाने, पीतल के बर्तन बनाने वाले कारखाने, कृषि उपकरण, ईट, कृषि उत्पाद, जूते-चप्पल, साबुन, मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाईयों सहित कुटिर और लघु उद्योग यहां हैं। बस्ती विनियमित क्षेत्र की पहली विनिर्माण बेकरी उत्पाद है, दूसरी वर्तु आइसक्रीम है और तीसरी वस्तु फर्नीचर है।

अनुक्रमांक	उद्योगों का प्रकार	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	बड़ा	-	-	-	-	-	-
2	मध्यम		2	1	1	1	

अनुक्रमांक	उद्योगों का प्रकार	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	लघु	900	250	250	300	300	200
4	घरेलू	-	-	-	-	-	-

तालिका 22 बस्ती शहर में उद्योगों के प्रकार




ग्राफ 26 उद्योगों की कुल संख्या

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि बस्ती में छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या अधिक है और केवल 5 मध्यम स्तर के उद्योग हैं। छोटे पैमाने और मध्यम स्तर के उद्योगों में श्रमिकों की औसत संख्या लगभग बराबर है, अर्थात् इसके अलावा, ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि 2015 से, छोटे पैमाने के उद्योग भी सालाना कम हो रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर भी कम हो रहे हैं।


प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि बस्ती में तीन चीनी मिलों थीं जो शहर की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान कर रही थीं। हालांकि उनमें से तीन चीनी मिलों में से दो वर्तमान में चालू नहीं हैं। किसानों को गन्ने की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही थी और इन मिलों का समर्थन करने के लिए उचित नीतियों का अभाव था, जिसके कारण बस्ती की मिलों ने काम करना बंद कर दिया है।

क्रमांक	इकाइयों की संख्या	इकाइयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	मैनुअल / एचपीट्रारासंचालित	एच.पी
1	बड़ा				
2	मध्यम	5	28	HP	3400
3	लघु	2200	12500	HP	22000
4	घरेलू				
5	खतरनाक				

तालिका 23 उद्योगों के प्रकार



ग्राफ 27 लघु उद्योग



ग्राफ 28 मध्यम पैमाने के उद्योग

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि बस्ती में लघु उद्योगों की संख्या अधिक है और केवल 5 मध्यम स्तर के उद्योग हैं। लघु और मध्यम उद्योगों में श्रमिकों की औसत संख्या लगभग बराबर है, अर्थात् साथ ही, उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2015 से, लघु उद्योग भी सालाना कम हो रहे हैं जिससे नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर भी कम हो रहे हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि बस्ती में तीन चीनी मिलों थीं जो शहर की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान कर रही थीं। हालांकि तीन चीनी मिलों में से दो वर्तमान में चालू नहीं हैं। इसका कारण यह है कि किसानों को गन्ने का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा था और इन मिलों को समर्थन देने के लिए उचित नीतियों भी नहीं थीं जिसके कारण इन मिलों ने काम करना बंद कर दिया था।

निष्कर्ष

प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि 1976 से बस्ती में प्लास्टिक और चीनी मिलों चल रही थी, लेकिन औद्योगिक रुझान अब चावल और खाद्य आधारित उद्योगों की ओर अधिक हो गया है। वर्तमान में उद्योगों के सामने मौजूद मुद्दे निम्नलिखित कारणों से हैं।

- जीविका के लिए सरकार से उचित समर्थन का अभाव।
- उद्योगों द्वारा उत्पन्न कचरे के निष्पादन के लिए उचित विधि का अभाव।
- मौजूदा मिलों के लिए पुनरुद्धार योजना की न होना।
- उद्योगों के विकास के लिए इच्छाशक्ति की कमी।
- अन्योन्याश्रित सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी।

चूंकि बस्ती में कमी लघु के उद्योग प्रचलित थे, इसलिए उन्हें सीधे कृषि उपज से जोड़ा जा सकता है क्योंकि किसान अपनी नकद की फसल को आसानी से उगा पाएंगे और उत्तर प्रदेश के नए एमपीसी संशोधनों के अनुसार उन्हें सीधे पास के लघु उद्योगों में बेच सकते हैं।

3.3.3 तृतीयक।

3.3.3.1 व्यापार (थोक / खुदरा व्यापार)।

शहर में थोक व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं। .

"खुदरा व्यापार" या अन्य थोक व्यापार" को माल की बिक्री।

"निर्माण" "विनिर्माण" "परिवहन", "भोजन और पीने के स्थानों", "आवास", "अस्पतालों", "स्कूलों", "सरकार और लोक संगठनों के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भारी मात्रा में विक्रेय।

मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए सामानों की बिक्री – कार्यालय मशीनों और उपकरणों जैसे सामान, अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सुविधाएं, ब्यूटी सैलून, रेस्तरां और होटल, और औद्योगिक मशीनरी (कृषि मशीनों या उपकरणों को छोड़कर), साथ ही निर्माण सामग्री (लंबर, सीमेंट) शीट ग्लास, छत टाइल, आदि।

अपने सामान की थोक बिक्री जिसका विनिर्माण में एक कंपनी ने अपने प्रबंधन के तहत एक अलग स्थान पर उत्पादित किया है। मुख्य रूप से प्रबंधन मामलों के समग्र नियंत्रण में लगे प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है।

अन्य प्रतिष्ठानों की ओर से माल की बिक्री, या माल की बिक्री के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

खुदरा व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं।

- व्यक्तियों को या घरेलू खपत के लिए माल की बिक्री।
- औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को कम मात्रा या छोटी मात्रा में माल की बिक्री। "खुदरा व्यापार" आमतौर पर मुख्य सामान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

अनुलग्नक डी की तालिका में दिखाए गए दुकानों की सूची का विवरण।

3.3.3.2 होटल और रेस्टोरेंट।

शहर के भीतर होटल और रेस्तरां होने से, विनियमित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अवसर मिलता है। होटल और रेस्तरां यात्रियों के लिए आवास और भोजन सेवाएं प्रदान करते हैं और साथ ही नागरिकों के लिए कुछ मनोरंजक गतिविधि का उद्देश्य भी पूरा करते हैं।

होटल घर से दूर घर है। यह वह स्थान है जहां पर्यटक यात्रियों से अतिथि के लिए अपनी भूमिका बदलता है। एक होटल का प्राथमिक कार्य उन जरूरतों को समायोजित करना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना है। अधिक हद तक होटल की सुविधाएं स्थानीय आबादी की सेवा भी कर सकती हैं। इसकी कमाई का दायरा अनंत है। यह अर्थव्यवस्था के पर्यटन बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक व्यक्तिगत चिंता या एक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हो सकता है। यह अपने मालिक के परिवार के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है या हजारों नौकरियां पैदा कर सकता

है। यह एक छोटा या बहु मिलियन उद्यम हो सकता है। यह "श्रम—गहन" और घूंजी केन्द्रित दोनों प्रकार की गतिविधायां हो सकता है। लेकिन होटल स्थान में उतने ही प्रभाव रूप से और कुशलता चल सकता है जितना कि से व्यापक राष्ट्रीय और बहु—राष्ट्रीय संचालन में हैं। इस प्रकार इसमें परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने का लचीलापन होता है।

होटल और रेस्तरां की कुल संख्या 93 है।

बस्ती शहर में नए बने होटलों और रेस्तरां की सूची नीचे दी गई है:

क्रमांक	वर्ष	होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस की संख्या
1	20-21	6
2	19-20	55
3	18-19	32

तालिका 24 बस्ती शहर में नए जोड़े गए होटलों और रेस्तरां की सूची

3.3.3.3 अनौपचारिक क्षेत्र।

अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, अथवा अवैध अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिस पर न तो कर लगाया जाता है, न ही सरकार के किसी भी रूप से निगरानी की जाती है। अनौपचारिक क्षेत्र को श्रम के क्षेत्र में एक प्रकार के अवैध बाजार बताया जाता है।

यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र विकासशील देशों में अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है — लगभग 41% या कभी—कभी 50%, तक किन्तु इसे अक्सर परेशानी पैदा करने वाला और असहनीय मानकर हीन दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र गरीबों के लिए महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के अवसर प्रदान करता है और 1960 के दशक से तेजी से विस्तार कर रहा है। इस प्रकार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र में एकीकृत करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है।

इसके अलावा, अनेक विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्रों के विकास और पैमाने को पारंपरिक रूप से श्रमिकों के विस्थापन का परिणाम ठहराया गया है। वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जॉन की सूची अनुबंधन में दी गई है।

3.4 सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक।

3.4.1 सामाजिक आधारभूत संरचना।

सामाजिक बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास और समाज के जीवन स्तर के विकास दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक बुनियादी ढांचा सामाजिक भलाई को बढ़ाता है और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ाता है जो व्यवसायों को विकसित करने और फलने—फूलने की अनुमति देता है।

3.4.2 शैक्षणिक सुविधाएं।

शिक्षा हमेशा से एक सभ्यता में बदलते कारक के रूप में समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विभिन्न शिक्षा सुविधाओं का विकास शहरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करना होता है। महत्वपूर्ण शिक्षा सुविधाओं में से एक उच्च शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय है। नीचे दी गई तालिका बस्ती में उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं को दर्शाती है।

सार्वजनिक / अर्ध—सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब उन शहरी सुविधाओं से है, जिन्हें सामूहिक स्तर पर आपूर्ति की जाती है। मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस थाना और दमकल केन्द्र आदि। जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी आवश्यक हैं।

नर्सरी / प्राथमिक स्कूलों से स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के साथ—साथ विनियमित क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में चलाए जा रहे इन शैक्षणिक संस्थानों में समान सुविधाओं का अभाव है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मानक के अनुसार पर्याप्त कमरे नहीं हैं, न ही उनके पास पढ़ने और पढ़ने के लिए पर्याप्त बेंच हैं और न ही व्यायाम / मनोरंजन के क्रीड़ागांन। जो भी सुविधाएं हैं, वे संतोषजनक और जर्जर स्थिति में भी हैं।

3.4.2.1 नर्सरी / प्राथमिक स्कूल

आमतौर पर, 6 से 11 वर्ष की आयु के लड़के / लड़कियां इस श्रेणी के स्कूलों में एक साथ शिक्षा लेते हैं। बस्ती नगर के तहत परिषद और मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की संख्या 32 है, जिसमें छात्रों की कुल संख्या 3652 है, जिसके आधार पर प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या लगभग 114 है। वर्तमान में, एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधा लगभग 3363 व्यक्तियों पर उपलब्ध है, जो विभागीय मानक के अनुसार है, लेकिन इन स्कूलों को स्थानीय वितरण, इमारतों की स्थिति और उपलब्ध अन्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

3.4.2.2 जूनियर हाई स्कूल

आमतौर पर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र इस श्रेणी के स्कूलों में पढ़ते हैं। इस प्रकार, शहर में जनसंख्या मानकों के आधार पर 15 स्कूलों का अभाव है। शहर में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें यथोचित भवन व क्रीड़ागांन नहीं हैं।

क्र मां क	शहर का नाम	इंसरी स्कूल	मिडिल स्कूल	माध्यमिक विद्यालय	सीनियर सेकेंडरी स्कूल	आर्ट्स / साइंस / कॉमर्सकॉलेज	चिकित्सा महाविद्यालय	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
1	बस्ती	63	32	4	70	4	1	शून्य

तालिका 25 बस्ती के मौजूदा स्कूल

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020

3.4.2.3 उच्च शिक्षा सुविधाएं

वर्तमान में इंटरमीडिएट कॉलेज की सुविधा व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। विभागीय मानक के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालय की आवश्यकता होगी। इन विद्यालयों में प्रयोगशाला, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय और खेल के मैदान जैसी सुविधाओं की जरूरत है।

क्रमांक	शहर का नाम	पालीटेक्निक	प्रशिक्षण संस्थान	सर्वशिक्षा अभियान केंद्र	विकलांगों के लिए स्कूल
1	बस्ती	0	1	0	1

तालिका 1 मौजूदा उच्च शिक्षा ऑफरिंग

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020

3.4.3 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध करवाने, उनके उपयोग और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने के तरीके को निर्धारित करने में स्वास्थ्य प्रणालियों और नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को इसके सभी आयामों में मजबूती देना और प्राथमिकता देना है स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और क्रॉस-क्षेत्रीय कार्यों के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाध न विकसित करना, प्रोत्साहित करना। चिकित्सा बहुलवाद,

ज्ञान के आधार का निर्माण, बेहतर वित्तीय सुरक्षा रणनीति विकसित करना, विनियमन और स्वास्थ्य आश्वासन को मजबूत करना।

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं से युक्त त्रि-स्तरीय संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

अस्पताल का प्रकार	इकाइयों की संख्या		बिस्तरों की संख्या		डॉक्टरों की संख्या		नर्सों की संख्या		पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या		मरीजों की संख्या	
अस्पताल	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी
एलोपैथिक	2		556	89		10			NA	NA	NA	NA
आयुर्वेदिक									NA	NA	NA	NA
होम्योपैथिक									NA	NA	NA	NA
परिवार कल्याण एवं प्रसूति केन्द्र	1		15		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
अन्य	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
औषधालय (सभी)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
नर्सिंग होम	1		110		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
टीबी अस्पताल / क्लिनिक	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
पशु चिकित्सालय	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
छवा की दुकानें	80	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

तालिका 26 बस्ती शहरी क्षेत्र में मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाएं

जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान बस्ती शहरी क्षेत्र में कुल 571 विस्तर हैं जो पर्याप्त हैं क्योंकि आदर्श के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में 100% अधिभोग के साथ 60 विस्तर होने चाहिए।

3.4.4 मनोरंन की सुविधाएं

मनोरंजन को भावनात्मक स्थिति के पुनर्सृजन पुनर्स्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार और स्वयं के साथ कुछ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण होता कामकाजी है, ताकि वे अपने कार्य जीवन की व्यस्तता से निजात पा सकें। मनोरंजक सुविधाएं न केवल लोगों को परिवार के समय का आनंद लेने के लिए पलायन सुलभ करवाती हैं, बल्कि यह लोगों को इन मनोरंजक सुविधाओं के आसपास के इलाकों को चुनने और काम करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मनोरंजन की सुविधा तनाव निवारक के रूप में तो होती है, साथ ही मनोरंजन सुविधाएं स्थानीय लोगों के लिए इन स्थानीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय को वृद्धि के लिए रोजगार अवसर भी उत्पन्न

करती है। मनोरंजक सुविधाओं को लोगों को शहर के निवासियों के बीच सांप्रदायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हरित स्थान प्रदान करने चाहिए और जहां वे आपस में मिलजुल सके और जीवन में सामाजिकता आए। उत्तरदाता सहमत हैं और बौद्धिक सहमति देते हैं कि नगर के विस्तार के लिए मनोरंजन का विक्रय वांछित है। इमारतों के आसपास शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता और एक शहर में जीवन की समुद्धि के कई पहलुओं पर एक उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक क्षेत्रों की उपरिथिति कई मायनों में जीवन की गुणवत्ता में योगदान करती है। शहरी प्रकृति मानव समाजों को महत्वपूर्ण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जो मानव जीवन को अर्थ और भावनाओं के साथ समृद्ध करती है। शहरी क्षेत्र के भीतर एक अच्छी तरह से डिजाइन और प्रबंधित मनोरंजक केंद्र और खुले स्थान बच्चों के लिए खेल क्षेत्रों की पेशकश कर सकते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता और निवासियों की भलाई में योगदान करते हैं। बस्ती के पार्क और खुले स्थान अनुलग्नक डी में दिए गए हैं।

3.5 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

समाज की संस्कृति यह बताती है कि समाज के सदस्य अपने अस्तित्व की समस्याओं को कैसे हल करने हैं और यह इस तरह से परिलक्षित होता है जो वे संगठन उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में आते हैं। समाज को आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करने के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आपस में संवाद करते हैं और जो सहकारी आधर पर गठित होता है और एक सामान्य संस्कृति साझा करता है। एक समाज एक सामाजिक समूह है, जबकि एक संस्कृति एक समाज की साझी विरासत की प्रणाली है। इसकी संस्कृति के बिना कोई समाज नहीं हो सकता और समाज के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में पैदा होता है; वह समाज को प्राप्त करता है और समाज द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करके एक सुसंस्कृत व्यक्ति बन जाता है। संस्कृति को दैनिक जीवन और व्यक्तियों के दैनिक जीवन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर देखा जाता है।

क्रमांक	अनाथालय	काम का जीम हिला छात्रावास	वृद्धाश्रम	स्टेडियम	सिनेमाथियेटर	सभागार	सार्वजनिक पुस्तकालय	पढ़ने के कमरे	
1	बस्ती	1	NIL	NIL	1	1	2	1	1

तालिका 27 बस्ती में वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

स्रोत : भारत की जनगणना 2011


3.5.1 आग

उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने 1944 में 8 दमकल केन्द्रों और 198 फायर सर्विस पर्सनेल के साथ काम करना शुरू किया और वर्तमान में 75 जिलों में 349 दमकल केन्द्र हैं, जिनमें 8278 से अधिक फायर सर्विस कार्मिक हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज वर्तमान में एक हजार से अधिक फायर इंजन से लैस है और आग की घटनाओं और आग से संबंधित आपदाओं से निपटती हैं।

बस्ती में वर्तमान में 46 कर्मचारियों वाला 1 दमकल केन्द्र है। दमकल केन्द्र 03 फायर टेंडर, 02 वॉटर मिक्सर, 02 बॉयलर से लैस है। उपलब्ध फायर ट्रक 8000 लीटर की क्षमता वाले पानी के ब्राउजर, 5000 लीटर 2500 लीटर क्षमता के फायर टेंडर और 400 लीटर क्षमता वाली हाई प्रेशर वाटर मिक्सर और पंप सहित बोरवेल भी है। शहर में आग की आपदाओं की संख्या निम्नवत् है –

आग के खतरे	
वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2020	178
2019	865
2018	643
2017	534

स्रोत : अग्निशमन विभाग बस्ती 2020



ग्राफ 29 बस्ती में आग दुर्घटनाओं की संख्या

निष्कर्ष

मानदंडों के अनुसार दमकल केन्द्र को आपदा स्थल तक आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह पाया जाता है कि मौजूदा दमकल केन्द्र अग्नि आगदा को निपटाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके नवीकरण की आवश्यकता है और यदि उन्हें आवश्यक हो तो वे अधिक उपकरण तैनात कर सकते हैं। अग्नि दुर्घटनाओं के उपरोक्त रेखांकन वर्ष 2019 तक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और वर्ष 2020 में यह संख्या कम दिखाता है इसलिए आने वाले वर्ष के लिए अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना भिन्न हो सकती है। इसके अलावा आग आपदाओं की बढ़ती संभावनाओं के अनुसार आने वाले वर्षों के लिए एक और दमकल केन्द्र प्रदान किया जा सकता है।

3.5.2 शहर में अपराध दर।


विभिन्न निजी हित वाले लोगों के शहरी जनसंख्या में बड़ी संख्या में शामिल होने से तेजी से बढ़ रहे आधुनिक शहरों में गरीबी यातायात, अपराध, प्रदूषण और भीड़ भरे आवासों जैसी शहरी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनमें से अपराध ऐसी मूल समस्या है जो नागरिकों की चिन्ता बढ़ाकर और सभी लोगों को जीवन की गुणवत्ता को कम करके समाज के सभी सदस्यों के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए अपराध निवारण संबंधी विभिन्न अध्ययन शहरी जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और उस क्षेत्र की आबादी गिरफ्तार किए गए अपराधों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है कि आधिकारिक अपराध दर को पुलिस कार्यालय जैसे आपराधिक च्याय संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त और संसाधित किया जाता है, पुलिस की अपनी निहित समस्याएं होती हैं। इनमें से एक विलुप्त और छिपे हुए अपराधों को याद करना जो संसाधित नहीं होते हैं उनमें से एक है। कुछ अपराधों का न तो पता चला और न ही रिपोर्ट किया गया कुछ को पुलिस द्वारा नजरअंदाज किया जाता है या हल नहीं किया जाता है।

शहर को अधिक शांतिपूर्ण अपराध बनाने के लिए डेटा का विश्लेषण करना आवश्यक है और तदनुसार कुछ नीतियों की आवश्यकता की पहचान की जानी चाहिए।

इसलिए, बस्ती के अपराध डेटा को एकत्र किया गया था और अपराध दर की गणना अपराधों की संख्या कोकुल अपराधों से विभाजित करके की गई थी, जो परिणाम आया उसे 100,000 से गुणा किया गया।

बस्ती की अपराध दर

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



ग्राफ 30 बस्ती की अपराध दर

स्रोत : पुलिस विभाग बस्ती (उपरोक्त चार्ट में डेटा प्रतिशत में है

निष्कर्ष

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि उच्चतम अपराध दर वर्ष 2017 में 112% के साथ सभी संबंधित वर्षों में चोरी की है। दूसरी सबसे बड़ी अपराध दर महिलाओं के खिलाफ अपराध है जो वर्ष 2015 में 42.7% है और तीसरी सबसे अधिक गैर-घातक दुर्घटनाएं हैं जो वर्ष 2018 में 48% हैं। हालांकि, यह डेटा से भी कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में अपराध दर अपेक्षाकृत कम हो गई है, इसका मतलब शहर के भीतर उचित कानून और व्यवस्था प्रवर्तन है।

3.5.3 भौतिक आधारभूत संरचना

भौतिक बुनियादी ढांचे में जल आपूर्ति, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली और परिवहन और संचार शामिल हैं।

3.5.3.1 पानी की आपूर्ति।

पानी जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन का मुख्य अंग है, जो समाज और पर्यावरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। बेहतर जल संसाधन प्रबंधन और सभी के लिए सुरक्षित जल और स्वच्छता तक पहुंच गरीबी उन्नीलन, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाजों के निर्माण में आवश्यक है, और यह सुनिश्चित करना कि स्थायी विकास की दिशा में कार्ड भी पीछे नहीं बचा है।

पीने के पानी की सुरक्षा और प्रावधान एक बुनियादी जरूरत है, और कई लोग तर्क देंगे, एक मानव अधिकार क्योंकि पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति मानव जीवन और भलाई के लिए आवश्यक है। पीने के पानी को दुनिया भर के व्यक्तियों और परिवारों द्वारा विभिन्न तरीकों से पहुंचा जाता है, जिनमें सतही जल को बर्तनों में भरने से लेकर जल पाइप लाइन को खोलने की सहुलियत तक शामिल है। हाल के दशकों में सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

3.5.3.2 मौजूदा जल आपूर्ति की स्थिति।

वर्तमान में 114657 की आबादी के लिए पानी की आपूर्ति की उपलब्धता लगभग 19.6 MLD है। वितरण प्रणाली की लंबाई 220 किलोमीटर है। शहर में कुल 8 संख्या, 22 ट्यूबवेल और 527 हैंड पंप हैं। केवल 32% घर घरेलू नल जल प्रणाली से जुड़े हैं। 170 एलपीसीडी पानी बस्टी के नागरिक को विभिन्न पानी के टैंकों से आपूर्ति की जाती है।

क्रमांक	मौजूदा जल आपूर्ति की स्थिति					
	नल का जल	हैंडपंप	कुएं / ट्यूबवेल	टैंक / तालाब	नदियाँ / नहर	अन्य
	5604	-	22	-	1	-

तालिका 29 मौजूदा जल आपूर्ति

स्रोत: जलकल विभाग बस्ती 2020

क्रमांक	जल आपूर्ति की मात्रा	प्रतिदिन आपूर्ति की आवर्तिताएं घंटे	संयोजनों की संख्या	आच्छादित क्षेत्र (लंबाई)	हासिल मीटरिंग
	19.6MLD	प्रतिदिन 2 बार	5604	77.76किमी	शून्य

तालिका 30 जल आपूर्ति की मात्रा

स्रोत: जलकल विभाग बस्ती 2020

	ओवर हेड टैंकों की संख्या	डब्ल्यू टीपीएस की संख्या	डब्ल्यू टीपीएस की क्षमता	उपचारित आपूर्ति कुल जल आपूर्ति के % के रूप में
बस्ती	8	शून्य	शून्य	केवल व्हालोनिरीकरण


तालिका 31 ओवर हेड टैंकों की संख्या

स्रोत : जलकल विभाग बस्ती 2020

क्रमांक	ओवरहेड टैंकों की संख्या	क्षमता
1	कटरा	1500 किलोलीटर
2	जलकल	250 किलोलीटर
3	आवास विकास	250 किलोलीटर
4	कटेश्वर पार्क	1800 किलोलीटर
5	गौशाला, संजय कॉलोनी	500 किलोलीटर
6	काशीराम, शहरी आवास योजना-1	300 किलोलीटर
7	काशीराम, शहरी आवास योजना-2	0.25 किलोलीटर
8	काशीराम, शहरी आवास योजना-3	25 किलोलीटर

तालिका 32 ओवरहेड टैंकों की संख्या और क्षमता

स्रोत : जलकल विभाग बस्ती 2020



ग्राफ 31 जल आपूर्ति के स्रोत व पीने के पानी की गुणवत्ता

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त चार्ट प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए डेटा को दिखाते हैं यह देखा जा सकता है कि प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत भूजल है जो पीने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के साथ 71% है। साथ ही प्राथमिक सर्वेक्षण में यह भी पाया

गया कि शहर में कोई जल उपचार संयंत्र नहीं है और पीने के पानी को स्रोत पर ही क्लोरीनेट किया जाता है और फिर वितरण किया जाता है।

3.5.3.3 जलनिकासी

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बेहतर जल निकासी अक्सर एक उच्च प्राथमिकता होती है, गरीब समुदाय जल निकासी की समस्याओं के बारे में अपेक्षा से कम चिंतित हो सकते हैं।

बस्ती में जल निकासी की कुल लंबाई 34900 मीटर (बस्ती नगरपालिका परिषद) है और शहर में मल जल और वर्षा जल निकासी के लिए कोई अलग लाइन नहीं है।

3.5.3.3.1 वर्षा जल निकासी

क्रमांक		खुली सतह नालियां	ढकी हुई नालियां	भूमिगत सीवेज	अन्य
	बस्ती	हाँ	हाँ	नहीं	—

तालिका 33 वर्षा जल निकासी

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

क्रमांक	क्षेत्र	लंबाई (मीटरमें)
1	गांधीनगर	16250
2	पुरानी बस्ती	18650
	कुल	34900

तालिका 34 बस्ती में वर्षा जल निकासी

स्रोत : बस्ती नगर पालिका परिषद 2020

चूंकि बस्ती में कोई मलजल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सारा उत्पन्न मलजल सीधे नदी में बहा दिया जाता है। इसलिए, नदी जल प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है


3.5.3.3.2 स्वच्छता

क्रमांक		शौचघर			शौचघर	गढ़ठे वाला शौचालय	अन्य शौचालय & फ्लश
		पाइप वाली सिवर प्रणाली	सेप्टिक टैंक	अन्य प्रणाली			
	बस्ती	-	-	-	7000	10107	NA

तालिका 35 स्वच्छता

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

SANITATION FACILITY



चूंकि भारत को खुले में शौच मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है, बस्ती के सभी नागरिकों की व्यक्तिगत या सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच है।

3.5.3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

सॉलिड वेस्ट मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न कचरे की मात्रा है। यह विभिन्न जानवरों और मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कचरा सामग्री को इंगित करता है –जिन्हें अवांछित और बेकार के रूप में त्याग दिया जाता है। जैविक और अकार्बनिक कचरे के आधार पर कचरे का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्गीकरण भी खतरनाक कचरे पर आधारित हो सकता है, जिसमें रेडियोधर्मी, ज्वलनशील, संक्रामक, विषाक्तया गैर विषैले अपशिष्ट शामिल हैं। इसके अलावा, वर्गीकरण भी मूल या कचरे के प्रकार के आधार पर किया जा सकता है, चाहे अपशिष्ट औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत या निर्माण और विधंवस हो।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरह से ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, संग्रह, परिवहन या हस्तांतरण, प्रसंस्करण और निपटान के नियंत्रण से जुड़ी प्रक्रिया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, संरक्षण, आर्थिक, सौंदर्य, इंजीनियरिंग और अन्य पर्यावरणीय मुददों जैसे अनेक विषयों का समाधान करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नियोजन, प्रशासनिक, वित्तीय, इंजीनियरिंग और कानूनी कार्य भी शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रबंधन ढांचे से शहर का आर्थिक विकास हो सकता है।

3.5.3.5 बस्ती में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना।

बस्ती सिटी में पहले से ही एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना है। शहर में कुल 25 वार्ड हैं और कचरे को वार्ड–वार एकत्र किया जाता है। प्रति वार्ड उत्पन्न कुल अपशिष्ट लगभग 1-80 टीपीडी है। उत्पन्न ठोस अपशिष्ट दैनिक आधार पर एकत्र किया जाता है और आंशिक रूप से अलगाव सूखे और गीले कचरे के बीच किया जाता है। शहर में एकत्र किया गया कुल सूखा कचरा 20 TPD है और एकत्र किया गया कुल गीला कचरा 27 TPD है। प्रत्येक वार्ड में अलग–अलग सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करने के लिए कुल 10-15 कूड़ेदान के जरिये लगाये गए हैं। शहर के भीतर उत्पन्न और एकत्र किए गए कुल कचरे को तालिका में नीचे दिखाया गया है।

क्रमांक	औसत उत्तप्ति	औसत संग्रह	घर-घर संग्रह के लिए आच्छादित घरों की संख्या	कुल गीला कचरा एकत्र किया गया	तैनात जन शक्ति	भूमि भरने के लिए उपयोग लिये जाने वाले स्थलों की संख्या
1	47 TPD	47 TPD	22280	27 TPD	405	1 (अमहट)

तालिका 36 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्रोत : बरती नगर पालिका परिषद 2020

3.5.3.6 स्वच्छता भराई की विधि

बस्ती में लैंडफिलिंग खाद बनाने की मदद से की जाती है। खाद को बैकटीरिया, सूक्ष्म और उच्च स्तर के जीवों द्वारा विघटित कार्बनिक घटकों (कृषि, शहरी वाणिज्यिक आदि) के जैव-निम्नीकृत स्थिर और खनिजयुक्त ह्यूमस परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अपशिष्ट) ठोस कचरे में।

खाद उर्वरक नहीं है, लेकिन इसका उपयोग केवल मिट्टी के संरचनात्मक सुधार के लिए किया जाता है। हालांकि, खाद (यूयगुन, 2012) में पर्याप्त नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जोड़कर बेहतर गुणवत्ता में उर्वरक प्राप्त करना संभव है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन में बैकटीरिया, एकिटनोमाइसेट्स और कवक पहले हाथ के रूप में कचरे का उपयोग करते हैं और उन्हें प्रथम श्रेणी के विघटन कहा जाता है। फर्स्ट-डिग्री विघटन प्रोटोजोआ, रोटिफर माइट और ऊपरी स्तर में विभिन्न कीड़ों द्वारा सेवन किया जाता है। थर्ड-डिग्री विघटन भी पहले दो डिग्री में जीवों पर खिलाया जाता है और इस डिग्री पर आबादी को नियंत्रित करता है। खाद बनाने के दौरान, कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊर्जा और धरण बनाते हैं जो एक अत्यधिक स्थिर अंत उत्पाद (एविक्सोग्लुइटल) हैं, 2011)

खाद को एरोबिक और अवायवीय दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। अधिकांश खाद प्रणाली एरोबिक रूप से संचालित होती हैं क्योंकि एनारोबिक स्थितियों से अलग कार्बनिक पदार्थ की प्रति यूनिट वजन कम होता है। अंतरिम उत्पादों के कारण आदेशों की समस्या उजागर होती है। खाद के गठन के लिए आवश्यक समय बहुत लंबा है और खाद जीवों का तापमान आवश्यक तापमान मूल्यों तक नहीं पहुंचता है।

शहरी क्षेत्र में कम्पोस्टिंग अमहट गांवों में की जाती है।

3.5.3.7 तैनात वाहन का प्रकार।

शहर में ठोस कचरे के संग्रह के लिए तैनात वाहन के प्रकार 3 ट्रक, 28 टेंपो, 6 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 1 लोडर, 1 हिंबा हैं।

क्रमांक	वार्ड का नाम	ट्रक-टेम्पो	रिक्षा ट्रॉली	डम्पर
1	नरहरिया	1	3	1
2	मिश्रौलिया	1	3	
3	मुरलीजोत	1	3	
4	पांडेबाजार	1	3	

क्रमांक	वार्ड का नाम	ट्रक-टेम्पो	रिक्षा ट्रॉली	डम्पर
5	पिकौराशि व गुलाम	1	3	
6	चिकवा टोला	1	3	
7	सुरतीहट्टा	1	3	
8	तुर्ख्या	1	3	1
9	विष्णुपुरवा	1	3	
10	माली टोला	1	3	
11	पठान टोला	1	3	
12	रौतापार	1	3	
13	महरीखवा	1	3	1
14	गर्गोरिया	1	3	
15	पिकौरा दत्तूराय	1	3	
16	कंपनी बाग	1	3	
17	पुराना दखना	1	3	
18	बेलवाड़ादि	1	3	1
19	ओरिजोट	1	3	
20	इटियलिया	1	3	
21	रामेश्वरपुरी	1	3	
22	बैरिह्वा	1	3	
23	आवास विकास	1	3	1
24	कटरा	1	3	
25	पिकौरा बख्शा 12	1	3	

तालिका 37 ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए तैनात वाहन

स्रोत : बस्ती नगर पालिका, 2020

3.5.3.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड।

स्थूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) एक कचरा या कचरा है जिसे मानव बस्ती में दिन-प्रतिदिन त्याग दिया जाता है। MSW रूल्स 2000 के अनुसार MSW में औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर या तो ठोस या अर्ध-ठोस रूप में एक

नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं, लेकिन उपचारित जैव मेडिक कचरे सहित। अपशिष्ट उत्पादन उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें सामग्रियों को अब मूल्य के रूप में पहचाना जाता है (वर्तमान रूप में) और या तो फेंक दिया जाता है यानिस्तारण के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। निम्न तालिका नियोजन उद्देश्यों के लिए भविष्य के लिए अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और पूर्वानुमान के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन अपशिष्ट उत्पादन को इंगित करती है:

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति
1	आवासीय कचरा	0.3 जैव 0.6 किग्रा / व्यक्ति / दिन
2	वाणिज्यिक कचरा	0.1 जैव 0.2 किग्रा / व्यक्ति/ दिन
3	सड़क की सफाई	0.05 जैव 0.2 किग्रा / व्यक्ति/ दिन
4	संस्थागत कचरा	0.05 जैव 0.2 किग्रा / व्यक्ति / दिन

तालिका 38 घोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड

3.6 विद्युत

विद्युत मनुष्यों की बुनियादी जरूरतों में से एक है। शहरी क्षेत्रों में विकास के साथ विद्युत की मांग में भी वृद्धि देखी जाती है।

विद्युत का स्त्रोत	दूरी (किमी.)	कुल बिजली की मांग (किलोवाट)	कुल बिजली आपूर्ति (किलोवाट)	कुल खपत (किलोवाट)
220KV	8 km	165000	165000	165000

तालिका 39 बस्ती में बिजली की आपूर्ति

स्रोत : विद्युत विभाग, बस्ती

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल बिजली की मांग कुल बिजली आपूर्ति के बराबर है जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.43 किलोवाट है।

शहर में विद्युत संयोजनों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी गयी है।

प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	मार्ग व्यवस्था	प्रकाश	अन्य	कुल
कनेक्शनों की संख्या	25322	55254	266	2300	1027		
बिजली की खपत	128 MW	10 MW	20 MW		7 MW	165MW	

तालिका 40 बस्ती शहर में बिजली कनेक्शनों की संख्या

स्रोत : विद्युत विभाग, बस्ती

3.7 पर्यावरण प्रोफाइल।

शहर की महायोजना न केवल अपने नागरिक की आवश्यकता की गणना करता है, बल्कि पर्यावरणीय खतरों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है। पर्यावरण में जलवायु परिस्थितियां भी शामिल हैं जिन्हें महायोजना के प्रस्तावों से सुधार किया जा सकता है।

शहर को टिकाऊ बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पर्यावरण और उर्जा लक्ष्यों के साथ लागू किया जाना चाहिए और इस प्रकार शहरी परिवर्तनों के स्थायित्व को आश्वस्त करना चाहिए। ये शहर प्राकृतिक संसाधनों का एक कुशल उपयोग, पारिस्थितिक छापों की कमी और उनकी आबादी के लिए रहने की स्थिति की पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त करते हैं। सतत शहरी विकास पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग पर आधारित है। (करेनिजा पोरेडोस)।

शहरों और अन्य निर्मित क्षेत्रों का नेटवर्क बहुत घना है और पर्यावरण पर दबाव तेजी से आत्म—सफाई क्षमताओं से अधिक है। शहरी आबादी का घनत्व और शहरी क्षेत्रों का आकार जितना अधिक होगा, पर्यावरण में विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रतिक्रिया प्रभाव और बहुप्रत परिणाम उतने ही अधिक होंगे। (प्लूट, 2006 पी। 27) सबसे अधिक संबंधित हवा, शौर और यातायात के बोझ की गुणवत्ता है।

शहरी विकास को पारिस्थितिक तंत्र की क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए। सतत विकास को आश्वस्त करने के लिए, सुरक्षा रणनीति को संसाधनों के प्रबंधन में शहरी प्रणाली की दक्षता और संसाधनों के समान पहुंच के आश्वासन से जोड़ा जाना चाहिए (Koželj, 2007)।

उत्तर—प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास भूमि के बड़े हिस्से हैं और पानी की भारी मात्रा वाली कई नदियों के साथ पार किया जाता है। ये संसाधन किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए भारी आर्थिक लाभ और उपयोगी हैं।

3.8 जल निकाय

3.8.1 घाघरा, कुवानो और रास्ती नदी

संस्कृति को दैनिक जीवन और व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने के रूप में देखा गया है। मानसरोवर के पास की यह नदी नेपाल में हिमालय से होकर भारत के ब्रह्मघाट में सरदा नदी के साथ अभिसरण के रास्ते पर कटती है जहाँ यह घगरा नदी बनाती है। घाघरा नदी गंगा की एक प्रमुख बाई सहायक नदी है। भारत में, घाघरा जलग्रहण क्षेत्र के प्रशासनिक जिलों में अंबेडकर्णगर, पियोरिया, आजमगर, बस्ती, बाराबंकी, बलिया, बहरीन, गोंडा, फैजाबाद और गोरखपुर जिले जैसे स्थान शामिल हैं। प्रमुख सहायक नदियाँ— कुवानो, रास्ती और लिटिल गंडक नदियाँ— सभी पहाड़ों से उत्तर की ओर गगरा में बहती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर, इसने उत्तरी उत्तर प्रदेश के विशाल जलोढ़ मैदान को बनाने में मदद की है। कुवानो नदी बस्ती शहर के पश्चिमी किनारे पर बहती है।

3.8.2 प्रदूषण स्तर

पर्यावरण के मुद्दे अनियोजित बस्तियां, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा तैयारी, यातायात प्रबंधन, और जल और भूमि संसाधनों और वायु गुणवत्ता का क्षरण और प्रदूषण हैं। शहरी क्षेत्रों में वाहनों की वृद्धि और सड़कों का प्रावधान कार्बन मोनोआक्साइड (सी.ओ.) प्रदूषण का बड़ा कारक है। तेजी से शहरीकरण के कारण, भारी मात्रा में वनस्पति को कंक्रीट की इमारतों और कम (एल्बेडो सतहों (सिंह और ग्रोवर, 2015) से बदल दिया जाता है। यह भारत के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (वोंग एट अल) में एक बड़ा मुद्दा है।(2010)

शहरीकरण, अपर्याप्त उपचार क्षमता, और अनुपचारित करने के निस्तारण से शहरी और पेरी। शहरी क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण होता है। इसके अलावा, बस्ती में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और सभी अनुपचारित मलजल को नदी में बहा दिया जाता है इसलिए नदी के पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

3.8.3 ध्वनि प्रदूषण

शोर प्रदूषण, हाल के ध्वनि प्रदूषण में, दुनिया भर में शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकटों में से एक के रूप में भलीभांती स्वीकार किया गया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और अन्य संचार और परिवहन प्रणालियों में तेजी से वृद्धि के कारण, ध्वनि प्रदूषण वर्षों में एक परेशान स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में, शोर स्रोतों से दूर और मूक माध्यमिक सड़कों के पास निवास बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रहे हैं। आम जनता शोर शहरी वातावरण से दूर स्थानों पर रहना पसंद करती है। शोर प्रदूषण अपने स्रोत और प्रसार विशेषताओं के कारण अन्य प्रदूषण श्रेणियों से अलग है, जो शहरी वातावरण में सार्वजनिक स्वारथ्य और पर्यावरण गुणवत्ता पर प्रतिकूल

प्रभाव डाल सकता है। किसी शहर में ध्वनि प्रदूषण के स्तर की पहचान करने के लिए इसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिए गए मानकों से की जानी चाहिए। नीचे दी गई तालिका उन मानकों को दर्शाती है जिन पर विचार किया जाना है:

ध्वनि प्रदूषण मानक

क्रमांक	श्रेणी नाम	दिन का समय (डीबी)	रात का समय (डीबी)
1	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2	व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
3	आवासीय क्षेत्र	55	45
4	शांति क्षेत्र	50	40

तालिका 41 वाले प्रदूषण मानक

स्रोत : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB).

* दिन का समय सुबह 6 बजे से होगा। रात 10.00 बजे तक।

* रात का समय 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक होगा।

* साइलेंस जोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है।

* सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त चार श्रेणियों में से एक के रूप में क्षेत्रों की मिश्रित श्रेणियों को घोषित किया जा सकता है।

क्षेत्र	ध्वनि प्रदूषण का स्तर (डीबी)			
	आवासीय	व्यावसायिक	संस्थागत	औद्योगिक
आवास विकास कॉलोनी	62.0	-	-	-
कंपनी बाग	-	73.0	-	-
सिविल लाइन	-	-	-	57.0
प्लास्टिक संकलन	-	-	76	-

तालिका 42 मौजूदा ध्वनि प्रदूषण स्तर

स्रोत : प्रदूषण विभाग बर्सी, 2020

निष्कर्ष

अतः उपरोक्त आँकड़ों से यह देखा जा सकता है कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण बर्सी के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में है। इसके पीछे संभावित कारण शहर का रैखिक विकास पैटर्न हो सकता है क्योंकि प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रवाह के कारण शोर की अधिक संभावना है।

3.8.4 जल प्रदूषण

21वीं शताब्दी में जल गुणवत्ता मुद्दे मानवता के सामने बड़ी चुनौती बन गये हैं। पिछले तीन दशकों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। आज, सभी ज्ञात मानव रोगों का लगभग 25 प्रतिशत पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण के कारण होता है। अनुपचारित अपशिष्ट पदार्थ आमतौर पर मिट्टी और भूजल गुणों को

बदल देते हैं जो इसकी गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। बस्ती के जल निकायों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए इसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों से की जाती है। प्राकृतिक जल निकायों में जल प्रदूषण को विभिन्न मापदंडों के आधार पर पहचाना और परिमाणित किया जा सकता है, जैसे कि घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी), कॉलीफॉर्म जीव, पीएच आदि। जल गुणवत्ता मानदंड के अनुसार, डीओ स्तर पीने के पानी में 6 mg / L और ठब्ब का स्तर <2 mg/ L होना चाहिए। इसके अलावा पानी में कॉलीफॉर्म का स्तर 50 एमपीएन / 100 एमएल से अधिक नहीं होना चाहिए जो पीने के लिए सुरक्षित है। यदि किसी स्रोत की जल गुणवत्ता इन मानदंडों का पालन नहीं कर रही है, तो पानी का पूर्ण उपचार किए बिना पीने के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मानदंड	सीमा (नदी)
BOD	<3 mg/ l
DO	>5 mg/ l
pH	6.5-8.5
COD	<10mg/ l
TDS	<30 NTU

तालिका 43 नदी के जल गुणवत्ता मानक

जल गुणवत्ता डेटा प्रदूषण विभाग, बस्ती से एकत्र किया गया था।

स्थान : – अमहट घाट बस्ती के निकट कुआनो नदी

दिनांक	बीओडी स्तर	सीओडी स्तर	पीएच स्तर	टीडीएस (एनटीयू)	कठोरता	कॉलीफॉर्म स्तर
27.06.2019	3.5	27.6	7.65	280	213	-
12.09.2019	3.4	14.8	7.74	186	292	-
4.12.2019	3	18.6	8.09	172	274.8	-
16.4.2020	2.8	13.2	7.84	148	156	-

तालिका 44 कुवानो नदी की मौजूदा जलगुणवत्ता

स्रोत : प्रदूषण विभाग बस्ती, 2020

* नोट: बस्ती में कोई वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र नहीं है इसलिए वायु प्रदूषण के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है।

निष्कर्ष


उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि नदी की पानी की गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से क्षेत्र के शहरीकरण के कारण है, इसलिए शहर के जल निकायों को क्षरण से बचाने के लिए इन जल निकायों के कायाकल्प के प्रावधान प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही, आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक जल निकायों के और क्षरण से बचाने के लिए मलजल उपचार संयंत्र की आवश्यकता है।

मौजूदा भूमि उपयोग 2020


भूमि उपयोग	मौजूदा भू-उपयोग 2020	प्रतिशत (%)
आवासीय	713.83	47.37
व्यावसायिक	79.91	5.30
भित्रित	35.53	2.36
औद्योगिक	58.65	3.89
सरकारीसंपत्ति	88.08	5.85
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	4.16	
सार्वजनिक सुविधाये	189.13	0.28
		12.55
परिवहन	142.99	9.49
मनोरंजन	194.56	12.91
कुल	1506.84	100.00

तालिका 45 मौजूदा भूमि उपयोग 2020

मौजूदा भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर कुल विकसित क्षेत्र 1506.84 हेक्टेयर है। जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल आवासीय 713.83 हेक्टेयर।



ग्राफ 32 मौजूदा भूमि उपयोग 2020



3.9 बस्ती विकास प्राधिकरण की आय

शहरीकरण की चुनौतियां, आर्थिक विकास की उच्च दर, विकास की संरचना से शहरी—आधारित आर्थिक गतिविधियों की ओर स्थानांतरित करना, और बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, नगरपालिका सरकारों के लिए भारी प्रभाव के साथ पैमाने और जटिलता में अभूतपूर्व हैं। इन चुनौतियों के लिए एक प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए एक नगरपालिका राजकोषीय नीति और रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास और कल्याणकारी जरूरतों को पूरा कर सके।

राशि लाखों में (वर्ष 2020–21)	
राजस्व प्राप्ति	646.68
राजस्व व्यय	602.27

तालिका 46 राजस्व प्राप्ति

स्रोत: बस्ती विकास प्राधिकरण 2020

पिछले दो वर्षों में बस्ती विकास प्राधिकरण की आय और व्यय

	2019–2020 (लाखों में)	2020–2021 (लाखों में प्रस्तावित बजट)
आय	1164.70	1704.308
व्यय	1164.70	1704.308

तालिका 47 पिछले दो वर्षों में बस्ती विकास प्राधिकरण की आय और व्यय

स्रोत : बस्ती विकास प्राधिकरण 2020

वर्तमान में चल रही परियोजनाएं और वित्तीय आवंटन

	कार्य का नाम	लागत (लाखों)	लंबाई (मीटरों)
1	वार्ड-4 में पांडे बाजार के गिरिधारी हाउस से लेकर संपत हाउस होते हुए किशोरी लाल हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 5.75 लाख, लम्बाई 70 मीटर	5.75	70
2	वार्ड-11 में पठान टोला के शमीम हाउस से नदीम रामजी हाउस होते हुए दूध नाथ कहाउस तक इंटरलॉकिंग रोड आच्छादित निकासी कार्य। लागत 5.11 लाख, लम्बाई 80 मीटर	5.11	80
3	वार्ड-15 में पिकौरा दक्षुराई में जगराम चौधरी हाउस से लेकर राजेंद्र चौधरी हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित निकासी कार्य। लागत 3.34लाख, लम्बाई 43 मीटर	3.34	43
4	वार्ड-3 में मनोज सोनकर दुकान से दक्षिण दरवाजा अशपाताल चौराहा मुख्य मार्ग मुरली जोत से श्री हंसस्वीट तक आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 8.27लाख, लम्बाई 80 मीटर	8.27	80
5	वार्ड-19 में डीकेपी शुक्ला दुकान, ओरिजोट में पुलिया निर्माण कार्य लागत 4.98 लाख, लम्बाई 6 मीटर	4.98	6

	कार्य का नाम	लागत (लाखमें)	लंबाई (मीटरमें)
6	वार्ड-5 में द्विजेश रोड पच पीड़िया नगर पालिका सीमा पुलिया, तक मरम्मत कार्य पिको राशि व गुलाम लागत 19.91लाख, लम्बाई 486 मीटर	19.91	486
7	वार्ड-24 में राजा राम यादव हाउस कटारा से सरदार पेट्रोल पंप के रास्ते मुख्य नाले तक ड्रेनेज का काम लागत 14.47 लाख, लम्बाई 125 मीटर	14.47	125
8	वार्ड-3 में शौकत अली हाउस, मुरली जोत से अकबर अली हाउस होते हुए अलादीन हाउस तक इंटर लॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 3.99 लाख, लम्बाई 60 मीटर	3.99	60
9	वार्ड-4 में मदन लाल बनवारी लाल हाउस, बंसी रोड, पांडे बाजार से नरेंद्र कुमार जायसवाल हाउस वाया नवीन शुक्ला हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड बंसी रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 9.82लाख, लम्बाई 128 मीटर	9.82	128
10	वार्ड-5 में गोल्डन बेकरी, पिकौराशि व गुलाम से दक्षिण दरवाजा मस्जिद तक आच्छादित जल निकासी कार्य लागत 5.7लाख, लम्बाई 80 मीटर	5.7	80
11	वार्ड-5 में, पिकौरा शिवगुला मंगला महाकाली मंदिर से सुमन श्रीवास्तव हाउस वाया हेमंत मिश्रा प्लाट तक इंटरलॉकिंग रोड एवं जल निकासी का कार्य लागत 8.07 लाख, लम्बाई 90 मीटर	8.07	90
12	वार्ड-6 में नवीन मंडी के बगल में रेलवे स्टेशन मेन रोड चिकवा टोला से बाला जी प्रकाश बाउंड्री तक सड़क का कार्य। लागत 8.8लाख, लम्बाई 186 मीटर	8.8	186
13	वार्ड-7 में चरणजीत भाटिया हाउस, राजा बाजार सुरतिहटा से निर्मली कुंड, दक्षिण सीमा वाल होते हुए संतराम हाउस तक आरसीसी जल निकासी का काम लागत 5.96लाख, लम्बाई 150 मीटर	5.96	150
14	वार्ड-7 में मनू यादव हाउस, राजा बाजार सुरति हट्टा सेबाथू हाउस तक आरसीसी की दीवार व इंटरलॉकिंग रोड की मरम्मत का कार्य लागत 4.98 लाख, लम्बाई 45 मीटर	4.98	45
15	वार्ड-8 में आजाद शुक्ला हाउस, तुर्किया से मोनू तिवारी हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 5.92लाख, लम्बाई 65 मीटर	5.92	65
16	वार्ड-8 में नर्मल स्कूल के बगल में सीसी रोड मरम्मत कार्य, गंडा नालरोड तुर्किया से राजकुमार पाल हाउस लागत 13-79लाख, लम्बाई 400 मीटर	13.79	400
17	वार्ड-11 में राधा कृष्ण मंदिर पठान टोला से राज भवन वाया मोहराली हाउस तक हॉटमिक्सप्लांट के माध्यम से सड़क मरम्मत का कार्य लागत 11-31 लाख, लम्बाई 500 मीटर	11.31	500
18	वार्ड-13 में केंद्रीय अकादमी विद्यालय मोहरिखेवा के बगल में आरसीसी ड्रेनेज वॉल का कार्य लागत 6.45लाख, लम्बाई 35 मीटर	6.45	35

	कार्य का नाम	लागत (लाखमें)	लंबाई (मीटरमें)
19	वार्ड-19 में राजेंद्र गौड़ हाउस, जैपुरवा ओरीजोत से अशोक चौधरी हाउस तक और सुरेश चौधरी हाउस से डब्लू हाउस तक इंटरलाकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी का कार्य लागत 8.75 लाख, लम्बाई 177 मीटर	8.75	177
20	वार्ड-23 में महेंद्र सिंह प्लॉट, आवास विकास से लेकर ज्योति पब्लिक स्कूल तक और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 9.87 लाख, लम्बाई 145 मीटर	9.87	145
21	वार्ड-24 में सर्टेंड्र सिंह हाउस कटरा से वीरेंद्र तिवारी हाउस से होकर जे.पी. यादव हाउस तक इंटरलाकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य लागत 9.43 लाख, लम्बाई 120 मीटर	9.43	120
22	वार्ड-25 में सुलेह भाई हाउस, पिकौरा बक्स से पर वेजफासी हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 4.69 लाख, लम्बाई 34 मीटर	4.69	34

तालिका 48 बस्ती में चल रही परियोजनाओं की सूची

4. (शक्ति कमी अवसर जोखिम) विश्लेषण

शक्ति

- पर्याप्त सामाजिक आधारभूत संरचना
- अच्छी कनेक्टिविटी और परिवहन
- रैखिक विकास
- 2001–2011 के दौरान कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि (23.6% से 26.6%)
- साक्षरता दर 74% है
- महिला कार्यबल की भागीदारी में वृद्धि।

दुर्बलता

- मनोरंजक क्षेत्रों की कमी
- स्ट्रीट लाइट कवरेज की कमी
- रोजगार के अवसरों की कमी
- यातायात संकुलन
- पार्किंग स्थलों की कमी
- घर-घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करना
- संकेतकों और यातायात संकेतों की कमी
- सार्वजनिक परिवहन का अपर्याप्त कवरेज
- ग्राम विस्तार योजना गायब है कोई ट्रक पार्किंग स्थल नहीं
- अनधिकृत विकास

अवसर

- रोजगार का सृजन
- व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
- जागरूकता में वृद्धि

जोखिम

- वित्त पोषण योजना प्रस्ताव
- अनधिकृत विकास।

5. भविष्य दृष्टि और उद्देश्य।

5.1 भविष्य दृष्टि।

"नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संतुलित विकास को बढ़ावा देना"।

रापली के अनुसार(2003) जीवन की गुणवत्ता पूरी आबादी के सापेक्ष कल्याण का एक सामाजिक वैज्ञानिक सूचकांक होने से विकसित हुई है। (राज्यों की स्थिति का एक उपाय I) व्यक्तिगत व्यक्तिपरक अनुभव का एक औसत दर्जे का पहलू होने के नाते। (व्यक्तियों की स्थिति का एक सूचकांक I) (Rapley, 2003 I) सतत विकास, या वैकल्पिक रूप से, स्थायी जीवन शैली, मनुष्य और प्रकृति के बीच मानवता और सद्भाव के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास। यह एक जीवन शैली है जो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों और अन्य लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की तलाश करती है और ना सतत विकास का मुख्य उद्देश्य अन्य जीवित प्राणियों के संबंध में लंबे समय तक क्षितिज में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। लेकिन सतत विकास को आमतौर पर समझने योग्य, औसत दर्जे का और प्रबंधनीय बनाने के लिए, हमें संकेतकों के सेट की आवश्यकता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) की सिफारिश के अनुसार, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1995 में तैयार किया था – संकेतक के 96 सेट (सतत विकास के संकेतक) जिसमें चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित 134 संकेतक शामिल हैं रू सामाजिक (41), आर्थिक (23), पर्यावरण (55) और संस्थागत (15)। 1997 में – 99 इन संकेतकों का परीक्षण 22 देशों में किया गया था। 2000 में 57 संकेतकों का संशोधित सेट प्रस्तावित किया गया था, जो कि सतत विकास की दिशा में व्यक्तिगत देशों की प्रगति को मापने के लिए साधन के रूप में काम करना चाहिए। एक पूरे के रूप में सच है, अगली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी सहित (Vavrousek, 2000)। साहित्य में जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता के बीच संबंध इस क्षेत्र में समान अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता जैसे शब्दों के निरंतर परस्पर क्रिया द्वारा स्पष्ट है (van Kamp et al. 2003)

5.2 उद्देश्य।

- मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को शामिल करना।
- अनाधिकृत विकास का प्रस्ताव देना।
- यातायात की आवाजाही में आसानी के लिए संचलन नेटवर्क का सुझाव देना।
- संशोधित मास्टर प्लान में आगामी परियोजनाओं और चल रहे परियोजनाओं के प्रस्तावों को शामिल करना।
- आम तौर पर आपदा संभावित क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के नकारात्मक प्रभाव के लिए रणनीति की पहचान करें।
- प्राकृतिक व्यवस्था का संरक्षण
- कभी वाले क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का प्रावधान प्रदान करना।
- नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवस्थित नियोजित विकास के प्रस्ताव।
- विनियमित क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।
- बाजारों, मंडियों, शैक्षिक गतिविधियों जैसी गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना।
- ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत और पर्यावरण के अनुकूल शहर को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि सुनिश्चित करना।
- विकास और वित्त के चरणबद्ध प्रस्ताव का प्रस्ताव

6. प्रक्षेपण

6.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

बस्ती का जनसंख्या प्रक्षेपण							
	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2021	विकास दर 2021(%)	जनसंख्या 2031	विकास दर 2031(%)
नगर सीमा	87371	107601	114657	149000	29.95%	193000	29.53%
नगर पालिका में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 69 गांव	38785	52039	67113	88500	31.87%	116000	31.07%
शहरीकरण योग्य गांव	19311	24369	28235	36500	29.27%	47500	30.14%
राजमार्ग के साथ	24207	30602	35560	46000	29.36%	60000	30.43%
ग्रामीण	39697	49030	55718	72000	29.22%	93500	29.86%
कुल	209371	263641	302599	392000	30.11%	510000	30.10%

तालिका 49 जनसंख्या प्रक्षेपण

जनसंख्या प्रक्षेपण की गणना श्रेणी के अनुसार की जाती है ताकि इसकी आसानी से व्याख्या की जा सके। प्रस्तावित महायोजना 2031 के लिए 69 गांवों को प्रस्तावित बस्ती नगर पालिका परिषद के तहत शामिल किया गया है और इसकी जनसंख्या प्रोजेक्शन की गणना अलग से की जाती है। इसी तरह, शहरीकरण योग्य गांवों राजमार्ग के साथ शहरी गांवों और गांवों की जनसंख्या की अस्वीकृति की जाती है, जिसे उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है।

6.2 प्रस्तावित गांवों का परिचय:

सोनूपार, बेलवाड़, देवपर खस नाम के इस तीन गांवों को जोड़ना आवश्यक है, जो बस्ती विकास प्राधिकरण में नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन बस्ती विकास प्राधिकरण सीमा के बीच उनके स्थान की पहचान की जाती है, इसलिए मौजूदा बीड़ीए सीमा क्षेत्र में इस तीन गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

6.3 भविष्य का घनत्व।

जैसा कि 2031 में अपेक्षित था, कस्बे की कुल अनुमानित जनसंख्या 510000 के आसपास है और बस्ती शहर की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जो बस्ती टाउन की कम निर्णायक वृद्धि के कारण है।

6.4 आवास मांग।

बस्ती नगर में भविष्य में जनसंख्या पूर्वानुमान के आधार पर, योजना अवधि के वर्ष 2031 में कुल जनसंख्या 510000 होगी, जिसके लिए प्रति परिवार पांच व्यक्तियों के मानक के आधार पर 102000 आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी। इसके लिए, विभिन्न आय समूहों के अनुसार आवासीय उपयोग और सहायक उपयोग के लिए लगभग 678.3 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, वर्ष 2031 तक, बस्ती नगर के महायोजना के तहत कुल 678.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में भूमि प्रस्तावित की गई है।

आवास की मांग					
	जनसंख्या	परिवार	मकान	चित्रित	मांग
शहरी 2011	114657	22931	17894	1789	6826
ग्रामीण 2011	69779	12687	11041	1104	2750
कुल	184436	35618	28935	2894	9577
शहरी 2021	318000	27939	20250		7689
ग्रामीण 2021	72000	13091	11006		2085
कुल	390000	41030	31256		9774
					0
शहरी 2031	416500	83300	20250		63050
ग्रामीण 2031	93500	17000	11006		5994
कुल	510000	102000	31256		69044
मांग					69044

आय वर्ग	प्रतिशत	आवास की मांग	प्रति घर क्षेत्र (वर्गमीटर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग	30	30600	50	153
अल्प आय समूह	30	30600	100	306
मध्यम आय समूह	30	30600	200	612
उच्च आय समूह	10	10200	300	153
कुल	100	102000		1224

तालिका 50 आवास की मांग

6.5 आवास प्रस्ताव

आवासीय : नगरीय आबादी की आवासीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मास्टरप्लान में उपयुक्त स्थलों पर कुल 1778.02 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र शामिल है, कुल शहरी प्रस्ताव क्षेत्र 49.9 प्रतिशत है।

6.5.1 आवास / भवन के लिए अनुशंसा

शहर	कार्यवाई	संस्थानों	सहायकनीति
मध्यम अवधि	बाढ़ प्रतिरोधी / सक्षम डिजाइन रणनीतियों सहित भवन नियमों में परिवर्तन	बस्ती विकास प्राधिकरण / नगर एवं ग्राम नियोजन	मध्यम अवधि
	चयनित क्षेत्रों में प्रस्तावित भवनों को बाढ़ स्तर से ऊपर ऊंचा करने का प्रावधान या इसे पर्याप्त रूप से ऊपर उठाना ताकि बाढ़ के पानी की संभावित गहराई 300 मिमी से नीचे तक कम किया जा सके।	बस्ती विकास प्राधिकरण / नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश	
	तात्कालिक सेप्टिक टैंक और / या उपयुक्त के लिए प्रावधान विकेन्द्रीकृत सीवरेज प्रणाली (पारंपरिकसेप्टिक टैंक के बाद से एक निश्चित समय के बाद अशांत प्रवाह के कारण ठीक से काम नहीं करना)य स्टैंड अलोन सोख गड्ढों का निषेध	बस्ती विकास प्राधिकरण / नगर एवं ग्रामनियोजन विभाग, उत्तरप्रदेश	

	चिन्हित निचले इलाकों (हॉटस्पॉट) में बेसमेट पर रोक)	बस्ती विकास प्राधिकरण / नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तरप्रदेश	
	बस्ती के लिए विशिष्ट यथोचित विधियों के साथ वर्षाजल रिचार्जिंग संरचनाओं का अनुकूलन	बस्ती विकास प्राधिकरण, GEAG, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे संगठनों के समर्थन से	
	उपरोक्त परिवर्तनों का कार्यान्वयन अनुपालन	नगर निगम, बीड़ीए	
	सभी मलिन बस्ती विकास योजनाओं के लिए कम लागत, वाली विकेन्द्रीकृत बुनियादी सेवाओं (वर्षा जल, मलजल प्रबंधन) का प्रावधान	डी.यू.डी.ए.	
दीर्घ अवधि	मौजूदा विकास कुछ प्रदर्शन परियोजनाओं / कालोनियों का चयन दिखा रहा है बीच-बीच में तूफान से वर्षा जल रिचार्जिंग का क्रियान्वयन जल निकासी (जल जमाव को रोकने के लिए); उपयुक्त विकेन्द्रीकृत अपशिष्टजल (सीवेज) प्रबंधन प्रणालीय मौजूदा का रूपांतरण सेप्टिक टैंक से तात्कालिक सेप्टिक टैंक	उनकी कॉलोनियों में बीड़ीए एसयूडीएस करने और समुदायों को शामिल करने में सक्षम डिजाइन एजेंसियों से समर्थन	
	प्रदर्शन के लिए चयनित कॉलोनी / मोहल्ला पैमाने पर सतत शहरी ड्रेनेज सिस्टम (एसयूडीएस) का कार्यान्वयन। एसयूडीएस रोजगार जल निकासी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न तकनीकें, जिसमें हरी छतें, सूखी खाइयां (स्वाल्स), डिटेंशन / क्षीण न तालाब, पारगम्यफर्श, भूमिगत भंडारण टैंक और कई अन्य उपाय शामिल हैं, जिनमें से सभी का उद्देश्य अपवाह को रोकना और इसे धीरे-धीरे जल स्रोतों में छोड़ना है या जगीन पर		

स्रोत : शहरी क्षेत्रों में मुख्य धरा की जलवायु लचीलापन द्वारा बस्ती शहर के बस्ती शहर का एक मामला

6.6 प्रस्तावित महायोजना

बस्ती मास्टर प्लान द्वारा शहर के भविष्य के विकास के प्रस्तावों के तहत मुख्य रूप से नगरपालिका क्षेत्र और इसके उपनगरों में पड़ने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को तैयार किया गया है। योजना अवधि 2031 के अंत तक प्रस्तावित भावी शहरी विकास क्षेत्र के तहत कुल 3565.00 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। बस्ती मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न भूमि उपयोग के तहत आने वाले पूरे क्षेत्र का विस्तृत विवरण नीचे दिखाया गया है।

भूमि उपयोग	मध्यम शहर	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)
आवासीय	45-50	49.9%	1778
वाणिज्यिक	2-3	4.9%	174.05
मिश्रित	2-3	1.0%	36.29
औद्योगिक	8-10	6.5%	231.77
सरकारी संपत्ति			
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	6-8	8.8%	323.61
सार्वजनिक सुविधा याये			
परिवहन	10-12	14.4%	513.71
मनोरंजन	12-14	14.2%	507.57
कुल (A)		100	3565.00
राजमार्ग सुविधा क्षेत्र			2573.13
कृषि			8648.11
जल निकाय			129.2
गाँव			158.48
अन्य			4.18
कुल(A+B)			15078.10

तालिका 51 बस्ती का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031

प्रस्तावित भूमि उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

6.6.1 आवासीय

मौजूदा निर्मित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र सहित टाउनशिप शहरी आबादी की आवासीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महायोजना में उपयुक्त स्थलों पर कुल 1778 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र। प्रस्ताव बनाया गया है, जो कुल शहरी प्रस्ताव के क्षेत्रफल का 49.9 प्रतिशत क्षेत्र है।

निर्मित क्षेत्र

निर्मित क्षेत्र से तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र से है, जिसका अधिकांश भाग व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चूका है तथा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यथा—सड़क जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।

6.6.2 वाणिज्यिक

बस्ती शहर की भावी आबादी के लिए विभिन्न स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया है। नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के लिए आवश्यक व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जिला केंद्र के लिए 213.83 हेक्टेयर क्षेत्र को मास्टर प्लान में इंगित क्षेत्र पर प्रस्तावित किया गया है जो कुल मास्टर का 6.0% है। योजना।

बाजार स्ट्रीटरूल

प्रमुख सड़कों के किनारे व्यावसायिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए लोगों की प्रवृत्ति है, इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सड़कों को बाजार सड़क के रूप में चिह्नित किया गया है। बाजार स्ट्रीट को आवासीय भूमि उपयोग में ही अनुमति दी जाएगी।

मालवीय रोड, गांधीनगर रोड, कोतवाली रोड और रेलवे स्टेशन रोड नामक चार प्रमुख सड़कों पर दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई के बराबर चौड़ाई का बफर जोन बनाकर बाजार स्ट्रीट का प्रावधान प्रस्तावित है।

क्रमांक	सड़क का नाम	सड़क की चौड़ाई	क्रमांक
1	मालवीय रोड	30	30
2	गांधीनगर रोड	33.50	33.50
3	मंगल बाजार रोड	30	30
4	कोतवाली रोड	33.50	33.50

तालिका 52 मिश्रित उपयोग

6.6.3 औद्योगिक

वर्ष 2031 के मास्टर प्लान में बस्ती नगर के वर्तमान औद्योगिक विकास एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को मास्टर प्लान-2021 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। इसका मुख्य कारण मास्टर प्लान-2021 के लिए औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित भूमि के आंशिक भाग पर ही औद्योगिक विकास रहा है। शेष भूमि भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए खुले क्षेत्र में स्थित है। जो वर्ष 2031 तक औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। मास्टर प्लान के तहत नगर के वर्तमान औद्योगिक विकास सहित औद्योगिक विकास के लिए 235.09 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो मास्टर प्ला के कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.6 प्रतिशत है।

6.6.4 मिश्रित उपयोग

महायोजना में नए कैर्टेंगरी को परिभाषित किया गया है जिसमें मिश्रित उपयोग के तहत दो से अधिक भूमि उपयोग पर विचार किया गया है। बस्ती महायोजना 2031 में आवासीय और वाणिज्यिक, आवासीय और शैक्षणिक, आवासीय और सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक आदि उपयोग प्रस्तावित हैं। मिश्रित उपयोग के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 36.29 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का 1.0% है जो 3565.00 हेक्टेयर है।

6.6.5 खुले स्थान और हरित क्षेत्र

2031 में बस्ती की अनुमानित जनसंख्या (5,10,000) को ध्यान में रखते हुए, खुले स्थान और हरित क्षेत्र प्रस्तावित 507.57 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 14.2% है। साथ ही, प्रस्तावित सड़क और राजमार्ग के साथ, हरित बफर प्रदान करें जो सड़क के दोनों ओर 30 मीटर हैं।

6.6.6 सार्वजनिक सुविधाएं और सार्वजनिक और अर्धसार्वजनिक:


निम्नलिखित भूमि उपयोग श्रेणियों को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक श्रेणी के तहत माना जाता है रूप सार्वजनिक सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, अग्निशमन, डाक और संचार केंद्र, सामुदायिक सुविधाएं, संस्थागत, विद्युत, सीवेज फार्म, डंपिंग ग्राउंड और खेल का मैदान।

सार्वजनिक सुविधाएं नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो किसी भी शहर के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए शहर की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पर्याप्त सुविधाओं का विकास बहुत आवश्यक है। नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमावर्ती क्षेत्र की प्रगति आदि के कारण संख्यात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने के कारण नगर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनके शहर के विकास और पर्यावरण की स्थिति पर सीधा प्रभाव। वर्तमान जनसंख्या विस्तार और एक पर्यटन रथल होने के कारण बस्ती शहर में सामुदायिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्ती महायोजना में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान में प्रचलित मानकों के आधार पर भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

महायोजना-2031 में इस उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 323.61 हेक्टेयर है, जो महायोजना के कुल क्षेत्रफल का 8.8 प्रतिशत है।


6.6.7 यातायात और परिवहन

यातायात एवं परिवहनरू बस्ती महायोजना -2031, प्रस्तावित क्षेत्र यातायात एवं परिवहन के सुचारू प्रवाह के लिए मौजूदा यातायात व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करते हुए नगर में भविष्य के यातायात के लिए एक मजबूत यातायात मार्ग संरचना का प्रस्ताव किया गया है। शहर, जिसके तहत मौजूदा रूटों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ नए रूट और बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट टाउन, ओवरहेड ब्रिज आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। यातायात एवं परिवहन भूमि उपयोग के अंतर्गत महायोजना में 508.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें मौजूदाध प्रस्तावित मार्ग, बस स्टैंड है। परिवहन शहर और मौजूदा हवाई पट्टी आदि का क्षेत्र शामिल है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 14.3 प्रतिशत है।



ग्राफ 33 बस व ट्रक टर्मिनल का स्थान

गोरखपुर शहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 3.0 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। नए बस अड्डे के लिए मेहंदी वाल हाईवे पर 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रावधान किया गया है-



ग्राफ 34 बस व ट्रक के मार्ग

6.6.8 प्रस्ताव यातायात और परिवहनः।

मुख्य रूप से रेलवे क्षेत्र, बस / ट्रक स्टेशन और सड़क यातायात और परिवहन के अंतर्गत आते हैं। बस्ती नगर पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-लखनऊ वाया गोडा रेलवे लाइन पर बड़ा रेलवे स्टेशन। शहर में यातायात और परिवहन भूमि उपयोग के तहत कुल 507.57 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाता है। जो कि महायोजना में उपयुक्त स्थलों पर कुल क्षेत्र का 14.2 प्रतिशत है। महायोजना यह क्षेत्र के उपयुक्त स्थलों पर प्रस्तावित किया गया है। जिसमें मौजूदा निर्मित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र, जो कुल शहरी प्रस्ताव क्षेत्र का 50-00 प्रतिशत है।

शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ भारतीय शहरों की तेजी से शहरीकरण प्रक्रिया में गतिशीलता प्रवाह एक महत्वपूर्ण गतिशील बन गया है, जो शहरी रूप (अमीन एट अल) के कंकाल का निर्माण करता है। 2013)

भारतीय शहरों में शहरी आबादी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझान तेजी से शहरीकरण, बढ़ती मोटराइजेशन और गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) के घटते मोड़ल शेयर हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप यात्रा की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। इसी समय, मोटर वाहन के स्वामित्व और उपयोग के तेजी से बढ़ते स्तर के परिणामस्वरूप सड़क की भीड़, वायु प्रदूषण, सड़क पर होने वाली विपत्तियों और इकिवटी और सुरक्षा के सामाजिक मुद्दों जैसे नकारात्मक बाहरीताओं की खतरनाक वृद्धि हुई है।

निजी परिवहन की अप्रभावीता या सार्वजनिक पारगमन विकल्पों की कमी शहरी आबादी के इस खंड को लंबी दूरी तक चलने या साइकिल चलाने के लिए मजबूर करती है, और, परिणामस्वरूप, गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। जैसा कि भारतीय शहर बाहर की ओर फैलते रहते हैं, उन निवासियों को मोटर चालित परिवहन के लिए बहुत गरीब होना तेजी से नुकसान में डाल दिया जाएगा, और रोजगार, मनोरंजन, शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य गतिविधि साइटों से काट दिया जाएगा जो उन्हें शहर में उपयोग करने की आवश्यकता है।

बस्ती में मौजूदा आबादी 114657 के आसपास मानी जाती है और 193000 के आसपास इसके बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि बस्ती के विकास के भीतर भविष्य के ग्रामीण क्षेत्र शहरी जनसांख्यिकी में बदल सकते हैं। इस ग्रामीण से शहरी जनसांख्यिकीय संक्रमण के परिणामस्वरूप 2031 तक शहरी आबादी में लगभग

510000 की छलांग लगने की उम्मीद है। इस प्रकार, आने वाले वर्षों में शहरी परिवहन की आवश्यकता भी बढ़ने की उम्मीद होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान मोटराइजेशन स्तर अपेक्षाकृत टिकाऊ हैं, लेकिन उच्च मोटराइजेशन प्रवृत्ति निश्चित रूप से अस्थिर है और इसलिए, विभिन्न परिवहन साधनों में बेहतर संतुलन की मांग पर जोर महत्वपूर्ण है (अहल्वालिया, 2011)।

गैरमोटर चालित परिवहन साधनों की घटती हिस्सेदारी जिसे सक्रिय परिवहन के रूप में भी जाना जाता है, में चलना, साइकिल चलना, अन्य प्रकार जैसे छोटे-पहिया परिवहन (पुश स्कूटर, स्केट्स और हाथ की गाड़ियां शामिल हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते हैं, एनएमटी का हिस्सा परिवहन के निजी साधनों पर बढ़ती निर्भरता को कम करता है।

जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, औसत यात्रा दूरी और साथ ही तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दो संकेतकों के बीच सीधा संबंध है। बस्ती में औसत यात्रा की लंबाई 2 किमी से 8 किमी के बीच है। यात्रा की लंबाई और आवृत्ति में यह प्रवृत्ति केवल बढ़ती आय के स्तर, प्रवासन, महिलाओं की भागीदारी और एक सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ने की उम्मीद है। चूंकि अधिक लोग रोजगार और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से यातायात की भीड़ को बढ़ावा मिलेगा। बस्ती में सड़कों पर और बाहर दोनों जगह पार्किंग की कमी से पार्किंग स्थल की खोज में लगने वाला समय बढ़ जाता है और यातायात की भीड़ को बढ़ावा मिलता है। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह या तो मुफ्त है या ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की तुलना में कम है। यहां तक कि अगर शहर प्रमुख क्षेत्रों में बहुस्तरीय कार पार्कों में निवेश करते हैं, तो पार्किंग दरों से लागत की वसूली की उम्मीद नहीं है (Rye, 2010)।

मंगल बाजार सड़क के साथ बस्ती के व्यावसायिक विकास में, गांधीनगर रोड और मालविया सड़क पहुंच और मिश्रित उपयोग के लिए व्यवस्थित योजना प्रक्रियाओं का पालन किए बिना हुई है। यह शहर में स्थानीयकृत भीड़ और पार्किंग मुद्दों के लिए भारी यातायात को प्रेरित करता है।

इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) नोडल एजेंसी रही है जो मुख्य रूप से इंटरसिटी सड़कों के लिए लेकिन शहरी सड़कों के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए डिजाइन दिशानिर्देश और तकनीकी मानक निर्धारित करती है। इन मानकों का स्वेच्छा से सभी सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा पालन किया जाता है, जिसमें शहरों के लोक निर्माण विभाग भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शहरी सड़क विकास के लिए आईआरसी कोड का पालन नहीं किया जाता है, वे नगर पालिकाओं या सार्वजनिक कार्य विभाग के लिए अनिवार्य नहीं हैं और इसलिए वे ठेकेदारों पर इन मानकों को लागू करने में विफल रहते हैं। नतीजतन, अधिकांश शहरी सड़कें न तो अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं और नहीं उनमें मानकों को अच्छी तरह से लागू किया गया है। ये सड़कें सड़क को पूरी तरह से मार्गों से अपेक्षित सभी जरूरतों को पूरा नहीं करती मार्ग के अधिकार का एक हिस्सा विकसित किया जाता है, जब कि शेष को अविकसित नहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे अनियंत्रित और असंगठित हो जाता है— जो मार्ग दुर्घटनाओं और मार्ग दुर्घटनाओं में मौतों की उच्च दर के वृद्धि का प्रमुख कारण है।

9 जंक्शनों पर अधिकांश यातायात देखा जाता है और जिनमें से 6 को जोड़ने वाली प्रस्तावित अतिक्रमित सड़कों को खोलकर इन 6 जंक्शनों में यातायात का दबाव कम किया जा सकता है।

वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र का भी प्रस्ताव है। मौजूदा वाणिज्यिक विकास पर यातायात को कम करने के प्रस्ताव में गतिविधि के विकेंद्रीकरण पर भी विचार किया जाता है।

शहर के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रक टर्मिनल विकसित करना आवश्यक है। भारी वाहनों के लिए नए पार्किंग स्थल का प्रस्ताव महायोजना में शामिल है।

इसके अलावा, शहर की यातायात परिसंचरण को बढ़ाने के लिए 45 मीटर चौड़ाई, 30 मीटर चौड़ाई, 24 मीटर चौड़ाई और 18 मीटर चौड़ाई की सड़के प्रस्तावित हैं। सड़क अनुभाग अनुलग्नक में दिया गया है।

6.6.9 रिंग रोड से परे क्षेत्रों के लिए पार्किंग मूल्य निर्धारण।

रिंग रोड से परे के क्षेत्रों के लिए पार्किंग मूल्य निर्धारण रिंग रोड के अंदर के क्षेत्रों की तुलना में कम रखने प्रस्तावित है। आंतरिक क्षेत्रों के लिए उच्च पार्किंग शुल्क इन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की मांग को कम करेगा। आंतरिक क्षेत्रों के लिए पार्किंग मूल्य निर्धारण रणनीति के समान, पार्किंग की उच्च दर के लिए वृद्धिशील मूल्य निर्धारण द्वारा दीर्घकालिक पार्किंग की तुलना में रिंग रोड से परे के क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक पार्किंग को बढ़ावा दिया गया है।

साधन	अवधि	सड़क पर पार्किंग	
		शुल्क (₹.)	शुल्क (₹.)
कार	0-2 hrs	10	5
	2-4 hrs	15	10
	4-8 hrs	20	15
	8-12 hrs	25	20
	24 hrs.	NA	25
दुपहिया वाहन	0-2 hrs	5	3
	2-4 hrs	7	5
	4-8 hrs	10	7
	8-12 hrs	15	10
	24 hrs.	NA	15
एलसीवी (हल्के वाणिज्यिक वाहन	0-2 hrs	20	15
	2-4 hrs	NA	20
	4-8 hrs	NA	25
	8-12 hrs	NA	30
	24 hrs.	NA	35

तालिका 53 प्रस्तावित पार्किंग शुल्क

6.6.10 विशिष्ट उपयोग

1. राजमार्ग सुविधा क्षेत्र:


राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, रेस्टरां, होटल, ढाभा, समारोह हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि जैसी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए; जिससे बस्ती शहर में ट्रैफिक की भीड़ कम होगी, टाउन एरिया के बाहर हाईवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित है।

2. सड़क के किनारे हरित पट्टी:

सड़कों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरणीय लाभ के लिए सड़कों के किनारे हरित पट्टी प्रस्तावित है जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

अनुक्रमांक	सड़क	हरित पट्टी	राजमार्ग सुविधा क्षेत्र
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	30 Mt	300 मीटर
2	राज्य मार्ग	30 Mt	300 मीटर

तालिका 54 हरित पट्टी



ग्राफ 35 हरित पट्टी व हाइवे सुविधा क्षेत्र / जोन

3. जलनिकाय :

पुराने मास्टर प्लान (2021) के अनुसार 3 नग हैं। जल निकायों की सुरक्षा और समुचित विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जल निकायों की सुरक्षा के लिए जल निकायों की सीमा पर 10 मीटर ग्रीनबेल्ट बफर का प्रावधान किया गया है।

मास्टर प्लान प्रस्तावों में विद्यमान नालेज्नाले के दोनों ओर 12 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किया गया है।

आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव, अवैध निर्माण से नदी की सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी योजना की दृष्टि से नदी चौनल के दोनों किनारों पर 30 मीटर चौड़े बफर जोन का प्रावधान किया गया है।

मास्टर प्लान प्रस्तावों में अमहत पार्क के पास कुवानो नदी के किनारे घाटों और गणेशपुर रोड की ओर मूर घाट का प्रावधान शामिल किया गया है।

दुकानों के लिए अनुमान।

निवास और खुदरा स्टोर विकेंद्रीकरण के लिए पहली गतिविधियाँ हैं, और इसलिए निर्मित पर्यावरण और शहरी अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ हैं (लैंग, 2003)। खुदरा क्षेत्र आवश्यक है क्योंकि यहरु शहरी निवासियों और आगंतुकों को सामान और सेवाएं प्रदान करता है य कार्यबल का पर्याप्त हिस्सा कार्यरत है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए आय स्थानीय सरकारों के लिए कर सृजित करता है। स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है और स्थानीय संपत्ति मूल्यों का समर्थन करता है य खुदरा क्षेत्रों में लोगों के प्रवाह से निकटता से शहरी जीवन जीवन शक्ति की भावना का समर्थन करता है। (माजा और राइडिन, 1997) और शहरी क्षेत्रों के विकास को प्रभावित करता है। विकास दर बढ़ाने के लिए बाजार को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

इसलिए, ऊपर दी गई तालिका बस्टी शहर में खुदरा और थोक दुकानों दोनों की कुल संख्या 461 है। उत्तर-प्रदेश के भवन निर्माण के अनुसार 10–15 वर्गमीटर के क्षेत्र वाले 400 लोगों के लिए 1 दुकान होनी चाहिए। इस प्रकार, अनुमान तदनुसार किए जाते हैं और नीचे दिखाए जाते हैं:

शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण

वर्ष	जनसंख्या	दुकानों की संख्या
2011	114657	287
2021	284212	711
2031	369386	923

तालिका 55 शहरी क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण

इस प्रकार, शहरी क्षेत्र में 2031 में आवश्यक दुकानों की कुल संख्या 923 होगी।

ग्रामीण क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण

वर्ष	जनसंख्या	दुकानों की संख्या
2021	92633	232
2031	121349	303

तालिका 56 ग्रामीण क्षेत्र में दुकान के लिए प्रक्षेपण

इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र में 2031 में आवश्यक दुकानों की कुल संख्या 303 होगी

पानी की आपूर्ति के लिए मानदंड।

URDPFI दिशानिर्देश और CPHHEO मैनुअल 1999 के अनुसार शहर के लिए आवश्यक जल आपूर्ति की अधिकतम मात्रा नीचे दर्शायी गई है।

क्रमांक	नगर & नगरों का वर्गीकरण	अधिकतम जल आपूर्ति स्तर
1	जिन कस्बों में पाइप से पानी की आपूर्ति की गई लेकिन सीवरेज सिस्टम के बिना	70
2	जिन शहरों में पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था है, जहां सीवरेज सिस्टम	135
	मौजूदा / विचारित है	
3	मेट्रो नगर तथा महानगर जहां पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्थाएँ हैं और जहां सीवरेज प्रणाली मौजूदाध विचारणीय है।	150

तालिका 57 जल आपूर्ति प्रक्षेपणों के लिए मानदंड

स्रोत : यूआरडीपीएफआई 2014

वर्ष 2031 के लिए पानी की आपूर्ति प्रोजेक्शन URDPFI दिशानिर्देशों 2014 के लिए मानदंडों के आधार पर किया जाता है। जहां शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की मांग 135 एलपीसीडी मानी जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी मानी गई है।

6.6.11 नगर क्षेत्र।

2031 में बस्ती 46 शहरीकरण योग्य गाँवों सहित अपेक्षित जल की आपूर्ति नीचे दर्शायी गयी है।

क्रमांक	प्रक्षेपण जलआपूर्ति	2021	2031	इकाई
1	जल आपूर्ति की मात्रा	38.3	49.8	MLD
2	उन्नत सेवा जलाशय	6	8	L/ D
3	भूमिगत संप	12	16	L/ D

तालिका 58 बस्ती शहरी क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए प्रक्षेपण

स्रोत : उत्तर प्रदेश के भवन उपक्रिया

6.6.12 ग्रामीण क्षेत्र।

योजना सीमा के भीतर बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 2031 में अपेक्षित पानी की आपूर्ति नीचे दिखाई गई है।

क्रमांक	अनुमानित जल आपूर्ति	2021	2031	इकाई
1	जल आपूर्ति की मात्रा	6.4	8.4	डस्टर
2	उन्नत सेवा जलाशय	1	1.4	स्टडी क्व
3	भूमिगत संप	2.1	2.8	स्टडी क्व

तालिका 59 बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए प्रक्षेपण

स्रोत : उत्तर प्रदेश के भवन उपयोगिते

उपरोक्त अध्ययन और विश्लेषण के आलोक में साथ ही साथ अगले 10 वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति परियोजना का विस्तार करना नितांत आवश्यक है जिसे तैयार किया गया था। 80 और 60 एलपीसीडी पानी की मांग के आधार पर और जिसे अब (135 + 15% नुकसान) एलपीसीडी पानी की मांग पर संशोधित किया गया है।

मौजूदा सिस्टम पाइप के विभिन्न व्यासों के साथ वितरण नेटवर्क के 60 से 70% कवरेज के साथ कवर किया गया है। डिजाइन वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

विचाराधीन जल आपूर्ति परियोजना के संवर्धन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

- यथार्थवादी जनसंख्या अनुमान और प्रति व्यक्ति जलापूर्ति आवश्यकता की गणना करने की मांग।
- मांग के वास्तविक इनपुट के साथ-साथ मौजूदा पाइपों और सहायक कार्यों आदि के जीवन के साथ नेटवर्क वितरण का ओवरहालिंग।

1. ओ एंड एम लागत को कम करने के लिए।
2. भूजल की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए।

प्रस्तावित योजना कुवानो नदी के सतही स्रोत पर आधारित है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पूरे बस्ती शहर और आसपास के गांवों के लिए 58.2 एमएलडी जलापूर्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। कुल 0.4 हेक्टेयर। मूर घाट से सटे जल शीर्ष कार्यों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का पीने के पानी के प्रदूषण के मुद्दे को कम करने के लिए सीवरेज लाइनों के विपरीत पाइप डालने के प्रावधान के साथ सभी प्रमुख सड़कों, मुख्य सड़कों और शाखा सड़कों पर जलापूर्ति लाइनें प्रस्तावित की गईं।

भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए शहर के नए विकास में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है।



ग्राफ 36 जल कार्य स्थल स्थान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

"नगरपालिका ठोस अपशिष्ट" (एमएसडब्ल्यू) एक शब्द है जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में उत्पादित कचरे के एक विषम संग्रह पर लागू होता है, जिसकी प्रकृति क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न होती है। किसी क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की विशेषताओं और मात्रा न केवल क्षेत्र के निवासियों की जीवित मानक और जीवनशैली का एक कार्य है, बल्कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के बहुतायत और प्रकार की भी है। बस्ती विकास क्षेत्र में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना 2016 है, योजना के मुताबिक ठोस अपशिष्ट शहर के सभी पच्चीस वार्ड से एकत्र किया जाता है। हालांकि, डेटा विश्लेषण से पाया गया था कि दरवाजा ठोस अपशिष्ट संग्रह के दरवाजे की कमी के साथ-साथ स्रोत पर शुष्क और गीले अपशिष्ट का कोई अलगाव नहीं है। बस्ती का नागरिक ठोस कचरे को डंप करने के लिए एक आम साजिश का उपयोग करता है जहां से यह निपटान के लिए एकत्रित होता है।

वर्तमान में जेनरेट की गई ठोस अपशिष्ट प्रति दिन 47 टन है और वर्ष 2031 तक बस्ती शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट की अपेक्षित पीढ़ी प्रति दिन 153 टन है। इसलिए, मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में परिवर्तन की आवश्यकता होती है और इसमें ठोस अपशिष्ट के दरवाजे के दरवाजे के संग्रह में भी शामिल होना चाहिए।

6.7 नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (SWM), 2016 के अनुसार:

1. वसूली, पुनरुत्पयोग और रीसायकल द्वारा कचरे को चौनल में लाने के लिए कचरे का स्रोत अलगाव अनिवार्य है। अपशिष्ट जनरेटर को कचरे को तीन धाराओं में अलग करना होगा— बायोडिग्रेडेबल्स, ड्राई (प्लास्टिक, पेपर, धातु, लकड़ी, आदि) और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट (डायपर, नैपकिन, मच्छर से बचाने वाली क्रीम, सफाई एजेंट आदि) कलेक्टर को सौंपने से पहले।
2. संस्थागत जनरेटर, बाजार संघ, इवेंट आयोजकों और होटलों और रेस्तरां को सीधे अलगाव और कचरे को छांटने और स्थानीय निकायों के साथ साझेदारी में प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। किसी घटना के मामले में, या किसी भी लाइसेंस प्राप्त & बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करने के लिए, आयोजक को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण और कलेक्टर या एजेंसी को अलग-अलग कचरे को सौंपना होगा।
3. सभी होटलों और रेस्तरां को बायोडिग्रेडेबल कचरे को अलग करने और संग्रह की एक प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह के खाद्य अपशिष्ट का उपयोग खाद / जैव मेथनेशन के लिए किया जाता है।
4. नियम यह कहते हैं कि सभी निवासी कल्याण और बाजार संघों और 5,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र वाले गेटेड समुदायों को प्लास्टिक जैसे सामग्री में स्रोत पर कचरे को अलग करना होगा। टिन, कांच, कागज और अन्य और

पुनर्नवीनीकरण सामग्री को या तो अधिकृत अपशिष्ट-बीनने वालों और रिसाइकलर्स या शहरी स्थानीय निकाय को सौंप देते हैं।

5. इस नियम ने उपयोगकर्ता शुल्क तय करने के लिए भारत भर के स्थानीय निकायों को शक्ति दी है। नगर निगम के अधिकारी थोक जनरेटर से संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाएंगे। नियमों के अनुसार, जनरेटर को अपशिष्ट कलेक्टर को उपयोगकर्ता शुल्क और कूड़े और गैर-अलगाव के लिए घ्स्पॉट फाइनए का भुगतान करना होगा, जिसकी मात्रा स्थानीय निकायों द्वारा तय की जाएगी।
6. इसके अलावा, नए नियमों में राज्य सरकार द्वारा अनौपचारिक क्षेत्र से चीर बीनने वालों, कूड़ा बीनने वालों और कबादिवाल के एकीकरण के बारे में उल्लेख किया गया है।
7. नियम फेंकने के लिए शून्य सहिष्णुता को भी निर्धारित करते हैं य सड़कों पर उत्पन्न ठोस कचरे को जलाना, या दफनाना, जनरेटर के बाहर सार्वजनिक स्थान, या नाली, या जल निकायों में खुला होना।
8. नियम के अनुसार लैंडफिल साइट एक नदी से 100 मीटर दूर, एक तालाब से 200 मीटर, राजमार्ग, बस्तियों, सार्वजनिक पार्कों और पानी की आपूर्ति के कुओं से 500 मीटर और हवाई अड्डों & एयरबेस से 20 किमी दूर होगी। उत्सर्जन मानकों को पूरी तरह से संशोधित किया गया है और इसमें डाइऑक्सिन, फुरान के लिए पैरामीटर शामिल हैं, 150 से 100 और अब 50 तक के कण मामलों के लिए कम सीमाएं। इसके अलावा, खाद मानकों को उर्वरक नियंत्रण आदेश के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया गया है।

इस प्रकार, बस्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की विकास दर और जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए बस्ती शहरी क्षेत्र के लिए संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की आवश्यकता है जो सभी चरणों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना 2016 में शामिल करता है।

6.7.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड।

नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) कूड़ा या कचरा है जिसे मानव बस्ती में दिन-प्रतिदिन त्याग दिया जाता है। एमएसडब्लू रूल्स 2000 के अनुसार एमएसडब्लू में औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर या तो ठोस या अर्ध-ठोस रूप में एक नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं, लेकिन उपचारित जैव मेडिकल कचरे सहित। अपशिष्ट उत्पादन उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें सामग्रियों को अब मूल्य के रूप में पहचाना जाता है (वर्तमान रूप में) और या तो फेंक दिया जाता है या निपटान के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। निम्न तालिका नियोजन उद्देश्यों के लिए भविष्य के लिए अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और पूर्वानुमान के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन अपशिष्ट के हिसाब से दर्शाती है।

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन
1	आवासीय कचरा	0.3 जव 0.6 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
2	वाणिज्यिक कचरा	0.1 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
3	सड़क की सफाई	0.05 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
4	संरथागत कचरा	0.05 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन

तालिका 60 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड

6.7.2 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान।

दी गई तालिका अनुमानित जनसंख्या के अनुसार ठोस अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा को दर्शाती है।

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति		
		2021	2031	न्दपज
1	आवासीय	162084	221631	किलो / दिन
2	व्यावसायिक	54028	73877	किलो / दिन

3	सड़क सफाई	54028	73877	किलो / दिन
4	संस्थागत	54028	73877	किलो / दिन
	कुल	324168	443262	किलो / दिन

तालिका 61 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2031 में उत्पन्न होने वाली ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति दिन 443262 किलोग्राम होगी, इसलिए ठोस अपशिष्ट संग्रह के प्रावधान तदनुसार किए जाने चाहिए। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट को वार्ड-वार एकत्र किया जाता है और प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि ठोस अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र पर्याप्त है।


6.7.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति।

क्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति		
		2021	2031	Unit
1	आवासीय	55580	72809	किलो / दिन
2	व्यावसायिक	18527	24270	किलो / दिन
3	सड़क सफाई	18527	24270	किलो / दिन
4	संस्थागत	18527	24270	किलो / दिन
	कुल	111161	145619	किलो / दिन

तालिका 62 ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2031 में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा 145619 किलोग्राम प्रति दिन होगी। अतरु ठोस कचरा संग्रहण के प्रावधान तदनुसार किए जाने चाहिए।

स्थानरू 0.5 हेक्टेयर का प्रावधान। पूरे बस्ती टाउन क्षेत्र के ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान प्रक्रिया के लिए अमहत माफी गाँव का क्षेत्र प्रस्तावित है।



प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम प्रणाली की प्रक्रिया

- अपशिष्ट उत्पादन:** उन सामग्रियों की पहचान करना जो अब उपयोग में नहीं हैं और या तो व्यवस्थित निपटान के लिए एकत्र की जाती हैं या फेंक दी जाती हैं।
- ऑनसाइट हैंडलिंग, भंडारण और प्रसंस्करण:** ये आसान संग्रह की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए – कचरे के डिब्बे उन जगहों पर रखे जाते हैं जो पर्याप्त कचरा उत्पन्न करते हैं।
- अपशिष्ट संग्रह:** कचरा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण चरण में कचरा संग्रह डिब्बे रखने, उन डिब्बे से कचरा इकट्ठा करने और उस स्थान पर कचरा जमा करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं जहां संग्रह वाहन खाली हैं। हालांकि संग्रह चरण में परिवहन शामिल है, यह आमतौर पर अपशिष्ट परिवहन का मुख्य चरण नहीं है।
- अपशिष्ट स्थानांतरण और परिवहन:** स्थानीय कचरा संग्रह स्थानों से कचरे को बड़े कचरा परिवहन वाहनों में क्षेत्रीय कचरा निपटान स्थल तक ले जाने में शामिल गतिविधियां हैं।
- अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति:** अपशिष्ट धारा से पुनरु प्रयोज्य या पुनरु प्रयोज्य सामग्री को पुनर्प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन के अन्य कार्यात्मक तत्वों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए नियोजित सुविधाओं, उपकरणों और तकनीकों का संदर्भ लें।
- निपटान:** अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम चरण है। इसमें लैंडफिल या कचरे से ऊर्जा सुविधाओं जैसे स्थानों में अपशिष्ट पदार्थों के व्यवस्थित निपटान के उद्देश्य से गतिविधियां शामिल हैं।

6.8 बिजली के लिए मानदंड।

2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार बिजली आपूर्ति की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, अनुशसित खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 यूनिट या प्रति दिन 2.74 kWh प्रति व्यक्ति की मांग है जिसमें घरेलू वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं।

इसलिए, बस्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मांग 2031 तक बढ़ने की उम्मीद है और 2031 में मानदंडों के अनुसार प्रति दिन 2.74 kWh प्रति व्यक्ति बिजली की आवश्यकता होगी।

बस्ती नगर की सभी प्रमुख और छोटी सड़कों पर प्रत्येक 30 मीटर के फासले पर बिजली के खंभे लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जायेगा।



6.9
आव
स
और
मलि
न
बस्त
ी
विक
ास।

ऐसी खराब आवास व्यवस्था शहरीकरण प्रक्रिया के लिए गंभीर चुनौती होती है। जो जीवन स्तर के न्यूनतम मानक से कम हो जाता है और बेहद खतरनाक स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति से ग्रस्त है। समस्याओं के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं नियंत्रण उन्मुख थीं और शहर में पहले से ही उन लोगों के लिए एक स्वस्थ वातावरण को संरक्षित करने पर

केंद्रित थीं। न केवल झुग्गीवासियों की कम आय के कारण, बल्कि आवास और जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी के लिए कम निजी मांग को प्रस्तुत करने वाले कार्यकाल और कानूनी अधिकारों की असुरक्षा के कारण भी स्लम विकास समस्याओं से ग्रस्त है। कैदियों की दुविधा की स्थिति के कारण बेहतर आवास की व्यक्तिगत मांग भी कम है, जिसके तहत एक घर के विकास से संपत्ति के अचल संपत्ति मूल्य में बहुत वृद्धि नहीं होती है क्योंकि पड़ोस के अन्य झुग्गी निवासियों को समान स्तर की मांग का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। (Klosterman 1985)।

बाजार संस्था का स्लम विकास पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती मांग और अचल संपत्ति की कीमतें एक वरदान के साथ-साथ स्लम विकास के लिए भी हैं। चूंकि झुग्गियों में आसपास के क्षेत्रों में अचल संपत्ति की कीमत विकसित होती है, जो अक्सर उच्च आर्थिक गतिविधि के स्थान होते हैं, इसलिए भी ऊपर जाने की संभावना है (रामस्वामी, 2008)।

विकासशील देशों में शहरी परिवृत्ति में झुग्गियों के मशरूम के लिए गरीबी और रोजगार की कमी दो प्रमुख कारण हैं। स्लम विकास के लिए आय सृजन और मानव विकास गतिविधियाँ महत्वपूर्ण साधन हैं। नई रोजगार सृजन और परिसंपत्ति तपाइ पुनर्वितरण गरीबी उन्मूलन उपाय शहरी गरीबी से निपटने के महत्वपूर्ण तरीकों में से हैं। लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश अनिवार्य है। सामुदायिक बचत कार्यक्रम (डिंक्रूज एडं युदीयू, 2013) के माध्यम से मलिन बस्ती विकास में निजी निवेश बढ़ाया जा सकता है।

बस्ती में 55% मलिन बस्ती घर अच्छी हालत में हैं और मलिन बस्ती आबादी 4600 है। इस प्रकार की मलिन बस्ती स्थिति में उसी स्थान पर मलिन बस्ती पुर्नविकास बेहतर होगा। मलिन बस्ती इन-सीटू पुर्नविकास का ढांचा दिया जाता है।

6.9.1 अवैध कालोनियों का नियमितीकरण।

बस्ती में अनधिकृत कालोनियों और घरों का निर्माण वर्षों से होता रहा है और अनधिकृत विकास के कारण, प्राधिकरण द्वारा नई विकास अनुमति नहीं दी गई है। एनएच 27 सड़क और मालविया सड़क के बीच निर्माण या तो सरकारी भूमि पर निर्मित क्षेत्र से भटक रहा है। गुणों को नियमित करने की आवश्यकता होती है। सरकारी भूमि पर इमारतों के निर्माण को नियमितीकरण के लिए नियमों के अलग सेट की आवश्यकता होती है। गांधीनगर सड़क के दक्षिणी भाग पर रिंग रोड सहित सड़कों का भी अतिक्रमण किया गया है। मालवीय सड़क और गांधीनगर सड़क और रिंग रोड को जोड़ने वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं इस क्षेत्र के घंटों के पुनर्वास की दृष्टि से।

अनधिकृत विकास को नियमित करते समय, अनुचित लाभ न लेने के लिए पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए अनधिकृत विकास को नियमित करने की तारीख में कटौती की आवश्यकता है। यहां तक कि निर्माण को किसी अन्य राज्य को भंग नहीं करना चाहिए या नियमितीकरण से पहले केंद्रीय कानूनों की भी जांच करनी चाहिए।

तिथि में कटौती : नियमितीकरण प्रक्रिया को लागू करने से पहले कट-ऑफ की तारीख तय की जानी चाहिए। (यह वर्तमान निर्माण या चल रहे कार्यों को हतोत्साहित नहीं करने देगा)।

किस प्रकार के विकास को नियमित किया जा सकता है।?

पार्किंग नियमों का उल्लंघन नहीं होने के संबंध में अनधिकृत विकास को नियमित किया जाएगा। यदि पार्किंग नियमन में कोई उल्लंघन होता है, तो नामित प्राधिकारी उपयुक्त स्थान पर ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए एक आदेश द्वारा निर्देशित करेगा, जो आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर इस तरह के अनधिकृत विकास के 500 मीटर के भीतर है।

- नामित प्राधिकारी किसी भी अनधिकृत विकास को नियमित करेगा यदि निम्न में से किसी का उल्लंघन नहीं है
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनियमित हवाई अड्डे के फनल या संक्रमण क्षेत्र में विकासय
- रेलवे सीमा के आसपास के क्षेत्र में विकास रेलवे अधिकारियों के स्थायी आदेशों या निर्देशों द्वारा विनियमित हैं।
- प्रासंगिक कानून के तहत संरक्षित या संरक्षित किए जा रहे स्मारकों के आसपास के क्षेत्र में विकासय
- विकास तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के तहत विनियमित हैं।
- सरकारी भूमि या जल निकाय पर विकास।

- अनाधिकृत विकास को सड़क की लंबाई अथवा उप-विधि के अधीन यथावांछित आवश्यक सेट बैंक को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में नियमित किया जाएगा।

6.9.2 उसी स्थान पर (इन-सीटू पुनर्विकास ढांचे)

अर्ह मलिन बस्ती निवासियों को आवास प्रदान करने के लिए भागीदारी से भूमि को संसाधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसी स्थान पर (इन-सीटू) मलिन बस्ती पुनर्वास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए घर मिशन का महत्वपूर्ण घटक है। इसका लक्ष्य मलिन बस्तीयों में भूमि की अनुपयोगी क्षमता का लाभ लेकर अर्ह मलिन बस्ती निवासियों को आवास प्रदान करके उन्हें औपचारिक शहरी बसावट में की गई मलिन बस्तियों को अनिर्वायता विमुक्त (डिनोटीफाई) किया जाना चाहिए।

ऐसी सभी परियोजनाओं में अर्ह मलिन बस्ती निवासियों हेतु निर्मित सभी घरों के लिए औसतन एक लाख रुपया प्रति घर की दर से मलिन बस्ती पुनर्वास अनुदान देय होगा। अर्ह मलिन बस्ती निवासियों को घर प्रदान करने के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि पर मलिन बस्तियों के इन-सीटू पुनर्विकास को राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेशों अथवा शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपनी नीतियों के अनुरूप अतिरिक्त एफ.एस.आई. / एफ.ए.आर. की डी.आर. भू-स्वामी को देकर प्रोत्साहित किया जा सकता है।

एक व्यवहार परियोजना के दो घटक होंगे अर्थात्, मलिन बस्ती पुनर्वास घटक जो अर्ह मलिन बस्ती निवासियों को मूलभूत नागरिक संरचना वाले आवास प्रदान करता है। और मुक्त विक्रय घटक इन-सीटू पुनर्विकास में, कार्यान्वयन एजेंसी स्लम-डेवलर्स के लिए एक अस्थायी आवास प्रदान करेगी जब तक कि निर्माण पूरा नहीं हो जाता। फिर, लाभार्थियों को बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर आवास में, अपनी मूल भूमि पर वापस ले जाया गया। यह प्रक्रिया आजीविका जारी रखने में सक्षम बनाती है और सामाजिक संबंधों को बनाए रखती है। इस नीति की सफलता तीन प्रमुख परिणामों पर निर्भर करती है:

1. आवास की सभ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना:

यह सुनिश्चित करने के लिए आवास की गुणवत्ता बेहद महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी आवास में वापस जाएं। कम लागत पर गुणवत्ता वाले आवास बनाना, जैसा कि ऐसी योजनाओं द्वारा मांग की जाती है, डेवलपर्स के लिए एक चुनौती बन जाती है। कम गुणवत्ता वाले आवास में अक्सर बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे कि दीवारों में पानी का रिसाव, जबकि मध्यम गुणवत्ता वाले आवास बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं फिर भी अपर्याप्त प्रकाश व्यवस्था हो सकती है। खराब गुणवत्ता वाले आवास बनाने से योजना के लिए अक्षम परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि गुणवत्ता लाभार्थी स्थीकृति दरों को निर्धारित करती है। इससे लाभार्थियों को झुग्गियों में रहने के लिए छोड़ दिया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप परित्यक्त आवास हो सकता है। इसलिए, गुणवत्ता आवास सुनिश्चित करने के लिए योजना में प्रोत्साहन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विचार है।

2. समय पर पुनर्विकास सुनिश्चित करना:

पुनर्विकास के दौरान, झुग्गी-झोपड़ी के निवासी अस्थायी आवास में रहते हैं, जो अक्सर आजीविका के अपने क्षेत्रों से दूर होते हैं। इस अंतरिम अवधि के दौरान, लाभार्थियों को ऑफ-साइट आवास में स्थानांतरित कर दिया जाता है, पूर्व स्लम साइट पर इमारतों का निर्माण किया जाता है, और सरकारी मानकों के अनुपालन को प्रमाणित करने की अनुमति देता है। हालांकि, इस समय को अक्सर कानूनी देरी और आवश्यक सहमति प्राप्त करने से लंबा किया जाता है। परियोजना में देरी का हर अतिरिक्त दिन कम आय वाले घर के लिए दैनिक मजदूरी की आय का नुकसान है।

3. लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना:

अपने संघ या अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से झुग्गी निवासियों को विशेष रूप से झुग्गी पुनर्वास घटक के डिजाइन के उद्देश्य से पुनर्विकास परियोजनाओं को तैयार करते समय परामर्श दिया जाना चाहिए। यह पुनर्विकास पीपीपी मोड द्वारा किया जा सकता है और निजी डेवलपर्स जो स्लम पुनर्विकास परियोजना को निष्पादित करेंगे, उन्हें एक खुली पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाना चाहिए।

विचलन योजना से यह देखा जाता है कि महायोजना की प्रस्तावित सड़कों का अतिक्रमण किया गया है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों को स्थानांतरित या विकसित करने की आवश्यकता है। पीएमएवाई ने अतिक्रमण पुनर्वास और पुनर्वास पर विचार किया है लेकिन प्रस्तावित सड़कों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इसलिए सड़क पर निर्मित आवास के प्रस्तावित स्थानांतरण के लिए एक जेब प्रस्तावित है।

6.10 वेंडिंग जोन—अनौपचारिक क्षेत्र।

स्ट्रीट वेंडर आजीविका कमाने की कोशिश करते हुए शहरी आबादी को मूल्यवान सेवाएं प्रदान करते हैं और राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आजीविका कमाने के लिए जनसंख्या के इस खंड के अधिकार की रक्षा करे। संविधान के अनुच्छेद 39 (ए) और (बी) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को निर्देशित करेगा ताकि

- नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है।
- समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इतना अच्छा वितरित किया जाता है कि आम अच्छे की सेवा कर सके।

शहरी विक्रेता व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं, स्थिर और साथ ही मोबाइल विक्रेताओं दोनों को शामिल करता है और सभी हॉकर, फेहरिवाला, रेहरी—पित्री वालेला, फुटपाथ डुकंदर, फुटपाथ व्यापारियों, आदि को शामिल करता है।

विक्रेताओं (स्थिर और मोबाइल) की संख्या के लिए शहर के अधिकारियों को ऐसे प्राकृतिक बाजारों के स्थानों पर शविक्रेताओं के बाजारश के रूप में नामित पर्याप्त स्थान प्रदान करना चाहिए, जो उनके माल & सेवाओं की मांग को पूरा कर सकते हैं। यदि ऐसे स्थान पर विक्रेता उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक हैं, तो शुल्क द्वारा अतिरिक्त को विनियमित किया जा सकता है और विवेकाधीन लाइसेंस नहीं। किसी भी मामले में मूल्य, गुणवत्ता और मांग से संबंधित बाजार बल स्वचालित रूप से विक्रेताओं की संख्या को स्थायी स्तर तक कम कर देंगे।

इसके अलावा, वेंडिंग जोन के साथ—साथ बाजारों का विकेंद्रीकरण भी महत्वपूर्ण है इसलिए स्थानों को भूमि उपयोग में पहचाना जाता है जो सीमित बाजार स्थानों और यातायात भीड़ के कारण होने वाली अराजकता को कम करेगा।

स्ट्रीट वेंडर आजीविका के मूल अधिकार को जबरन बेदखल करने और इनकार करने के लिए सबसे कमजोर हैं। यह गंभीर दीर्घकालिक कठिनाई, दुर्बलता और गरिमा के नुकसान सहित अन्य क्षति का कारण बनता है। इसलिए, किसी भी सड़क विक्रेता को जबरदस्ती नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्हें पर्याप्त पुनर्वास के साथ स्थानांतरित किया जाएगा, जहां तत्काल आवश्यकता के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता होती है।

सड़क वेंडिंग के प्रस्तावित स्थान पर, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि स्कूलों, पार्कों आदि में भोजन के संबंध में यह सबसे महत्वपूर्ण है जहां बच्चों के लिए काफी जोखिम है। हालांकि गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है, लेकिन 'स्वास्थ्य निरीक्षक' का अभ्यास आवश्यक रूप से उपयुक्त या उत्पादक नहीं हो सकता है।

सड़क विक्रेताओं को पर्यावरण को साफ रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए — कचरे को ठीक से निपटाने आदि से।

स्ट्रीट वेंडर्स असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते औपचारिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों से विशेष रूप से उनकी आर्थिक गतिविधियों के लिए क्रेडिट तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, जिसके बिना उन्हें उच्च व्याज दरों पर उधार लेने वाले निजी साहूकारों पर निर्भर रहना होगा। इस प्रकार, उन्हें एक औपचारिक प्रणाली प्रदान की जा सकती है, जैसे पंजीकरण प्रणाली। इस प्रणाली को ऑपरेशन के पैमाने को विनियमित करने के लिए हॉकर यूनियन & एसोसिएशन के साथ भागीदारी में चुना जा सकता है।

विक्रेताओं के संघों को गैर सरकारी संगठनों द्वारा और एसएचजी के आयोजन के लिए एसजे-एसआरवाई योजना के तहत सहायता प्रदान की जानी चाहिए, एसएचजी को नेटवर्किंग और फेडरेटिंग करना विक्रेताओं और औपचारिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के बीच एक वित्तीय इंटरफेस बनाने के लिए न केवल आय सृजन के लिए बल्कि जब भी आवश्यकता होती है, आवास के लिए बड़े क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त करना।

नगर पालिका परिषद द्वारा प्रस्तावित वैडिंग जोन को प्रस्तावित महायोजना 2031 में बरकरार रखा गया है।

ठोस कचरे के संग्रह के लिए संकीर्ण सड़कों वाले क्षेत्रों में भाग नहीं लिया जाता है। इसके लिए सड़कों के चौड़ीकरण को सेट बैक के प्रावधान से छोड़ा किया जा सकता है। वर्तमान में आंतरिक क्षेत्र में छोटे वाहनों द्वारा कचरे को इकट्ठा करने का प्रस्ताव है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से कचरे के आसान संग्रह के लिए यह 35 नहीं प्रस्तावित है।

2031 की अनुमानित आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा स्थान पर वैज्ञानिक भूमि भराव स्थल विकसित करने का प्रस्ताव है।

कर्षे में पानी की आपूर्ति।

पानी की आपूर्ति और इसके बाड़ों की प्रस्तावित आवश्यकता अध्याय संख्या 7.1.1 में काम की है। नए ईएसआर और यूजीएस के साथ-साथ नदी के पास उपचार संयंत्र के लिए आवश्यकताएं पानी की आपूर्ति की भविष्य की मांग के लिए प्रस्तावित हैं। सेवन की व्यवस्था नदी के तल पर बनाई जानी है। सिर के विकास के लिए नदी के पास 1 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए शहर के नए विकास में अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। 1 एकड़ भूमि के विकास के लिए एक वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए।

भूमिगत जल निकासी:

नालियां शहर और आसपास के क्षेत्र से जल निकासी कर रही हैं, भूजल को दूषित करती हैं और जल जनित मर जाती हैं। पूरे नए विकास क्षेत्र में भूमिगत जल निकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रस्ताव है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जल निकाय के पास दक्षिण पश्चिम की ओर 10000 वर्ग मीटर का एक कम-झूठ वाला क्षेत्र प्रस्तावित है। पंपिंग स्टेशनों के लिए, व्यापक सड़कों का उपयोग किया जा सकता है। उपचारित पानी के पुनः उपयोग की भी योजना पहले से आवश्यक है।

शहरी क्षेत्र के लिए मार्ग प्रकाश।

शहर का क्षेत्र स्ट्रीट लाइटिंग से आच्छादित है और आसपास का शहरी क्षेत्र भी आंशिक रूप से स्ट्रीट लाइटिंग से आच्छादित है। प्रस्तावित सड़कों में 30 मीटर के अंतराल पर स्ट्रीट लाइट डबल आर्म प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अतिक्रमण वाली सड़कों और नई प्रस्तावित सड़कों को खोलने के लिए कुल 16000 डबल आर्म स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होगी।

वर्षा जल की निकासी।

शहर के क्षेत्र की सड़कें खुली तूफान के पानी की नालियां प्रदान करने के लिए संकीर्ण और कठिन हैं। यह प्रस्तावित क्षेत्र में पाइप ड्रेन प्रदान करने और प्रस्तावित सड़कों पर आरसीसी बॉक्स नालियों को खोलने का प्रस्ताव है। पानी को तूफान के पानी की नालियों में एकत्र किया जाएगा और अंततः नदी में छोड़ा जाएगा। इसे प्रति घंटे 50 मिमी वर्षा के लिए डिजाइन किया जाना आवश्यक है।

जल संसाधन विकास।

जल निकायों को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता है। जल निकायों के संरक्षण के लिए, जल निकायों से प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में 10 मिलियन टन बेल्ट होना प्रस्तावित है। नदियों के संरक्षण के लिए। नदी के सामने का विकास नागरिक को मनोरंजक क्षेत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तावित है। नदी सीमा से 30 मीटर मार्जिन के भीतर विकास पर प्रतिबंध प्रस्तावित है।

नदी केंद्रित विकास

रिवरफ्रंट का विकास घाट के किनारे ही किया जाना चाहिए, इसमें तटबंध और सुधार कार्य, सड़क का निर्माण और पानी, सीवर नेटवर्क, तूफानी जल निकासी, आदि जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना, स्लम का पुनर्वास और पुनर्वास, पैदल मार्गों का निर्माण शामिल होगा। उद्यान और सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव। कुवानों नदी के किनारे रिवरफ्रंट का विकास किया जाना है। रिवरफ्रंट विकास के कुछ मॉडल चित्र नीचे दिखाए गए हैं।



चित्र 10 नदी के किनारे रिवरफ्रंट का दृश्य_1



चित्र 11 नदी के किनारे रिवरफ्रंट का 3 -व दृश्य_2



चित्र 12 रिवरफ्रंट की पार्किंग का 3-वृत्तशय



चित्र 13 नदी के किनारे

ग्रामीण विकास

यह देखा गया है कि समय के साथ राजमार्गों और एमटीआर के साथ-साथ वाणिज्यिक और संरथागत विकास हुआ। अतः गाँवों के प्राकृतिक विकास के लिए गाँव की सीमा के चारों ओर की भूमि को संबंधित गाँव के कल्याण के लिए भविष्य के किसी भी प्रकार के विकास के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। बेल्ट की चौड़ाई निम्नानुसार भिन्न होती है

1. 5000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की एक पेटी आरक्षित की जानी चाहिए।
2. 5000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में ग्रामीण क्षेत्र की सीमा से 600 मीटर की एक पेटी आरक्षित की जानी चाहिए।

3. राजमार्गों के दोनों ओर 200 मीटर की एक पट्टी आरक्षित की जानी चाहिए।
4. एमडीआर के साथ, दोनों पर 50 मीटर की बेल्ट आरक्षित की जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन परियोजनाएँ:

बस्ती विकास क्षेत्र में आग और बाढ़ बड़ी आपदा होती है। आपदा की समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित नए रिंग रोड पर एक कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर प्रस्तावित है। यह केंद्र शहरी और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। 3 से 5 मिनट के भीतर आपदा से निपटने के लिए रिंग रोड पर दो सब फायर स्टेशन प्रस्तावित हैं। कमान और नियंत्रण केंद्र में बाढ़ से लड़ने के लिए प्रशिक्षण केंद्र होता है।

7. महायोजना 2031 के लिए नीतियां

7.1 नदी केंद्रित विकास

चूंकि क्वांडो नदी शहर के साथ बहती है, नदी केंद्रित शहरी नियोजन पर विचार करना आवश्यक है। नदी केंद्रित योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार शहरी नदियाँ सामाजिक—आर्थिक—पारिस्थितिकी—व्यवस्था के जटिल संतुलन के रूप में कार्य करती हैं, जो सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं, मनोरंजक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, आजीविका निर्भरता के साथ—साथ नदी प्रणाली की पारिस्थितिक सेवाएं। लंबे समय तक नदी के संरक्षण और संरक्षण के लिए, अपस्ट्रीम क्षेत्रों में किसी भी शहरी बस्ती, अतिक्रमण और विकासात्मक गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। भू जल संसाधनों के लिए गुणवत्ता संरक्षण और सुधार और भी महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित किया जाना है कि स्थानीय अपशिष्ट, उर्वरक और रसायन आदि भू जल में नहीं रिसने चाहिए। शहरी प्राकृतिक जल संसाधनों की गुणवत्ता को सुरक्षित करने के लिए जल निकायों के किनारों के साथ एक रिप्रेयिन क्षेत्र के रूप में एक ग्रीन बफर प्रदान किया जाना है। साथ ही इको पार्क या रिवरफ्रंट डेवलपमेंट जैसी परियोजनाओं को नदी किनारे किया जा सकता है।

एक जिला एक उत्पाद योजना

यह योजना शहर के भीतर एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। यह योजनाएं मौजूदा पारंपरिक उद्योगों को कायम रखने और उनका पोषण करने में मदद करती हैं, यह एक विशेष उत्पाद में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। बसंती अपने फर्नीचर उत्पादन और लकड़ी शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसलिए इन उद्योगों को बढ़ाया जा सके और शहर के लोगों के लिए अधिक आर्थिक अवसर विकसित किए जा सकें। इस योजना को लागू करने से शहर को एक उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञ बनाने में मदद मिलेगी और अंततः ब्रांडिंग, विपणन समर्थन और आसान ऋण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मान्यता हासिल करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि प्रोत्साहन इस प्रकार है:

- ग्रामीण क्षेत्रों में 10 एकड़ से अधिक की ग्राम सभा भूमि की पहचान कर उद्योग विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) और अन्य संगठनों द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु क्षेत्र के लिए न्यूनतम 30% क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
- भूमि उपयोग परिवर्तनरूप कृषि भूमि विकास प्राधिकरणों की कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण शुल्क से 100% छूट।
- पूंजीगत ब्याज सब्सिडी: 5 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष
- इंफ्रास्ट्रक्चर ब्याज सब्सिडी: 5 साल के लिए 5% प्रतिवर्ष
- औद्योगिक गुणवत्ता विकास सब्सिडी: 5% प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए
- भूमि परिवर्तन छूट: एमएसएमई के लिए कृषि भूमि विकास प्राधिकरणों पर स्थापित किए जा रहे कृषि से औद्योगिक तक भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क की छूट
- बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति : एमएसएमई के लिए उत्पादन की तारीख से वर्षों तक निश्चित बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

बस्ती में ठोस कचरा प्रबंधन नीति को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि शहर के भीतर बेतरतीब ठोस कचरा प्रबंधन से बचा जा सके।

नीतियों के उद्देश्य हैं:

1. स्वस्थ, स्वच्छ और रहने योग्य वातावरण के लिए उत्तर प्रदेश के कस्बों और शहरों में स्वच्छता के उच्च मानकों को प्राप्त करना।

2. लैंड फिल में जाने वाले कचरे को न्यूनतम करने और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) के विभिन्न घटकों के कचरे में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनर्प्राप्ति और इष्टतम उपयोग पर जोर दिया जाएगा। इस रणनीति में अन्य बातों के साथ-साथ अपशिष्ट से खाद और अपशिष्ट से ऊर्जा तक प्रौद्योगिकी विकल्प शामिल होंगे।

3. एसडब्ल्यूएम शुल्क और अन्य स्रोतों से पर्याप्त राजस्व प्रवाह के साथ राज्य में एक विकेन्द्रीकृत / एकीकृत और लागत प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की तैयारी, कार्यान्वयन और संचालन की सुविधा के लिए ठोस कचरे के प्रबंधन की नीति विकसित की गई है।

4. साझेदारी, बिक्रीया पुनः उपयोग के माध्यम से ऊर्जा उपयोगकर्ताओं को बर्बाद करने के लिए बरामद अपशिष्ट संसाधनों (उच्च मूल्य के पुनर्चक्रण, कम मूल्य के पुनर्चक्रण, खाद, दहन शील सामग्री (आरडीएफ) का अंतिम उपयोग या उपचार सुनिश्चित करना।

5. कचरे के स्रोत, प्रकृति, मात्रा और भविष्य और एसडब्ल्यूएम सुविधाओं पर उपलब्ध डेटा और जानकारी पर्याप्त रूप से व्यापक और विश्वसनीय है, जो कचरे की रोकथाम, वसूली और पुनर्चक्रण में प्रभावी ढंग से मदद करने वाले कचरे को विनियमित और प्रबंधित करने में सक्षम है।

6. हितधारकों, संस्थानों और संगठनों को एक विकेन्द्रीकृत / एकीकृत और लागत प्रभावी के इष्टतम विकास और संचालन को प्राप्त करने में उनकी भूमिकाओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में पर्याप्त जागरूकता और समझ होनी चाहिए।

समर्थन/ प्रोत्साहन निम्नलिखित रूपों में हो सकता है:

- कचरे को कम करने के लिए प्रोत्साहन।
- वार्ड व यूएलबी को ओडीएफ बनाना।
- डोर-टू-डोर कलेक्शन, से ग्रीगेशन, कूड़ा-करकट पर प्रतिबंध और यूजर चार्ज लगाने पर नियम बनाने के लिए प्रोत्साहन।
- उपयोगकर्ता शुल्क के 100% संग्रह के लिए प्रोत्साहन।
- यूएलबी का उत्पादन करने वाले "0 अपशिष्ट" को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन।
- कबड्डीवाला, कूड़ा बीनने वालों जैसे अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप देने के लिए यूएलबी को प्रोत्साहन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी में ई-गवर्नेंस उपकरणों के उपयोग के लिए यूएलबी को प्रोत्साहन अर्थात् सफाई कार्यों की उपस्थिति और जियो-टैगिंग, कचरे के जीपीएस सक्षम परिवहन।

सौर ऊर्जा नीति

सौर ऊर्जा का अक्षय रूप है और इसे गैर-नवीकरणीय स्रोतों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। यूपी सौर ऊर्जा नीति का उपयोग बस्ती के लोगों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है। प्राधिकरण शहर के भीतर सौर रूफ टॉप परियोजनाओं, सौर स्ट्रीटलाइट, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपसेट, किसी भी अन्य ऑफ ग्रिड सौर उत्पाद के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण पीपीपी मोड पर सौर पार्क स्थापित कर सकते हैं।

वर्षा जल संचयन

बस्ती मुख्य रूप से भू जल संसाधनों पर निर्भर है, इस प्रकार भूजल की कमी से बचने के लिए एक विकल्प की आवश्यकता है। इस प्रकार विकास क्षेत्र में वर्षा जल संचयन किया जा सकता है। लोगों को वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने के लिए अधिकारियों द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए।

अवैद्य कालोनियों का नियमितीकरण

बस्ती क्षेत्र में लगभग 30% अनधिकृत कॉलोनियों और घरों का निर्माण वर्षों से हो रहा है और अनधिकृत विकास के कारण, प्राधिकरण द्वारा नई विकास अनुमति नहीं दी जाती है। शहर में निर्माण निजी भूमि और खुली जगह के लिए आरक्षित भूमि पर किया जाता है। मुख्य सड़कों के साथ वाणिज्यिक विकास या तो क्षेत्र या आरक्षण से विचलित हो रहा है। जल निकायों के पास अनधिकृत कॉलोनियां भी विकसित हुईं। कुछ विकास आया है हवाई अड्डे के नियंत्रण क्षेत्र के पास। बाढ़ संभावित क्षेत्र में अनधिकृत विकास से मानसून के दौरान अधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। ग्रामीण

क्षेत्रों में, राजमार्गों के साथ मिश्रित प्रकृति का अनाधिकृत विकास समय के साथ हुआ क्योंकि यह बीड़ीए मास्टर प्लान क्षेत्र में नहीं था। शहर में पानी के रास्ते पर हुए अनाधिकृत विकास ने पानी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है जिससे शहर में बाढ़ आती है। अनाधिकृत कॉलोनियों में भी सड़क की चौड़ाई का रखरखाव नहीं किया जाता है।

अनाधिकृत विकास भी नियमों के कारण होता है। मिक्सयूज में, प्रमुख शहर की सड़कों के साथ 60 मीटर मिक्सयूज जोन में हैं जिसमें प्राधिकरण आवासीय के लिए अनुमति नहीं देता है और 12 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूमि, वाणिज्यिक अनुमति की भी अनुमति नहीं है। यह मालिकों के लिए कठिनाई पैदा करता है और अंततः अ अनाधिकृत विकास में परिणत होता है।

अनाधिकृत विकास को नियमित करते समय, अनुचित लाभों को नियंत्रित न करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए अनाधिकृत विकास को नियमित करने की तिथि में कटौती की आवश्यकता है। यहां तक कि निर्माण को किसी अन्य राज्य या केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह भी नियमितीकरण से पहले जांचना आवश्यक है।

कट ऑफ डेट: नियमितीकरण प्रक्रिया लागू होने से पहले कट ऑफ की तारीख तय करना आवश्यक है। (यह वर्तमान निर्माण की अनुमति नहीं देगा या चल रहे कार्यों को हतोत्साहित नहीं करेगा)

7.1.1 किस प्रकार के विकास को नियमित किया जा सकता है

- निम्नलिखित अनाधिकृत विकास को नियमित किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के विकास के लिए पार्किंग नियमों का उल्लंघन नहीं है। यदि पार्किंग नियमन में कोई उल्लंघन होता है, तो नामित प्राधिकारी नियमितीकरण आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त स्थान पर ऐसी सुविधा प्रदान करने का निर्देश देगा जो इस तरह के अनाधिकृत विकास के 500 मीटर के भीतर हो।
- नामित प्राधिकारी किसी भी अनाधिकृत विकास को नियमित करेगा यदि निम्नलिखित में से किसी का भी उल्लंघन नहीं होता है, –
- नागरिक उड्डयन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनियमित हवाई अड्डे के फनल या संक्रमण क्षेत्र में विकासय
- रेलवे अधिकारियों के स्थायी आदेशों या निर्देशों द्वारा विनियमित रेलवे सीमा के 30 मीटर नियंत्रण के भीतर विकास। रेलवे प्राधिकरण से एनओसी आवश्यक है।
- प्रासंगिक कानून के तहत संरक्षित या संरक्षित किए जा रहे स्मारकों से 100 मीटर या 200 मीटर में विकास; सक्षम प्राधिकारी के लिए एनओसी आवश्यक है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के तहत विनियमित विकास।
- सरकारी भूमि या जल निकाय पर विकास।
- निर्दिष्ट सड़कों के किनारे रिबन विकास नियमों का उल्लंघन करने वाला विकास।
- अतिक्रमणों को सड़क या अन्य भूमि पर नियमित नहीं किया जा सकता है।
- बाढ़ संभावित क्षेत्र में अनाधिकृत विकास।
- विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि।
- मास्टरप्लान में आरक्षित भूमि।
- डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार अस्थिर संरचना।
- क्षेत्र अप्रिय और खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- अर्ध सरकारी प्राधिकरण की सरकार की भूमि।
- नाटक, सिनेमाथिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार, प्रदर्शनीहॉल, मैरिजहॉल, स्केटिंगरिंग, जिमनासिया, स्टेडियम, डांसहॉल, क्लब, और पार्किंग नियमों का उल्लंघन होने पर सड़क, वायु, समुद्र द्वारा सार्वजनिक परिवहन के लिए स्टेशन।
- पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के तहत अर्जित उपयोगकर्ता का अधिकार

- भारतीय विद्युत नियम, 1956 के तहत विद्युत कंपनी द्वारा बिछाई गई ग्रिड लाइनों के आस पास के क्षेत्र में नियमित विकास
- सड़क की लंबाई को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई के संबंध में अनाधिकृत विकास को नियमित किया जाएगा या उपनियमों के तहत आवश्यक रूप से वापस सेट किया जाएगा।

7.1.2 परिस्थितियाँ जिनमें अनाधिकृत विकास को नियमित किया जा सकता है।

- ग्राउंड कवरेज
- निर्मित क्षेत्र
- भवन की ऊँचाई
- उपयोग में बदलाव
- पार्किंग

7.1.3 नियमित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- भूमि माप पत्र के साथ स्वामित्व दस्तावेज।
- उपविधि के अनुसार वास्तविक अनुमेय निर्मित क्षेत्र और आवश्यकताएं।
- अनाधिकृत निर्माण और उपविधियों के प्रावधान के अनुसार आवश्यकताओं की कमी दिखाने वाली योजना।
- यदि आवश्यक हो, विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- अतिक्रमणों, यदि कोई हो को हटाने का वाचन पत्र
- नियमितीकरण अधिसूचना के अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर आवेदन।
- स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट।
- अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन।

7.1.4 कैसे नियमित किया जाए

सभी दस्तावेजों के अनुपालन के बाद और यह सही पाया जाता है,

- भूमि परिवर्तन शुल्क और विशिष्ट उपयोगकेलिए निर्धारित शुल्क लेकर।
- निर्मित क्षेत्र पर प्रभाव शुल्क लेकर नियमित किया जाए।
- प्रति यूनिट एक मुश्त शुल्क वसूलकर।

7.1.5 नियमितीकरण के परिणाम

सभी अदालती मामले या अन्य कार्यवाहियां, जो उपयुक्त प्राधिकारीया अधि भोगी या मालिक द्वारा या अन्यथा दायर की गई हैं और किसी भी अदालत में लंबित हैं, जहां तक वे इस तरह के अनाधिकृत विकास से संबंधित हैं, समाप्त हो जाएंगी।

7.1.6 नियमितीकरण निधि का उपयोग

- अवसंरचना विकास कोष का गठन।

सरकारी नीतियाँ

क्रमांक व	नीतियों	टिप्पणियां
1	भूजल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन	नियम
2	कृषि निर्यात नीति	नियम

क्रमांक व	नीतियों	टिप्पणियां
3	नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन नीति	प्राधिकरण स्तर
4	रक्षा और एयरोस्पेस निर्माण नीति	शून्य
5	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति	उद्योग विभाग
6	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगनीति	उद्योग विभाग
7	औद्योगिक नीति	उद्योग विभाग
8	आईटीस्टार्ट—अपनीति	उद्योग विभाग
9	दूध नीति	जीडीसीआर
10	फार्मास्युटिकल उद्योग नीति	उद्योग विभाग
11	सौर ऊर्जा नीति	नियम
12	कपड़ा उद्योगनीति	उद्योग विभाग
13	पर्यटन नीति	भूमि की आवश्यकता नहीं
14	भंडारण और रसद नीति	उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थल

तालिका 63 सरकारी नीतियाँ

7.1.7 विकास अधिकार का हस्तांतरण

विकास के हस्तांतरण (टीडीआर) का अर्थ है, निर्मित क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाला एक पुरस्कार, एक साइट या भूखंड का मालिक या तो बेच सकता है या उपयोग—इन—सीटू / अन्यत्र, भूमि को आत्म समर्पण करने / भूमि को मुफ्त में उपहार में देने के बदले में उपयोग कर सकता है यूएलबी (नगर निकाय, शहरी सुधार ट्रस्ट, शहरी विकास प्राधिकरण) को मास्टर प्लान के अनुसार या सड़क चौड़ीकरण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अलग करने की आवश्यकता है, मनोरंजक उपयोग क्षेत्र, आदि। पुरस्कार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक टीडी आर प्रमाण पत्र के रूप में है। टीडीआर प्रमाण पत्र में अन्य बातों के साथ—साथ सरेंडर किए गए क्षेत्र और सर्कलरेट के अनुसार उस क्षेत्र की लागत का उल्लेख होना चाहिए। इन प्रमाण पत्रों को भवन उप—नियमों के तहत या राज्य सरकारों द्वारा समय—समय पर तैयार किए गए टीडीआर दिशा निर्देशों के संयोजन के तहत विनियमित किया जाता है।

टीडीआर भूमि विकास की एक तकनीक है, जो भूमि के एक विशेष पार्सल की विकास क्षमता को अलग करती है और शहर के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर कहीं और इसके उपयोग की अनुमति देती है। यह मालिक को भूमि के एक विशेष पार्सल के विकास अधिकारों को दूसरे को बेचने की अनुमति देता है। यह अधिकार समाप्त हो गया है और प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार भूखंड प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सामान्य एफएसआई से ऊपर, जो एक जर्मीदार को अपने मौजूदा भवन या खाली भूमि पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने का अधिकार देता है।

यह आमतौर पर आंतरिक—शहर क्षेत्रों के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण / पुनर्विकास के लिए उपयोग किया जाता है और कई शहरों / राज्यों में इसका परीक्षण किया गया है। हालांकि, इसकी संभावनाएं और परिणाम हैं जैसा कि विभिन्न शहरों में कार्यान्वयन से अनुभव किया गया है। उदाहरण के लिए, टीडीआर की बेलगाम पूलिंग शहरीरूप, टीओडी रणनीतियों, सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता आदि को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसे पूर्व निर्धारित स्थानिक ढांचे के भीतर सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए।

भारत में, कुछ राज्यों द्वारा प्रासंगिक नगर अधिनियम / नगर नियोजन अधिनियम / भवन नियमों में संशोधन करके टीडीआर नीति पेश की गई है। टीडीआर, सामान्य तौर पर, एक व्यापक शहरी विकास उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तत्वों में से एक के रूप में कार्य कर रहा है।

टीडीआर पद्धति का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया जा रहा है जैसे

- मास्टरप्लान / सेक्टर योजना के प्रावधान के अनुसार हरित स्थानों— पार्कों / खुलेखानों / खेल के मैदानों / जलनिकायों आदि का विकास।
- सड़कों का विकास जिसमें सड़क चौड़ीकरण और अन्य ट्रंक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण शामिल है
- सार्वजनिक पार्किंग स्थल का विकास
- मास्टरप्लान प्रस्तावों के अनुसार नगर स्तरीय सुविधाओं / अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों का विकास
- स्लम पुनर्वास योजना
- सार्वजनिक आवास पुनर्विकास
- राज्य की किफायती आवास नीति के तहत किफायती मकानों का विकास
- ऐतिहासिक इमारतों / स्थलों / विरासत संरचनाओं आदि का संरक्षण।
- जल निकायों और झीलों का संरक्षण

भविष्य में, टीडीआर न केवल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण के विकल्प के रूप में बल्कि उन के निर्माण के लिए भी हो सकता है।

भूमि / संपत्ति मालिकों मेंटीडीआर के आर्थिक मूल्य को लेकर आशंकाएं हैं। टीडीआर प्रमाणपत्रों में एफएसआई क्रेडिट होते हैं, लेकिन उन का मौद्रिक मूल्य शहर में समग्र संपत्ति बाजार पर निर्भर करता है और इसलिए अनिश्चित है। वे समय पर मुआवजे की व्यवस्था भी नहीं कर सकते क्योंकि डीआरसी धारकों द्वारा पैसे की आवश्यकता होने पर उपयुक्त खरीदार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए, सुनिश्चित करने का एक तंत्र दिए गए मास्टर प्लान / विकास नियंत्रण विनियमों की समय सीमा के भीतर डीआरसी का मूल्य, ऐसी समय सीमा समाप्त होने के बाद पुनर्मूल्यांकन / सत्यापन, सूचना और तकनीकी—कानूनी सहायता आदि के मामले में नागरिकों विशेष रूप से विशेष नागरिकों की हैंडहोल्डिंग में बनाया जा सकता है टीडीआर नीति नागरिकों की स्वीकृति सुनिश्चित करने, कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने और टीडीआर प्रमाणपत्रों के वाणिज्यिक मूल्य को बढ़ाने के लिए।

कोई भी टीडीआर नीति तभी प्रभावी हो सकती है जब वह एक साथ दो बुनियादी शर्तों को पूरा करे। सबसे पहले, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत मौद्रिक मुआवजे के बदले में भूमि मालिकों को स्वेच्छा से टीडीआर स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। पुनर्वास अधिनियम (एलएआरआर), 2013। दूसरे, शहर में एक रियल एस्टेट बाजार होना चाहिए जिसमें निजी क्षेत्र के डेवलपर्स / रियल एस्टेट बाजार के खिलाड़ी टीडीआर खरीदने के इच्छुक हैं ताकि उन्हें नामित प्राप्त क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके — मांग की मूल अवधारणा।

इसलिए, केवल टीडीआर नीति अपनाने से इसकी सफलता की गारंटी नहीं है। नीति साधन प्राथमिक रूप से तब प्रभावी होगा जब:

- डेवलपर डीआरसी खरीदना चाहते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना चाहते हैं; तथा
- जर्मीदार अपनी भूमि को स्थायी रूप से प्रतिबंधित करते हुए डीआरसी बेचने के इच्छुक हैं
- 'भेजने वाले क्षेत्र' और 'प्राप्त क्षेत्र' कारण नीतिक चयन टीडीआर नीति की सफलता के लिए आधार शिला रखता है। शहरी स्थानीय निकायों / प्राधिकारियों को बाजार मांग मूल्यांकन और प्राप्तकर्ता क्षेत्रों की ढांचागत क्षमता के आधार पर भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को अच्छी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा, इन दोनों क्षेत्रों का सीमांकन करते समय, चर्चा करने के लिए प्रमुख प्रश्न होंगे क) विकास अधिकार किसी विशेषक्षेत्र से क्यों भेजे जाने चाहिए, और ख) इसका उपयोग कहां किया जाएगा ताकि योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके। शहर में मांग के आधार पर, भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्र भी डीआरसी के उपयोग की अंतर संभावनाओं के साथ समान हो सकते हैं।
- यूएलबी/ प्राधिकारियों को टीडीआर लिखत के संबंध में बाजार सहभागियों को विश्वास का संकेत देने के लिए नियामक और नीतिस्तर की स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्हें प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में भावी वृद्धिशील एफएसआई / बीयूए के संबंध में बाजार सहभागियों से प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए और यह कि एक अनुमानित और पारदर्शी तरीके से हासिल किया जा सकता है। बाजार सहभागियों में अभी भी इस विश्वास को

बनाए रखने के लिए, यूएलबी / प्राधिकरण योजना अवधि के विकास नियंत्रण विनियमों में टीडीआर पर एक समर्पित अध्याय जोड़ सकते हैं, जिसमें टीडीआर लागू हो सकता है, इसकी कौपिंग, उपयोग मानदंड आदि शामिल हो सकते हैं। एक बार अवधि अंत में, टीडीआर प्रमाणपत्रों का पुनरु सत्यापन किया जा सकता है और एफएसआई में किसी भी परिवर्तन को तदनुसार इसमें शामिल किया जा सकता है।

- यूएलबी/ प्राधिकारियों द्वारा टीडीआर प्रमाणपत्रों के अंकित मूल्य को बनाए रखने को महत्व दिया जाना चाहिए, हालांकि, ऐसा करने में, उन्हें प्राप्त करने में एफएसआई को प्रतिबंधित करने से बचना चाहिए क्षेत्र इतना कम है कि व्यवहार्य विकास केवल टीडीआर के उपयोग से ही संभव हो पाता है। इससे शहर में विकसित भूमि की कृत्रिम कमी हो सकती है। इसी कारण से, टीडीआर नीति शहर में समग्र एफएसआई में वृद्धि को प्रतिबंधि त नहीं कर सकती है।
- टीडीआर नीति अपनाने का बड़ा उद्देश्य यूएलबी की वित्तीय स्थिति में सुधार करना है। इसलिए, राज्यों / यूएलबी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि टीडीआर नीति के उपयोग या प्रचार से शहर पर कोई अनपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ता है या शहर की योजना और विकास के उद्देश्य को कमजोर नहीं करता है। जैसे स्थिर टीडीआर का संचय, 'प्राप्तक्षेत्रों' में यातायात की भीड़, आदि।

7.1.8 प्रारंभिक चरण

एक प्रभावी टीडीआर नीति पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारें / यूएलबी / योजना प्राधिकरण इस खंड में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं।

- I. चरण I— कानूनी ढांचा— टीडीआर नीति शुरू करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे में उपयुक्त संशोधन एक आवश्यक आवश्यकता है। राज्य सरकारों को अपने—अपने शहर में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता होगी
- II. चरण II— शहरी स्थानीय निकायों द्वारा शहरों में बाजार की मांग का आकलन— टीडीआर एक बाजार आधारित उपकरण है। इसलिए, शहरी स्थानीय निकायों / योजना प्राधिकरणों को बाजार की मांग का आकलन करने और उन क्षेत्रों / योजना गलियारों / योजना विशिष्ट भूमि पार्सलों की पहचान करने की आवश्यकता होगी जहां भविष्य में विकास की मांग हो सकती है। अधिक विशेष रूप से, अधिकतम अनुमेय एफएसआई से अधिक अतिरिक्त एफएसआई की मांग स्पष्ट होनी चाहिए। इस मूल्यांकन में शहर के मास्टर प्लान के अनुसार भूमि मूल्य, क्षेत्रवार आपूर्ति और डीआरसी की मांग क्षमता के पहलुओं को शामिल किया जा सकता है और टीडीआर के उत्पादन और खपत के लिए उपयुक्त क्षेत्रों या कारकों का सुझाव दिया जा सकता है।
- III. चरण III— डिजिटल निर्णय—समर्थन प्रणाली की स्थापना— शहरी स्थानीय निकाय / योजना योजना प्राधिकरण मौजूदा भूमि उपयोग, नियोजित भूमि उपयोग, स्वामित्व, सङ्क की चौडाई, और भूमि मूल्य इस डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने और शहर में भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों के सीमांकन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की योजना के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इस तरह की प्रणाली टीडीआर जारी करने में किसी भी तरह की विसंगतियों से बचने में मदद कर सकती है और किसी भी अप्रत्याशित मुकदमों को रोक सकती है।
- IV. चरण IV— 'भेजने और प्राप्त करने वाले क्षेत्रों' की पहचान
 - a) शहरी स्थानीय निकायों / योजना योजना प्राधिकरणों को शहर के मास्टरप्लान के अनुरूप 'भेजने वाले क्षेत्रों' का स्पष्टरूप से सीमांकन करना चाहिए।
 - b) 'प्राप्त करने वाले क्षेत्रों' की पहचान करने के लिए, शहरी स्थानीय निकायों / योजना योजना प्राधिकरणों को उन क्षेत्रों की पहचान और सीमांकन करना चाहिए जहां शहर के विकास / योजना मास्टरप्लान के अनुसार अतिरिक्त घनत्व की योजना बनाई गई है और बाजार मांग मूल्यांकन भविष्य में विकास को इंगित करता है।
 - c) कुछ शहरों में, बाजार की मांग के आकलन और ढांचागत उपलब्धता के अनुसार, क्षेत्रों को भेजने और प्राप्त करने की अवधारणा एक कारक गुणक पर आधारित हो सकती है। उदाहरण के लिए, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से उत्पन्न डीआरसी का उपयोग कम घनत्व वाले क्षेत्रों में वृद्धिशील रूप से (2 गुना) किया जा सकता है, जबकि कम घनत्व वाले क्षेत्रों से उत्पन्न डीआरसी का उपयोग उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में घटते कारक (0-5 गुना) को लागू करके किया जा सकता है।
- V. चरण V— 'प्राप्त करने वाले क्षेत्रों' में पर्याप्त बुनियादी ढांचे की योजना बनाना — यूएलबी सभी 'भेजने वाले क्षेत्रों' में कुल टीडीआर उत्पादन क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं। यह 'प्राप्त क्षेत्र' की मौजूदा अवसंरचनात्मक क्षमता के साथ—साथ शहरी स्थानीय निकायों को सङ्कों, जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य बुनियादी ढांचे के पर्याप्त प्रावधान

- की योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। शहर की डिजिटल स्थानिक डेटाबेस प्रणाली ऐसे ढांचागत प्रावधानों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सहायक होगी।
- VI. चरण VI— भवन उप-नियमों में संशोधन— यूएलबी / योजना प्राधिकरणों को टीडीआर नीति के समग्र दायरे के तहत भवन उप-नियमों / विकास नियंत्रण विनियमों को संशोधित करने की आवश्यकता होगी।
- VII. चरण VII — डीआरसी पुरस्कार के मूल्य का आकलन— डीआरसी के मूल्य को भूमि के बाजार मूल्य के प्रदान करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने से जोड़ा जाना चाहिए। डीआरसी पर भूमि मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सूत्र विकसित किया जाना चाहिए।
- VIII. टीडीआर के व्यापार के लिए एक ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली की रूपान्वयन (वैकल्पिक) — टीडीआर व्यापार तंत्र में पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, गलत सूचना को रोकने, बेहतर निगरानी की सुविधा और प्रक्रिया को नागरिक अनुकूल बनाने के लिए, यूएलबी द्वारा एक ऑनलाइन टीडीआर बैंक आवेदन विकसित किया जा सकता है। इस पोर्टल में विभिन्न विशेषताएं हो सकती हैं जैसे जारी किए गए टीडीआर प्रमाणपत्रों का विवरण, टीडी आर क्षेत्र की गणना, बिक्री और खरीद की अधिसूचना आदि। ऐसी प्रणाली लेन देन लागत को भी कम कर सकती है और डीसीआर के उपयोग / बिक्री के लिए दलाल / बिचौलियों पर निर्भरता को समाप्त कर सकती है।
- IX. चरण VIII — हितधारक परामर्श और टीडीआर नीति की घोषणा— टीडीआर नीति का मसौदा तैयार होने के बाद हितधारक परामर्श (निजी क्षेत्र और नागरिक) आयोजित किया जा सकता है। जनहित में उचित समझे जाने पर मसौदा नीति में संशोधन किया जा सकता है। इस कदम पर, राज्य सरकारें अपने उद्देश्य के विवरण सहित टीडीआर नीति घोषित कर सकती हैं, लागू क्षेत्र, मानक संचालन प्रक्रियाएं, मूल्य निर्धारण के सूत्र, डीआरसी वैधता की समय सीमा, डीआरसी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, डीआरसी की बिक्री और डीआरसी का उपयोग, नागरिकों को तकनीकी—कानूनी सहायता के साधन और इसके संचालन के लिए अन्य विस्तृत नियम। कुल मिलाकर बाजार में अधिक विश्वास को प्रेरित करने और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, नगरपालिका एंटीडीआर नीति को अधिसूचित करने से पहले अपेक्षित शासन और लेखा सुधार कर सकती हैं। यह नगरपालिका बांड (वैकल्पिक) जारी करने के संदर्भ में भी किया जा सकता है।

7.1.9 पार्किंग नीति।

7.1.10 मुद्दे

- यह देखा गया है कि दुकान के मालिक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और उन के कर्मचारी दिन भर अपने प्रतिष्ठानों के सामने अपने वाहन पार्क करते हैं। आम उपभोक्ताओं को वाहन खड़ा करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। नॉन पीक आवर्स में भी सड़क पर खड़े वाहन नजर आते हैं।
- बिना किसी शुल्क के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कब्जे वाली गली की जमीन दिनभर।
- नए प्रतिष्ठानों के लिए पार्किंग प्रावधानों का उल्लंघन। प्रतिष्ठानों द्वारा पार्किंग स्थान का गलत उपयोग। नागरिकों को परिसर में अपने वाहन पार्क करने की अनुमति नहीं देना।
- सभी उपयोग के लिए पार्किंग का प्रतिशत तय करने के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- वाहनों का यातायात लगभग 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है जो जनसंख्या में वृद्धि से तीन से चारगुना अधिक है।
- सड़क की चौड़ाई निश्चित है और वर्षों में इसे बढ़ाना मुश्किल है। ले जाने की क्षमता साल दर साल कम होती जाती है।
- रेलवेस्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल और मल्टीप्लेक्स में पार्किंग का चार्ज लोग दे रहे हैं।
- यूएलबी कब तक मुफ्त पार्किंग देगा?
- स्थानीय सरकार पार्किंग स्थल विकसित करने में विफल रही है।

7.1.11 विश्व स्तर पर प्रयास और इसका प्रभाव

स्थूनिख (जर्मनी) काकेसस्टडी

- जनसंख्यारू 1,356,594
- जनसंख्या घनत्व रू 4,370 /k m²
- कार रसायनिक्तर प्रति 1000 निवासियों पर 516 वाहन

- नीतिगत लक्ष्य : भीड़ भाड़ शमन, सार्वजनिक स्थान सुधार, वैकल्पिक मोड संवर्धन

रणनीतियाँ

- आकर्षक सार्वजनिक परिवहन,
- मांग—उन्मुख पार्किंग मार्ग दर्शन प्रणाली।
- विभिन्न विशेषताओं के साथ पार्किंग क्षेत्र।
- पूरे शहर में सख्त पार्किंग नियमन।
- पूरे शहर में पार्किंग मूल्य निर्धारण।
- नए भवनों के लिए अधिकतम पार्किंग मानक।
- पार्किंग की अनुमति नहीं है (लाल)।
- आवासीय पार्किंग क्षेत्र (हरा)
- मिश्रित पार्किंग क्षेत्र (नीला):
- कम समय के लिए पार्किंग क्षेत्र (पीला)

निम्नानुसार चार्ज करके पार्किंग नीति पेश करें।

- 1 घंटे के अल्पप्रवास के लिए कोई शुल्क नहीं।
- लंबी अवधि के लिए, यह तीन चार गुना था।
- व्यस्त सड़कों के लिए शुल्क अधिक है
- कोई पार्किंग जुर्माना नहीं लगाया गया।
- पीक और नॉन-पीक आवर शुल्क शुरू किए गए।

यातायात में कमी

- कार यात्राएँ: - 14%
- साइकिल: - 75%
- चलना: 61%
- रातभर की पार्किंग में 25% की कमी,
- पूरे दिन पार्क करने वालों की संख्या में 40% की कमी


दिल्ली के लिए भारतीय केस स्टडी

पार्किंग नीति की आवश्यकता

दिल्ली दुनिया के उन कुछ महानगरों में से एक है जहां सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की अनुमति है—लगभग "मुफ्त" यह वस्तुतः अलोकतांत्रिक है क्योंकि समाज के एक क्षेत्र को निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के लिए सक्षिप्ती दी जाती है, बिना बड़ी जनता को कोई लाभ प्रदान किए।

प्रेरित मांग

निजी साधनों के लिए अधिक पार्किंग प्रावधान अधिक पार्किंग की मांग पैदा करता है और लोगों को सार्वजनिक परिवहन, पैरा—परिवहन और गैर—मोटरचालित साधनों के उपयोग से दूर करता है। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्रों में कारों के बढ़ते प्रवाह से सड़कों पर अधिक यातायात और अधिक भीड़ भाड़ होती है। जैसा कि परिवहन संस्थान द्वारा 'प्रबंधन रणनीतियों का एक अवलोकन' पर फरवरी 2010 की रिपोर्ट में संक्षेप में बताया गया है। पैदल चलने का वातावरण कम हो जाता है और गंतव्यों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अंततः, इससे शहरों के भीतर घनत्व कम हो जाता है, जहां पारगमन अक्षम



हो जाता है। स्ट्रीट लाइफ और सार्वजनिक स्थान काम करना बंद कर देते हैं प्रस्तावित पार्किंग प्रबंधन नीति दिल्ली के लिए एक आदर्श बदलाव है जहां लोग "लगभग मुफ्त" पार्किंग के लिए उपयोग किए जाते हैं।

इसलिए, विभिन्न हितधारक विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता वाली तीन चरण की कार्यान्वयन रणनीति का प्रस्ताव है।

वांछित यात्रा मांग में कमी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों को अंततः लागू करने की आवश्यकता होगी।

- दिल्ली के लिए पार्किंग प्रबंधन ढांचा प्रस्तावित है:

डिजाइन और प्रौद्योगिकी द्वारा सहायता प्राप्त प्रवर्तन

एक व्यापक "पार्किंग प्रबंधन योजना" के हिस्से के रूप में स्वीकृत और कार्यान्वित किए जाने के लिए पार्किंग स्पेस मार्किंग, नंबरिंग और साइनेज-प्लान

पार्किंग मीटर का प्रावधान वांछनीय है। पार्किंग स्थल, गैरेज और ऑन-स्ट्रीटलॉट (मीटर के साथ) कुल और वास्तविक समय में उपलब्ध पार्किंग स्थान प्रदर्शित करने के लिए हैं।

अन्य आवश्यक सार्वजनिक उपयोगों जैसे साइकिल लेन, साइकिल रिक्षा स्टैंड, पैरा-ट्रांसपोर्ट, चौड़े फुटपाथ, हॉकर जोन या मल्टी-यूटिलिटी जोन के लिए कार पार्किंग से सड़क की जगह को पुनः प्राप्त करें। व्यावसायिक क्षेत्रों में दुकानदारों के लिए निर्दिष्ट अल्प कालिक पार्किंग स्थान प्रदान करें जहां भी आवश्यक हो, लेकिन कीमत इतनी है कि व्यस्त समय के दौरान 85% अधिक भोग और समय के साथ कीमत में तेजी से वृद्धि सुनिश्चित हो सके। दुकानदारों की पार्किंग को पैदल या साइकिल-रिक्षा की दूरी के भीतर पार्क और वॉक स्थानों में समेकित किया जा सकता है।

पार्कवन्स-एंड-वॉक "पार्कवन्स"/ साझा पार्किंग स्थान – बाजार की मांग के अनुसार, घने, मिश्रित भूमि उपयोग क्षेत्रों में साझा साझा पार्किंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इन सुविधाओं से आस-पास के सभी गंतव्यों तक वैन, सर्कुलेटर जैसे फीडर मोड उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

आवासीय क्षेत्रों में स्पिल ओवर पार्किंग प्रभाव को रोकें – स्पिल ओवर पार्किंग को रोका जाना चाहिए (मूल्य निर्धारण और प्रवर्तन के माध्यम से) क्योंकि इससे पड़ोस की सड़कों के भीतर अत्यधिक भीड़ हो सकती है जिससे आपातकालीन वाहनों के लिए पहुंच मुश्किल हो जाती है।

केवल टर्मिनल एमआरटीएस स्टेशनों या प्रमुख मल्टी मॉडल इंटरचेंज पर पार्क-एंड-राइड सुविधाएं

पार्क और सवारी क्षेत्र केवल टर्मिनल एम आर टी एस / बीआरटीएस स्टेशनों पर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उच्च मांग वाले गलियारों के साथ केंद्रीय भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्राइविंग करने वाले यात्रियों की संख्या को कम किया जा सके।

पार्किंग का सही मूल्य निर्धारण

अंतिम गंतव्य पर मुफ्त या सस्ती पार्किंग की आपूर्ति, बस, साइकिल-रिक्षा, पैदल या कार पूल लेने के बजाय निजी वाहन चलाने का विकल्प चुनने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कारक है।

सभी सार्वजनिक पार्किंग स्थानों की कीमत पार्किंग दरों को अस्थायी मांगों से सीधे जोड़कर, और केवल पसंदीदा बाजारों जैसे कार पूल, वैनपूल और अल्पकालिक पार्कर के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और प्रमुख पार्किंग स्थान प्रदान करके तय की जानी चाहिए। भूतल पार्किंग दरों को भूमि की अवसर लागत को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भूमि-अवसर लागत, पूंजीगत लागत और O . सहित सार्वजनिक स्थानों पर संरचित पार्किंग प्रदान करने की पूरी लागत।

परिवर्तनीय समय-आधारित मूल्य निर्धारण

पार्किंग शुल्क में अंतर जोन, पीक ऑवर डिमांड, कार्य दिवस और सप्ताहांत आदि के अनुसार किया जा सकता है, पीक ऑवर के दौरान उच्च दर चार्ज करके, प्रतिघंटे दरों में प्रगतिशील वृद्धि। बाजार आधारित उपकरणों का उपयोग उच्च पार्किंग दरों के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है जैसे मॉल और दुकान के मालिक पार्किंग के लिए भुगतान करते हैं और अपने ग्राहकों को लाभ हस्तांतरित करते हैं आदि।

समन्वित ऑफ-स्ट्रीट और ऑन-स्ट्रीट मूल्य निर्धारण (वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए अनुकूलित)

ऑन-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं की कम की मत के कारण कर्बसाइड पर भीड़ भाड़ होती है और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग गैरेज का कम उपयोग होता है। इसलिए, उन स्थानों में जहां ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाएं मौजूद हैं, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग की कीमत या तो समय के साथ बहुत अधिक होनी चाहिए, या प्रवर्तन में आसानी के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए।

टीओडी-आधारित पार्किंग प्रबंधन रणनीतियाँ

पीटीएएल और / या एमआरटीएस स्टेशनों से दूरी के आधार पर टीओडी जोन में पार्किंग कैप उपलब्ध कराएं। उच्च पीटीएएल क्षेत्रों में ईसीएस को साइकिल, पैरा-ट्रांसपोर्ट और एचओवी पार्किंग के साथ पर्याप्त रूप से बदलें। टीओडी क्षेत्रों के भीतर गैर-अनुमेय उपयोगों को सूचीबद्ध करें।

कार्यान्वयन रणनीति

7.1.12 अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण।

अनाधिकृत कॉलोनियों और लगभग 30% क्षेत्र में घरों का निर्माण वर्षों से हो रहा है और अनाधिकृत विकास के कारण, प्राधिकरण द्वारा नई विकास अनुमति नहीं दी जाती है। शहर में निर्माण निजी भूमि और खुली जगह के लिए आरक्षित भूमि पर किया जाता है। मुख्य सड़कों के साथ वाणिज्यिक विकास या तो क्षेत्र या आरक्षण से विचलित हो रहा है। जल निकायों के पास अनधिकृत कॉलोनियां भी विकसित हुईं। हवाई अड्डे के नियंत्रण क्षेत्र के पास कुछ विकास हुआ है। बाढ़ संभावित क्षेत्र में अनाधिकृत विकास से मानसून के दौरान अधिकारियों को काफी कठिनाई होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, राजमार्गों के साथ मिश्रित प्रकृति का अनधिकृत विकास समय के साथ हुआ क्योंकि यह जीड़ीए मास्टर प्लान क्षेत्र में नहीं था। शहर में पानी के रास्ते पर हुए अनधिकृत विकास ने पानी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है जिससे शहर में बाढ़ आती है। अनाधिकृत कॉलोनियों में भी सड़क की चौड़ाई का रखरखाव नहीं किया जाता है।

अनाधिकृत विकास भी नियमों के कारण होता है। मिक्सयूज में, प्रमुख शहर की सड़कों के साथ 30 मीटर मिक्सयूज जोन में हैं जिसमें प्राधिकरण आवासीय के लिए अनुमति नहीं देता है और 24 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूमि, वाणिज्यिक अनुमति की भी अनुमति नहीं है। यह मालिकों के लिए कठिनाई पैदा करता है और अंततः अनाधिकृत विकास में परिणत होता है।

अनाधिकृत विकास को नियमित करते समय, अनुचित लाभों को नियंत्रित न करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए अनाधिकृत विकास को नियमित करने की तिथि में कटौती की आवश्यकता है। यहां तक कि निर्माण को किसी अन्य राज्य या केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यह भी नियमितीकरण से पहले जांचना आवश्यक है।

कट ऑफ डेट: नियमितीकरण प्रक्रिया लागू होने से पहले कटऑफ की तारीख तय करना आवश्यक है। (यह वर्तमान निर्माण की अनुमति नहीं देगा या चल रहे कार्यों को हतोत्साहित नहीं करेगा)

7.1.13 किस प्रकार के विकास को नियमित किया जा सकता है

- निम्नलिखित अनाधिकृत विकास को नियमित किया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के विकास के लिए पार्किंग नियमों का उल्लंघन नहीं है। यदि पार्किंग नियमन में कोई उल्लंघन होता है, तो नामित प्राधिकारी नियमितीकरण आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर उपयुक्त स्थान पर ऐसी सुविधा प्रदान करने का निर्देश देगा जो इस तरह के अनधिकृत विकास के 500 मीटर के भीतर हो।

- नामित प्राधिकारी किसी भी अनधिकृत विकास को नियमित करेगा यदि निम्नलिखित में से किसी का भी उल्लंघन नहीं होता है, –
- नागरिक उड्डयन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विनियमित हवाई अड्डे के फनल या संक्रमण क्षेत्र में विकास;
- रेलवे अधिकारियों के स्थायी आदेशों या निर्देशों द्वारा विनियमित रेलवे सीमा के 30 मीटर नियंत्रण के भीतर विकास। रेलवे प्राधिकरण से एनओसी आवश्यक है।
- प्रासांगिक कानून के तहत संरक्षित या संरक्षित किए जा रहे स्मारकों से 100 मीटर या 200 मीटर में विकास; सक्षम प्राधिकारी के लिए एनओसी आवश्यक है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र के प्रावधानों के तहत विनियमित विकास।
- सरकारी भूमि या जलनिकाय पर विकास।
- निर्दिष्ट सड़कों के किनारे रिबन विकास नियमों का उल्लंघन करने वाला विकास।
- अतिक्रमणों को न तो सड़क पर और नहीं दूसरों की जमीन पर नियमित किया जा सकता है।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्र में अनधिकृत विकास।
- विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित भूमि।
- मास्टरप्लान में आरक्षित भूमि।
- डिजाइन आवश्यकताओं के अनुसार अस्थिर संरचना।
- क्षेत्र अप्रिय और खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- अर्द्ध सरकारी प्राधिकरण की सरकार की भूमि।
- नाटक, सिनेमा थिएटर, मल्टी प्लेक्स, सभागार, प्रदर्शनी हॉल, मैरिजहॉल, स्केटिंगरिंग, जिमनासिया, स्टेडियम, डांसहॉल, क्लब के प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले भवनों के संबंध में किसी भी अन्य मामले के संबंध में किसी भी अनधिकृत विकास को नियमित नहीं किया जाएगा। और पार्किंग नियमों का उल्लंघन होने पर सड़क, वायु, समुद्र द्वारा सार्वजनिक परिवहन के लिए स्टेशन।
- पेट्रोलियम पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 के तहत प्राप्त उपयोगकर्ता का अधिकारय
- भारतीय विद्युत नियम, 1956 के तहत विद्युत कंपनी द्वारा बिछाई गई ग्रिड लाइनों के आसपास के क्षेत्र में विनियमित विकास;
- सड़क की लंबाई को ध्यान में रखते हुए सड़क की चौड़ाई के संबंध में अनधिकृत विकास को नियमित किया जाएगा या उपनियमों के तहत आवश्यक रूप सेवा पस सेट किया जाएगा।

7.1.14 वे परिस्थितियाँ जिनमें अनधिकृत विकास को नियमित किया जा सकता है।

- ग्राउंडकवरेज
- निर्मितक्षेत्र
- भवन की ऊँचाई
- उपयोग में बदलाव
- पार्किंग

7.1.15 नियमित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- भूमि माप पत्र के साथ स्वामित्व दस्तावेज।
- कानूनों के अनुसार वास्तविक अनुमेय निर्मित क्षेत्र और आवश्यकताएं।
- अनधिकृत निर्माण और उपविधियों के प्रावधान के अनुसार आवश्यकताओं की कमी दिखाने वाली योजना।
- यदि आवश्यक हो, विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- अतिक्रमणों को हटाने का वचन, यदि कोई हो।
- नियमितीकरण अधि सूचना के अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर आवेदन।

- स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट।
- अग्निसुरक्षा के लिए आवश्यकताओं का अनुपालन।

7.1.16 नियमित कैसे किया जाए?

सभी दस्तावेजों के अनुपालन के बाद और यह सही पाया जाता है,

- भूमि परिवर्तन शुल्क और विशिष्ट उपयोग के लिए निर्धारित शुल्क लेकर।
- निर्मित क्षेत्र पर प्रभाव शुल्क लेकर नियमित किया जाए।
- प्रति यूनिट एक मुश्त शुल्क वसूल कर।

7.1.17 नियमितीकरण के परिणाम?

सभी अदालती मामले या अन्य कार्यवाहियां, जो उपयुक्त प्राधिकारी या अधिभोगी या स्वामी द्वारा दायर किये गये हैं अथवा हैं, जहां तक वे इस तरह के अनधिकृत विकास से संबंधित हैं, और किसी न्यायालय में लबित हैं, समाप्त हो जायेंगे।

7.1.18 नियमितीकरण निधि का उपयोग।

- अवसंरचना विकास कोष का गठन।

7.1.19 विनियमों में संशोधन

भूमि के लिए टीडीआर बुनियादी ढांचे के विकास और राजस्व सृजन के लिए आवश्यक है।

टीडीआर से तात्पर्य निर्मित क्षेत्र को निर्दिष्ट करने वाले ऐसे पंचाट (एवार्ड) से है जिसे किसी विकास रथल का हस्तांतरण अधिकार अथवा, प्लॉटकामालिक महायोजना के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य अथवा सड़क के चौड़ीकरण, मनोरंजन उपयोग क्षेत्र आदि के लिए अलग रखने वालों के लिए वांछित जमीन शहरी स्थानीय निकाय शहरी सुधार द्रस्ट शहरी विकास प्राधिकरण को निशुल्क समर्पित करने के कारण भूमि से वंचित हो जाने के बदले या तो बैंच सकता है अथवा उसी रथल पर / अन्यत्र उपयोग में एवार्ड टी.डी.आर प्रमाण ला सकता है। पत्र के रूप में जारी किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी जारी टीडीआर प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सौंपे गए क्षेत्र और सर्कल रेट के अनुसार उस क्षेत्र की लागत का उल्लेख होना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों को भवन उप-विधि तहत या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर बनाए गए टीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है।

टीडीआर भूमि विकास की एक तकनीक है, जो भूमि के एक विशेष पार्सल की विकास क्षमता को उससे अलग करती है और शहर के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर कहीं और इसके उपयोग की अनुमति देती है। यह स्वामी को भूमि के एक विशेष पार्सल के विकास अधिकारों को दूसरे को बेचने की अनुमति देता है। यह पात्रता प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार भूखंड प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सामान्य एफएसआई से अधिक है, जो भू-स्वामी को अपने मौजूदा भवन या खाली भूमि पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने का अधिकार देता है।

Figure-2: Transaction Structure



- सैट बैंक एरिया या रोड अलाइन मेंट में आने वाली जमीन के लिए अतिरिक्त एफएआर।
- मेट्रो रेल परियोजना के पास 8-1 से अधिक होने की स्थिति में 8-1 से अधिक एफएआर के लिए शुल्क लेना।
- स्वामियों को कठिनाई के मामले में सक्षम प्राधिकारी को विवेकाधीन शक्तियों को अधीन छूट देने का प्रावधान।

निम्नलिखित के स्वामित्व वाले भूखंड के मामले में: पद्ध सक्षम प्राधिकारी, पपद्ध सरकार, पपपद्ध आवास विकास बोर्ड, और पद्ध किसी कानून के तहत गठित कोई कॉर्पोरेट निकाय, सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए गए कारणों से जनहित में किसी भी विनियम से छूट दे सकता है अथवा उसे शिथिल कर सकता है बशर्ते कि किसी भी मंजिल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र, सामान्य भूखंड, सीमांत खुली जगह, ऊंची इमारतों के प्रावधान, एफ.एस.आई. और पार्किंग संबंधी किसी भी विकास विनियम में कोई शिथिलता अथवा छूट तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उन विनियमों में ऐसा स्पष्ट प्रावधान न हो।

महायोजना के पूर्वगामी विनियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, जहां इन विनियमों के लागू होने से पहले बनाए गए मौजूदा ढांचे में शामिल नहीं होने वाले परिवर्तनों पर उनके लागू होने के कारण इन विनियमों के कारण मालिकों को कठिनाई होती है। सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अलग—अलग मामले की योग्यता पर विचार करने के बाद, के लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से महायोजना विनियम को शिथिल कर सकता है अथवा छूट प्रदान कर सकता है।

परंतु यह छूट ऊंची इमारतों के लिए किसी विनियम में नहीं दी जाएगी।

मौजूदा भवन इकाइयों के मामले में जिनके संबंध में ले आउट और उप-विभाजन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित भवन इकाइयों और में किए गए महायोजना प्रस्तावों से प्रभावित भवन इकाइयों के मामले में, यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि ऐसी भवन इकाइयाँ जब तक कि विनियम संख्या 11 व 12 की सभी या किसी भी आवश्यकता से उपयुक्त रूप से शिथिलता अथवा छूट नहीं दी जाती है, से उक्त विनियमों की आवश्यकताओं से शिथिलता प्रदान कर सकता है।

बशर्ते कि ऊंची इमारतों के लिए किसी भी विनियम में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उपर्युक्त 27.1, 27.2 में किए गए प्रावधानों के बावजूद 0.6 या उससे कम एफ.एस.आई. के मामले में सक्षम प्राधिकारी लिखित कारणों के साथ विशेष प्रावधानों माफ कर सकता है। बशर्ते कि मार्जिन, पार्किंग, खुली जगह, कॉमन प्लॉट और अधि कतम निर्मित क्षेत्र में संबंधित किसी भी विनियम में कोई छूट या शिथिलता नहीं प्रदान की जाएगी।

एफ.एस.आई. और निर्मित क्षेत्र और मार्जिन में 5% भिन्नता, मामूली विचलन के लिए उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक मामले में गुण—दोषों के आधार पर सम्मिलित किये गये कारणों से अनुमत किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रकरणों में छूट हेतु निम्नलिखित समिति सदस्य (बस्ती विकास प्राधिकरण हेतु) निर्णय लेंगे।

- 1- उपाध्यक्ष – अध्यक्ष
- 2- नगर – आयुक्त
- 3- एसोसिएट नगर नियोजक

4- नगर अभियंता

5- सहायक नगर नियोजक ब.वि.प्रा.

राजमार्ग गलियारे का विकास

राजमार्ग गलियारे क्षेत्र में निम्नलिखित उपयोग की अनुमति है।

सभी स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल बेड वाले या बिना बेड के, विलनिक, डिस्पेंसरी, होटल, लानिंग और बोर्डिंग, मरम्मत, गैराज पेट्रोलपंप, वाणिज्यिक परिसर, सेवा उद्योग,

a) जलमार्गी और जल निकायों से मार्जिन,

b) सौर जल तापन प्रणाली।

a. निम्नलिखित श्रेणियों के भवनों के मामले में सौर आधारित जल तापन प्रणाली प्रदान की जाएगी ।

- ऊचे भवनों के लिए
- अस्पताल और नर्सिंग होम।
- होटल, लॉज और अतिथि गृह।
- स्कूलों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केंद्रों के छात्रावास।
- सशस्त्रबलों, अर्ध सैनिक बलों और पुलिस की बैरक।
- 150.00 वर्ग मीटर से अधिक कुर्सी क्षेत्र वाले व्यक्तिगत आवासीय भवन।
- रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों के कार्यात्मक भवन जैसे प्रतीक्षालय, निवास, विश्रामकक्ष, निरीक्षण बंगले और खानपान इकाइयां।
- सामुदायिक केंद्र, बैंकवेटहॉल, बारातघर, कल्याण मंडप और समान उपयोग वाले भवन।

b. सौर ऊर्जा उत्पादन

यह सभी गैर-आवासीय भवनों और आवासीय भवन के 200 मीटर से अधिक निर्माण क्षेत्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

c. वर्षा जल संचयन

यह सभी गैर-आवासीय भवनों और आवासीय भवन के 200 मीटर से अधिक निर्माण क्षेत्र के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

d. ग्रीन हाउसिंग के लिए कर लाभ।

स्वर्ण या प्लेटिनम रेटिंग वाले भवनों के लिए 50% कर लाभ दिया जा सकती है। जिनमें 30% ऊर्जा और पानी की बचत हो रही है। यह ऊर्जा कुशल भवन निर्माण गतिविधियों के लिए आवश्यक है।

7.1.20 जोनल योजना तैयार करना।

महायोजना पर वह क्षेत्र निर्धारित किया गया है जिस के लिए जोनल योजना तैयार किया जा सकता है। यह उन ब्लॉक जोनिंग क्षेत्रों को खोल सकता है।

7.1.21 टीपी योजनाओं की तैयारी

- योजना पहले से निर्मित क्षेत्र, नव निर्मित क्षेत्र या खुले क्षेत्र में तैयार की जा सकती है। इसे 1 वर्ग किमी या अधिक क्षेत्र के लिए तैयार किया जा सकता है।
- आम जनता का हित एक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 16 कम से कम लागू हो सकता है।
- टीपी योजना का उद्देश्य वास्तविक पीपीपी मोड के माध्यम से आत्मनिर्भर विकास है। हम सुनिश्चित सेवाओं के साथ सभी भूखंडों तक पहुंच प्रदान करते हैं। 50 प्रतिशत तक भूमि की कटौती कर योजना क्षेत्र में यथासंभव मानक के अनुरूप सभी सुविधाओं का प्रावधान। 50% तक का विभाजन सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए 10% तक, स्कूल, अस्पताल और खेल गतिविधियों के लिए 5% तक, खुली जगह और उद्यानों के लिए 5% तक, मनोरंजक गतिविधियों के लिए है। सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के दौरान बढ़े हुए मूल्य से मेल खाने के लिए राजस्व उत्पन्न करने के लिए 15% तक बिक्री योग्य भूखंड।

- भू-स्वामी को कटौती के बाद उसकी भूमि समूचित आकार पहुँच और सुनिश्चित सेवाओं सहित, पहुँच में कटौती के बाद मालिक को उसकी जमीन वापस मिल जाती है। मालिक जमीन से कम नहीं होता जैसा कि जमीन अधिग्रहण में होता है। पुनर्गठित भूखंड का कब्जा स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है।
- स्वामियों को शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर सरकारी स्तर पर नियुक्त मध्यस्थ सरकारी स्तर पर, स्वीकृति से पहले सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलता है।
- भूमि की कटौती के लिए दर्ज भूमि मूल्य के अनुसार मुआवजे की गणना की जाती है। सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान, पहुँच, आकार के भूखंड, भूमि के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसमें मालिक ने कोई प्रयास नहीं किया है। भूमि के काल्पनिक वृद्धिशील मूल्य की गणना भी इस प्रकार की जाती है मानो सभी सुविधाओं और सुविधाओं का विकास किया गया हो। वृद्धिशील मूल्य का 50% स्वामी की ओर से योगदान के रूप में माना जाता है। योगदान और मुआवजे की कटौती से शुद्ध मांग की गणना की जाती है। आम तौर पर अंत में योजना की शुद्ध लागत शून्य के लगभग हो जाती है।
- यदि 66% स्वामी यदि किसी मध्यस्थ के समक्ष योजना का विरोध करते हैं, तो उसे वापस लिया जा सकता है।

7.1.22 प्रतिबंधित आवास

महायोजना में उस क्षेत्र को प्रतिबंधित आवास के रूप में चिह्नित किया जा सकता है, जिसमें 40 वर्गमीटर से कम क्षेत्र के लिए 50 % घर विकसित किए जाने चाहिए। यह आवास शहरी गरीबों को अपना घर बनाने में मदद कर सकता है। शेष 50% घर 80 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल में हो सकते हैं। संपूर्ण विकास को किफायती आवास के तहत कवर किया जा सकता है जिसमें सब्सिडी भी मिल सकती है।

7.1.23 पीपीपी मोड पर परियोजनाओं का विकास।

- नाले के ऊपर सौर ऊर्जा उत्पादन की पेशकश करके जल प्रवाह मार्गों का विकास
- खुली जगह और उद्यान क्षेत्र
- जल निकायों का विकास
- स्कारी जमीन पर स्कूल, अस्पताल रियायती दरों पर।
- सड़कों का विकास
- स्व-उपभोग के लिए नदियों के पास सौर ऊर्जा उत्पादन और अतिरिक्त ऊर्जा राजस्व सृजन के लिए।
- स्वस्थानी विकास के लिए किफायती आवास।
- ईचार्जिंग स्टेशन
- पार्किंग स्थल।
- फेरीवालों का जोन

7.1.24 संचालन की आउटसोर्सिंग

सेवाओं की आउटसोर्सिंग से लागत कम होगी और शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्रभावी सेवा प्रदान की जा सकती है। निम्नलिखित सेवाएं पूर्ण या आंशिकरूप से आउटसोर्स की जा सकती हैं।

जलापूर्ति

संचालन और रख रखाव को ऊपरी व्यय और कटौती प्रथाओं को कम करने के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है। इससे किफायती कीमत पर समस्या का तुरंत समाधान कर सकता है। आपसी अविश्वास शासन में व्यय की विभागीय स्वीकृति समाप्त की जा सकती है।

भूमिगत जल निकासी

संचालन और रख रखाव को ऊपरी व्यय और कटौती प्रथाओं को कम करने के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है। यह किफायती कीमत पर समस्या का तुरंत समाधान कर सकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

घर—घर परिवहन और घर—घर जाकर संग्रहण शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर संचालन के लिए होने वाले खर्च को कमकर सकता है।

मार्ग प्रकाश

बिजली उत्पादन के लिए सोलरपार्क की स्थापना हेतु ऑपरेटर की पेशकश की जा सकती है और बिजली की निश्चित खपत को ठीक करने की पेशकश की जा सकती है। इस से भ्रष्ट आचरण और भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है और सेवाएं बेहतर हो सकती हैं। प्रयास करके ऊर्जा के गैर—पारम्परिक स्रोत को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

स्विमिंग पूल

स्विमिंग पूल के संचालन और रखरखाव को उचित खर्च पर बेहतर सेवा के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है।

7.1.25 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर परियोजनाओं का विकास

- प्राथमिक विद्यालय
- कूड़ेदान
- स्वास्थ्य सुविधाएं
- यातायात द्वीप
- उद्यान
- भुगतान आधारित और शौचालय का उपयोग

7.1.26 सरकारी अनुदान पर परियोजनाएं

- जलापूर्ति
- भूमिगत सीवर लाइनें और मलजल उपचार संयंत्र
- सड़कें और पार्किंग स्थल
- वर्षा जल की निकासी
- मार्ग प्रकाश
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- अनौपचारिक क्षेत्र के लिए हॉकिंग क्षेत्र
- रणनीतिक स्थान पर दमकल केन्द्र
- स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग
- नदी के किनारे का विकास
- कमान और नियंत्रण केंद्र

8. प्रशासनिक रूपरेखा

8.1 कानूनी ढांचा

1997 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बस्ती मंडल के प्रधान कार्यालय की स्थापना की क्योंकि शहर तेजी से बढ़ने लगा था। इस प्रकार बेतरतीब विकास को नियंत्रित करने और शहर को एक उचित विकास दिशा प्रदान करने के लिए, सरकार ने अधिक सूचना संख्या 6020/ 37-3-82-55 KN-K-VI-82 दिनांक 14-10-1983 के तहत बस्ती को एक विनियमित क्षेत्र घोषित किया। उसके बाद अधिक सूचना संख्या 3120/ 9-3-2002 के साथ। दिनांक 30 नवम्बर 2002 द्वारा नगर के चारों ओर के 69 गाँवों को नगरपालिका सीमा में सम्मिलित किया गया।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के चारों ओर 2.35 लाख लोगों की आबादी के अनुमान के साथ बस्ती महायोजना 2021 जिसे बस्ती योजना घोषित किया गया था, शहर की सीमा के आस पास के 69 गाँवों को सरकार द्वारा शामिल किया गया था। यह महायोजना फरवरी 2014 में लागू किया गया था और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधि नियम-1973 के तहत अधिक सूचना संख्या 275 / 8-10-16-03 की स्थापना दिनांक 28 अक्टूबर 2016 के तहत बस्ती विकास प्राधिकरण घोषित किया गया था। शहर और आसपास के अधि सूचित गाँवों का नियोजित और सतत विकास।

8.1.1 पिछली महायोजना 2021 के उद्देश्य:

- भविष्य की आबादी और वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना।
- बाहरी मार्गों और आंतरिक क्षेत्रों में खाली जमीन पर नियंत्रित विकास को सही दिशा देना।
- जनसंख्या घनत्व के अनुसार उचित भूमि उपयोग प्रदान करना।
- व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर उचित भौतिक नियोजन प्रदान करना।
- आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना में आवासीय एवं जनोपयोगी क्षेत्र में उचित प्रावधान करना।
- विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और स्थानीय परिवहन स्थिति के आधार पर सड़कें, बस स्टैंड और ट्रक पार्किंग क्षेत्र (ट्रक अड्डा) उपलब्ध कराना।
- कृषि भूमि पर अनधिकृत विकास को नियंत्रित करने और उचित योजना प्रदान करने के लिए
- नागरिकों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना।

8.1.2 महायोजना और इसकी सामग्री तैयार करने के लिए कानूनी प्रावधान:

महायोजना की सामग्री: उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय III की धारा 8 के अनुसार, यह ऐसे विभिन्न क्षेत्रों को निर्धारित करता है जिसमें विकास के उद्देश्यों के लिए विकास क्षेत्र को विभाजित किया जा सकता है और उस तरीके को इंगित किया है जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में भूमि का उपयोग करने का प्रस्ताव है (उस पर विकास के द्वारा मौसम या अन्यथा) और वेचरण जिनके द्वारा ऐसा कोई विकास किया जाएगा।

- ढांचे का ऐसा बुनियादी स्वरूप प्रदान करता है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की क्षेत्रीय विकास योजनाएँ तैयार की जा सकें।
- महायोजना किसी अन्य ऐसे मामले के लिए भी प्रावधान कर सकता है जो विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक हो।
- धारा 11 के अनुसार महायोजना तैयार करने के लिए प्रक्रिया का पालन किया जाना है।
- प्राधिकरण किसी भी योजना को तैयार करने और सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले, नोटिस में लिखित निर्धारित समय में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित करने के लिए मसौदा महायोजना तैयार और प्रकाशित करेगा।

- प्राधिकरण सीमा के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को योजना के संबंध में कोई अभ्यावेदन करने का उचित अवसर भी देगा।
- प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्तियों / सुझावों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण अंतिम रूप से योजना तैयार करेगा और इसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- सरकार प्राधिकरण को ऐसी सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है जिसे सरकार उचित समझे, महायोजना को मंजूरी दे।
- योजना का प्रारंभ : राज्य सरकार द्वारा योजना की स्वीकृति के तुरन्त बाद अधिसूचना का प्रथम प्रकाशन योजना प्रारंभ होने की तिथि होगी।

8.2 महायोजना का पुनरीक्षण:

उत्तरप्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 में महायोजना के संशोधन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा प्रावधान नहीं है। यह राज्य के शहरों और कस्बों के लिए महायोजना को संशोधित करने का काम सरकार पर छोड़ दिया गया है।

8.2.1 नई महायोजना 2031 के उद्देश्य

- महायोजना में उत्तरप्रदेश सरकार की नीतियों को शामिल करना।
- सरकारी स्तर पर लंबित अनाधिकृत विकास का समाधान देना।
- यातायात की आवाजाही में आसानी के लिए संचलन संजाल का सुझाव देना।
- संशोधित महायोजना में आगामी परियोजनाओं और चल रहे परियोजनाओं के प्रस्तावों को शामिल करना।
- आपदा संभावित क्षेत्र के नकारात्मक प्रभाव और सामान्यरूप से सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रणनीति की चिन्हित करना।
- प्राकृतिक प्रणाली का संरक्षण
- कमी वाले क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का प्रावधान और भविष्य के विस्तार के लिए भूमि आरक्षण करना।
- नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवस्थित नियोजित विकास के प्रस्ताव।
- शहर में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना।
- बाजारों, मंडियों, शैक्षिकगति विधियों जैसी गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना।
- ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों और पर्यावरण अनुकूल शहर को प्रोत्साहित करना।
- विरासत भवनों और क्षेत्र के संरक्षण के लिए संभावित उपायों की विस्तृत करना।
- शहरी गरीबों के लिए आवास का प्रावधान।
- आसपास के क्षेत्रपर मेट्रो रेल परियोजना के प्रभाव की चिन्हित करना।
- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि सुनिश्चित करना।
- विकास की चरणबद्धता और वित्त प्रस्तावित करना।
- संस्थागत ढांचा और जनशक्ति

शहर का प्रशासन नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा संभाला जाता है। नगरपालिका परिषद बस्ती (नगरपरिषद या नगरनगरपालिका) एक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) है जो 114657 की आबादी वाले शहर का प्रशासन करती है। नगरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली के अंतर्गत नगरपालिका परिषद बस्ती प्रशासनिक रूप से जिले का हिस्सा है।

नगरपालिकाओं को कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारिया सौंपी गई है, जैसा कि संवैधानिक (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में निहित है। यह सीधे राज्य सरकार के साथ बातचीत करता है। नगरपालिका बस्ती के सदस्य पांच साल की अवधि के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। शहर को जनसंख्या के अनुसार 25 वार्डों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वार्ड से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। बैठक की अध्यक्षता करने और संचालन करने के लिए सदस्य आपस में एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

वर्तमान में चल रही परियोजनाएं

अनुक्रमांक	परियोजनाओं का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटरमें)	लागत
1	कटेश्वर पार्क	7767	3.60 Cr.
2	टीवीटॉवर पार्क	2565	0.41 Cr.
3	शिव कॉलोनी पार्क	8235	18.41 L
4	विष्णुदास पोखरा पार्क	6125	22.22 L
5	अटल बिहारी पार्क (आवास विकास)	900	52.82 L

तालिका 64 चालू परियोजनाओं की सूची

स्रोत : बस्ती नगर पालिका 2020

9. हितधारकों से विचार—विमर्श

1. संशोधित महायोजना को पहले से निर्मित क्षेत्र "निर्मित क्षेत्र" से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। चर्चित है कि कानून लोगों की मदद के लिए है न कि उत्पीड़न के लिए। साथ ही चर्चा की कि लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्राधिकरण सड़कों को चौड़ा करने के सम्पर्क मार्गों के प्रस्ताव के लिए निर्मित क्षेत्र से न्यूनतम छेड़छाड़ करेगा एवं नदी के पास के निचले इलाकों में कोई विकास नहीं होगा।
2. शहर स्तर की सुविधाओं जैसे पार्क, खेल गतिविधियों को महायोजना में शामिल किया जाना चाहिए। बस्ती का नाम वशिष्ठ ऋषि से आया, उनकी स्मृति के प्रस्ताव को संशोधित महायोजना में शामिल किया जाए। सहयोगी योजनाकार ने चर्चा की है कि महायोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन विकास अधिक नियम 1973 में कानूनी प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है। नई भूमि पूलिंग
3. महायोजना 2015 में बाजार गली में एक तरफ आवासीय और एक तरफ वाणिज्यिक प्रस्तावित किया गया था, जिसे दोनों तरफ वाणिज्यिक के रूप में विकसित किया गया है। इसे संशोधित महायोजना में वाणिज्यिक रूप से प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
4. सुझाव साझा करने की सुविधा के लिए bastimahayojna2031@gmail.com पर नई मेल आईडी बनाई गई है। चर्चा की गई कि संशोधित महायोजना में मेल पर भेजे जाने वाले सुझावों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
5. महायोजना 2015 में उठाई गई आपत्ति पर विचार नहीं किया गया। चर्चा हुई कि आपत्ति पर विचार न करने का कारण कार्यालय में दर्शाया जाएगा।
6. महायोजना 2015 में पहले से निर्मित क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र और दमकल के प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
7. यातायात की समस्या को कम करने के लिए पांडे बाजार के पास ओवर ब्रिज प्रस्तावित किया जाना है।
8. पहले से निर्मित क्षेत्र में, सड़क से मार्जिन में बल देने को शिथिल किया जाना है।



10. बस्ती महायोजना 2031 के लिए प्राप्त हुए सुझाव

- बस्ती के कंपनी गार्डन चौराहे से महसन तक दाहिनी ओर मिसरौलिया गांव में मिसरौलिया राज्य के नाम से एक सुव्यवस्थित कॉलोनी है, लेकिन यह कॉलोनी कृषि भू-उपयोग क्षेत्र में आती है, जिससे बस्ती विकास प्राधिकरणों से इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का अथॉरिटी मैप पास नहीं है। क्या मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि अब इस मिसरौलिया कालोनी को कृषि क्षेत्र में वापस लाना संभव नहीं है, इसलिए इसके भूमि उपयोग को आवासीय में परिवर्तित करके, कृपया यहां के हजारों लोगों पर दया करें।
- बस्ती नगर की दो मुख्य सड़कों में से एक मालवीय रोड है, जिसके कुछ हिस्से में बाजार प्रस्तावित है, बाकी हिस्सा जोधने बाजार के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन आज भी इसका उपयोग महायोजना में आवासीय है। यह एक मुख्य सड़क है, जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है, इसके एक तरफ बाजार की ताकत के आधार पर विकसित बाजार को या तो बाजार की गली में तब्दील किया जाना चाहिए या फिर इसे व्यावसायिक रूप दिया जाना चाहिए।
- बस्ती शहर में पूरे शहर में नलकूपों से पानी की आपूर्ति होती है, जबकि कुआनों नदी शहर के पश्चिमी छोर पर बहती है। सुझावों के अनुसार कुआनों नदी से शहर के पानी की आपूर्ति करना उचित होगा, और उसके लिए नए मास्टरप्लान - 2031 में नदी के ऊपर धारा अपर्स्ट्रीम में एक जल उपचार केंद्र प्रस्तावित किया जाना चाहिए ताकि इस कार्य के लिए भूमि प्राप्त करने में भविष्य में कोई समस्या न हो।
- महायोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 बस्ती नगर के बीच से गुजरता है। बस्ती एमएसटर योजना के बीच से होकर गुजरता है। ऐसे आष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण की ओर स्थित मडवा नगर गांव में ट्रक टर्मिनल उपयोग के लिए महायोजना -2021 में प्रस्तावित किया गया है, जहां शायद पहले से ही कई आवासीय घर बनाए जा रहे हैं। अब इन मकानों का नक्शा पास कराने की समस्या और गहरा गई है। महायोजना के पुनरीक्षण के साथ अब ट्रक टर्मिनल को शहर से बाहर ले जाना जरूरी हो गया है। अतः यह उचित होगा कि ट्रक टर्मिनल को शहर के बाहर कहीं प्रस्तावित करते समय मौजूदा ट्रक टर्मिनल के स्थान को आवासीय या व्यावसायिक घोषित किया जाए।
- विकास क्षेत्र में कई जगहों पर हरित पट्टी, पार्क की जमीन का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन वर्तमान में लोगों ने उक्त हरितपट्टी / पार्क की जमीन पर अपने मकान / दुकानें बनाली हैं। जनता की सुविधा के लिए उक्त भूमि के उपयोग में परिवर्तन करते हुए इसे वर्तमान स्वरूप में रखना उचित प्रतीत होता है। उसके स्थान पर नई हरित पट्टी / पार्क प्रस्तावित किया जाए तथा मौके पर जमीन पर भी अंकित किया जाए। अन्यथा अगले महायोजना में बनी रहेगी यह समस्या।
- नगर में सीधर लाइन नहीं डाली गई है और घर से निकलने वाले सीधे जो सेप्टिकटैंक / गढ़ों के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। इस प्रकार के निस्तारण से जहां एक ओर भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है वहीं इसके दूषित होने का भी खतरा होता है। बस्ती मास्टर प्लान 2031 तैयार करते समय कुआनों नदी के डाउनस्ट्रीम में एक सीधे ट्रीटमेंट प्लांट आरक्षित करना उचित होगा, जो शहर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से होकर बहती है।
- बस्ती महायोजना 2031 में सुपेलवान के पास से 45 मीटर चौड़ी सड़क (तथा कथित रिंग रोड) प्रस्तावित है, जिसमें कुछ आवासीय भूखंडों और आवासीय मकानों को भी गलत तरीके से बनाया गया है, जिनमें से एक आवासीय भूमि है। (गाटा क्रमांक '36 और' जोकि 3450 वर्गफुट है), जिसके कारण मेरे और कुछ अन्य लोगों के मकान भी नहीं बन रहे हैं।
- आपसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्तावित सड़क की प्रक्रिया अभी तक जमीनी स्तर पर शुरू भी नहीं हुई है और नहीं वहां कोई जमीन चिह्नित की गई है, कृपया इस सड़क की त्रिज्या बढ़ाकर निकाल लेंता कि कम से कम रिहायशी जमीन उसमें आये जिससे हम सब भी अपने घर का नक्शा पास करवा कर वहां मकान बनवा सकते हैं।

11. अनुलग्नक

अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव

क्रमांक	नगर निगम / गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल
ए	नगर क्षेत्र				
1	बस्ती नगर पालिका परिषद	87371	107601	114657	107601
बी	प्रस्तावित नगर पालिका ग्राम क्षेत्र				
1	निविया	267	329	320	
2	बरगदवा	0	92	220	21.17
3	जमदीह पांडेय	853	1143	1416	21.94
4	भद्रश्वरनाथ	587	896	1018	47.04
5	धरमपुर (विमपुर)	471	601	792	41.68
6	दिलिया	758	899	1090	56.9
7	भाषिया	885	1192	1445	80.62
8	मूर्धाट	971	1503	1831	63.61
9	हवेलीखास	491	1063	1743	84.37
10	तोंगीपारा	277	367	420	37.23
11	लौकिहवा	423	531	766	34.69
12	बदरिया बुजुर्ग	522	649	698	156
13	बेपोखर	613	734	677	47.16
14	रुदौली	592	735	860	56.04
15	बधावर	65	84	128	32
16	महुदर	1150	1703	2226	150.71
17	भेर	0	0	0	16.45
18	नौछो	10	0	0	89.07
19	पचौरा	479	364	507	44.34
20	कर्णपुर	273	294	351	28.9
21	जिगना	1006	1232	1470	71.5
22	दरी डीहा	1623	2205	4325	151.7
23	बंदीह उर्फ मिश्रौलिया	546	685	747	54.09
24	दुधौरा	668	713	930	41.08
25	कृष्णा भौगौती	770	986	1161	39.1
26	सोनबरसा	444	553	672	57.14
27	जिगना	423	553	589	43.83
28	झरकटिका	552	571	670	50.88
29	मझवरिया	467	593	736	31.6
30	पिपरा रामकिशुन	319	390	486	36.54
31	हरसोहिया	1107	1409	1845	51.79
32	लखनूरा	1069	2383	1849	52.98
33	परसातकिया	593	805	1044	25.58
34	गिधि बुजुर्ग	199	221	245	25.98
35	भूर निरंजनपुर	1438	1926	2013	82.3
36	पारसी	385	466	635	29.51
37	नौवेदार तिवारी	51	66	105	11.85
38	इतैली पाण्डेय	0	0	111	23.52
39	छिदुलिया	143	195	209	14.84

क्रमांक	नगर निगम / गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल
40	पांडे डीह	297	523	504	27.78
41	लबनापार	270	295	358	12.54
42	बैरियाम आवास बैरिहवा	0	32	90	15.74
43	गिधि खुर्द	846	1156	1176	34.16
44	मनहंडोह	720	948	1662	23.05
45	जमदीह शुक्ला	456	663	945	28.06
46	चनानी सिरोबास	644	797	834	48.21
47	मुलदरवा	454	561	650	40.55
48	बैलगारी (180729)	564	657	871	38.79
49	सुपेलवा	365	645	1049	38.56
50	खौराहवा	434	472	1202	23.55
51	बदावन (बरबन)	235	333	440	16.12
52	बरार	0	0	30	41.52
53	उंची भिटि	0	6	0	23.35
54	बड़ेरिया खुर्द	810	992	1153	16.76
55	डिडौवा	807	974	978	60 ²⁹
56	मारवा नगर	3405	4608	7084	192.1
57	खीरीघाटी	2015	3021	4287	66.3
58	संतपुर उरफ गढ़खोर	529	905	909	22.12
59	नौदररानी	18	18	80	13.44
60	ददवा	96	7	7	0
61	हरदिया बुजुर्ग	625	785	923	55.11
62	खोराखर	584	649	818	65.03
63	दामोदरपुर	0	9	18	16.07
64	बेरवा	513	604	767	50.79
65	मेरवतिया खास	1911	2456	2996	85.81
66	पिपरी	103	124	138	12.95
67	देईपार	376	404	521	30.38
68	बराना	0	0	0	14.39
69	चौनपुर	218	264	273	24.71

तालिका 65 अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव

अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची

क्रमांक।	शहरीकरण योग्य गांव का नाम	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 1991	क्षेत्रफल
1	रिथौली	398	306	284	37.05
2	सरायघाट	478	376	331	44.96
3	कादरखास	2000	1938	1523	218.56
4	सराय	1103	1005	781	105.99
5	खुथाना	1334	1025	1041	66.36
6	भुओर	932	804	615	0
7	हाथिया गढ़	698	601	462	43.6
8	बनकटा	894	773	643	39.21
9	जोगीपुर	393	338	257	122.78
10	बरिहवातरैनी	1	0	0	81.39
11	चनानी (चंदन)	102	54	0	19.22

क्रमांक।	शहरीकरण योग्य गांव का नाम	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 1991	क्षेत्रफल
12	चमरोहा सिरापार	3560	2914	2416	296.74
13	हरियाजुप्टी	644	526	467	33.17
14	कट्या	1276	1104	938	55.32
15	शेखुईया	350	294	229	47.6
16	मंजरिया विक्रम	562	503	423	46.9
17	भेलखा	442	411	381	64.97
18	बरहुचा	470	355	313	28.38
19	बसिया	664	708	577	44.18
20	पिकौरा	323	246	227	27.94
21	गोअरिया	119	85	9	25.37
22	बनकटा	373	350	247	50.72
23	पटखोली	850	631	561	32.35
24	कैली	251	397	117	37.84
25	जगदीशपुर	841	789	442	78.37
26	जखनी	1313	1130	812	180.79
27	केरिह	822	649	569	59.67
28	धोरिका	1000	877	734	155.11
29	देउरी	0	0	0	58.63
30	आसपुर	206	220	112	0
31	छबीला खुर्द	414	313	272	40.29
32	मंगरिया शुक्ल	526	559	457	39.17
33	तेनुइ	551	535	349	30.63
34	अमहुत	15	39	2	86.51
35	हादिया	1235	1094	799	38.19
36	संसारपुर	856	680	552	84.73
37	बंधोजोत	0	2	0	4.71
38	अमूली	2101	1651	1309	135.81
39	हरदिया खुर्द	138	87	60	35.32

तालिका 66 अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची

अनुलग्नक सी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची

क्रमांक।	राजमार्ग के किनारे के गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल
1	डंडवा भीम सिंह	179	266	307	50.57
2	महसोखास	6451	8108	9089	179.4
3	जमराव	251	476	641	21.66
4	कट्या खास	395	428	555	100.52
5	उमरी	324	343	450	50.4
6	बनकसाही	0	0	0	25.36

क्रमांक	राजमार्ग के किनारे के गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल
7	परसाजाफरह	800	984	1135	310.67
8	रामपुर जंगल	1286	1460	1816	98.71
9	पिपरा चंद्रयाटी	931	990	1242	56.97
10	बटेला	1104	1336	1549	183.24
11	सोनारजोत	123	207	144	34.61
12	मंजरिया रंजीत	196	228	296	31.53
13	पुर्णा	236	316	370	71.03
14	सूसीपार	718	793	1020	109.15
15	तरिजोत	551	739	873	51.18
16	मधरिया गंगाराम	320	389	442	46.51
17	फरदा	313	413	569	43.79
18	दसकोटवान	429	555	668	50.36
19	दासोता	210	295	364	56.38
20	महरीपुर	1967	2283	2510	151.3
21	लोहाटी	708	830	910	52.1
22	जफरजोत	193	215	256	24.83
23	सुबदेइया कला	747	815	934	77.96
24	सुमदेइया खुर्द	437	555	572	62.12
25	नोहर पार	0	11	21	3.97
26	फर्दा जोत	17	40	95	38.68
27	सिसवा	0	0	10	25.27
28	साहूपार	772	1495	1727	107.03
29	बेलगारी	8	29	29	37.4
30	तिवरिन जोटे	0	7	0	2.41

क्रमांक।	राजमार्ग के किनारे के गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल
31	बलुवा	539	621	640	24.33
32	उसका	459	534	739	50.1
33	मनौरी डांडी	193	227	308	14.29
34	रिथिया	534	604	642	74.69
35	दुबखरा	553	658	893	117
36	निपनिया	382	639	795	0
37	बाधी	596	787	1048	0
38	बशवा	423	740	693	100.64
39	झरमगाँव (आमगांव)	19	18	21	6.47
40	महमूदपुर	351	454	540	26.63
41	घोडरेहार उर्फ गोयाघाटी	492	689	647	133.93
42	महसोन जोत	0	25	41	7.56
	Total	24207	30577	35560	2703.19

तालिका 67 अनुलग्नकसी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची

अनुलग्नक डी गांवों की सूची (ग्रामीण)

क्रमांक।	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1	सिसवनिया	4	2	5	18.84
2	कुसनापुर	1237	1599	1946	80.35
3	हटवा	711	818	911	99.91
4	श्रीपालपुर	6775	7631	8666	407.03
5	रामनगर	122	171	207	34.35
6	रेण	0	0	0	70.67
7	रक्षा	286	399	442	38.85

क्रमांक।	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टर)
8	समसाथपुर	891	1287	1360	81.1
9	सेशपुर	0	5	11	13.25
10	वहलोरवा	428	315	334	39.28
11	पिपरी	278	284	293	40.28
12	चिलवनिया	898	1130	1120	111.25
13	गंगियाकोहल	405	362	373	101.59
14	मस्जिदिया	129	217	327	83.5
15	जमोहारा	678	719	786	60.98
16	करमचुरा	179	171	180	26.64
17	मदारीपुर	42	75	102	17.86
18	पारसाटोरि	0	0	0	39.23
19	लाकड़ा	133	207	230	109.15
20	खकुवा	517	619	813	56.52
21	कोपिया	266	562	757	30.6
22	कोपवा	202	167	229	17.88
23	लढवापार	122	147	177	31.32
24	मचिया	512	563	641	75.73
25	अरियल	33	135	8	31.09
26	दीघा	80	115	139	26.42
27	चौथी नरसिंह	460	677	825	44.94
28	धोधुनूपुर	289	421	432	32.93
29	खाची	134	142	208	15.31
30	भुराली	318	350	486	44.18
31	कोल्हुआ	314	412	524	59.79

क्रमांक।	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टर)
32	भाथा	363	453	476	34.82
33	भीथाभिखारी	167	204	212	27.07
34	गढ़वाल	198	304	483	123.2
35	बड़कुइया	393	506	609	38.16
36	टरोली	420	520	605	63.31
37	बंटाला	517	598	843	65.08
38	गणेशपुर	12085	15534	18013	1465.74
39	भरवलिया	459	476	477	76.44
40	रानीपुर	1312	1802	1982	175.91
41	मझीरिया	670	808	944	31.59
42	बंधुवा	634	787	795	164
43	मिश्रोलिया	140	184	201	22.75
44	बंकशी	0	0	0	25.36
45	दुबौली	111	174	284	42.55
46	दसोटी	500	594	595	39.67
47	मालिकपुरवा	543	515	559	47.93
48	पोखरभिटवा	411	500	539	29.22
49	प्करी हिरदाइ	297	523	504	41.28
50	बारीजोत	0	7	0	12.58
51	अम्हारी	155	157	170	20.4
52	दौलतपुर	392	544	653	32.5
53	बाढ़पुर	58	68	82	18.64
54	बरसाव	763	964	1219	68.2
55	हरिया	0	0	0	29.27

क्रमांक।	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्टर)
56	कौरिदारी	0	0	0	22.77
57	अरखाबारी	161	173	216	7.67
58	महुवापार	0	6	387	20.3
59	टिकरिया	142	169	244	29.55
60	छरुआछा	380	468	557	36.12
61	पचीसा	251	298	378	33.08
62	खजवा	347	472	587	31.14
63	महादेवा	1	0	0	10.2
64	बनियाजूट	24	27	24	7.35
65	चोरभरिया	0	0	0	14.1
66	परसाडफली	800	984	1135	26.03

तालिका 68 अनुलग्न कड़ी गांवों की सूची (ग्रामीण)

अनुलग्नक ई डेटा संग्रह

वार्ड—वार जनसंख्या घनत्व की तालिका

क्रमांक	वार्ड का नाम	क्षेत्र (वर्गकिमी)	जनसंख्या	घनत्व (प्रतिवर्गकिमी)
1	नरहरिया	0.90	5267	5852.2
2	मिश्रौलिया	0.75	5152	6869.3
3	मुरलीजोत	0.80	5250	6562.5
4	पांडेबाजार	0.75	4177	5569.3
5	पिकौरा शिवगुलाम	0.90	5125	5694.4
6	चिकवाटोला	0.90	5187	5763.3
7	सुरतीहट्टा	0.80	4542	5677.5
8	तुर्खस्या	0.75	4055	5406.7
9	विष्णुपुरवा	0.80	4210	5262.5

क्रमांक	वार्ड का नाम	क्षेत्र (वर्गकिमी)	जनसंख्या	घनत्व (प्रतिवर्गकिमी)
10	मालीतोला	0.75	4181	5574.7
11	पठानतोला	0.95	5247	5523.2
12	रौतापार	0.85	4973	5850.6
13	महरीखवा	0.80	4726	5907.5
14	गरगोरिया	0.78	4659	5973.1
15	पिकौरादत्तूराय	0.82	4751	5793.9
16	कंपनीबाग	0.70	3990	5700.0
17	पुरानदखना	0.80	4724	5905.0
18	बेलवध ठड़ी	0.80	4564	5705.0
19	ओरिजोत	0.73	4079	5587.7
20	इतिअलिया	0.80	4453	5566.3
21	रामेश्वरपुरी	0.70	4079	5827.1
22	बैरिहवा	0.72	4294	5963.9
23	आवासविकास	0.78	4349	5575.6
24	कटरा	0.75	4121	5494.7
25	पिकौराबरखा	0.85	4502	5296.5

तालिका 69 वार्ड-वार जनसंख्या घनत्व की तालिका

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

पंजीकृत वाहन

वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या
बस	266
शैक्षणिक संस्थान बसें	535
ई-रिक्शा	85
मालवाहक	4767
मैकरी कैब	256
मोटर-साइकिल	169679
प्रोवेड	6858

वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या
मोटरकैब	181
मोटर कार	10885
तिपहिया (माल वाहक)	602
तिपहिया (सवारी)	2889

तालिका 70 पंजीकृत वाहन

स्रोत : आरटीओ, बस्ती 2020

मौजूदा उपलब्ध कृषि सुविधाएं

गतिविधि	विवरण
मौजूदा सिंचाई आपूर्ति प्रणाली और प्रति प्रति व्यक्ति आपूर्ति	NA
मौजूदा आच्छादन मानचित्र	NA
जलापूर्ति वितरण संजाल का व्यास और उसका जीवनकाल इसने कितना क्षेत्र आच्छादित किया।	लंबाई = 533.432 km
	क्षेत्रफलत्र 66949 हेक्टेयर
वर्तमान सिंचाई नहरों की अवस्थिति एवं क्षमता इसके मानचित्र सहित	NA
पानी का स्रोत और एमएलडी की निकासी	NA
पानी की गुणवत्ता के संबंध में डेटा	टी.डी.एस. क्लोरिन, नाइट्रेट, फार्स्फोरस
	NA
वाषिक प्रचालन और अनुरक्षण लागत, जलापूर्ति के लिए कर्मचारी	नहर
नदियाँ & नहरें	
अन्य।	
क्षेत्रवार जलापूर्ति विवरण जैसेरु	
• जलापूर्ति की मात्रा	
• प्रतिदिन आपूर्ति की आवर्तिताएँ घंटे	
• संयोजनों की संख्या	NA
• प्रतिव्यक्ति खपत	
• आच्छादित क्षेत्र (वर्गकि.मी.)	
• की गई मीटरिंग (%)	
• संग्रहण शुल्क में दक्षता	
क्षेत्रवार आपूर्ति अवसंरचना	
ओवरहेड टैंकों की संख्या	NA
जलाशयों सहित सिंचाई जल आपूर्ति संजाल का मौजूदा नवशा	NA

तालिका 71 मौजूदा उपलब्ध कृषि सुविधाएं

स्रोत : कृषि विभाग, बस्ती—२०२०

दुकानों की सूची बनाएं

अनुक्रमांक	दुकान का क्षेत्र	दुकानों की संख्या
1	मालवीय मार्केट	25
2	गल्ला मंडी	38
3	सराय गल्ला मंडी	13
4	सब्जी मंडी गांधीनगर बस्ती	78
5	गोशत मंडी	11
6	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती	11
7	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती के गैरेज के सामने की दुकानें	5
8	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती की छोटी दुकानें	5
9	मोटर गैरेज कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती	2
10	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती की नवनिर्मित दुकानें	23
11	रेलवे स्टेशन रोड बस्ती	16
12	अन्यसड़क	8
13	कटारापानी टंकी	36
14	समीर चौराहा (कंपनीबाग)	73
15	आरकेबीके पेट्रोल पंप चौराहा बस्ती	43
16	पीपीपी मोड के तहत कटारा पानी की टंकी के पास दुकानें	28
17	पीपीपी मोड के तहत दुकानें आरकेबीके पेट्रोल पंप कटरा पानी की टंकी	22
18	पीपीपी मोड समीर चौराहा (कंपनीबाग)	17
19	पीपीपी मोड हनुमान गढ़ी गांधीनगर बस्ती	7
	कुल	461

तालिका 72 दुकानों की सूची बनाएं

बस्ती के नॉन-वैडिंग जोन

क्रमांक	बस्ती के नॉन-वैडिंग जोन
1	कचेरी चौराहा
2	कंपनी बाग चौराहा
3	सुभाषतिराहा
4	कटरा पानी की टंकी
5	कटरा चुंगी
6	रौता चौराहा
7	रंजीत चौराहा
8	रोडवेज तिराहा मालवीय मार्ग
9	स्काउट प्रेस से इंदिरा नगर
10	रोडवेज चौराहा से गांधी नगर मार्ग

क्रमांक	बस्ती के नॉन-वैंडिंग जोन
11	दक्षिण दरवाजा
12	अस्पताल चौराहा
13	करुआ बाबा चौराहा
14	रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र
15	सुरती हट्टा रोड
16	पांडे बाजार चौराहा

तालिका 73 बस्ती के नॉन-वैंडिंग जोन

बस्ती के वैंडिंग जोन

क्रमांक	बस्ती के वैंडिंग जोन	पथ की लंबाई (मीटर में)
1	जी.आई.सी. (सीतापुर नेत्र अस्पताल से जिला विद्यालय गेट)	68
2	जी.जी.आई.सी. कैपास पीपलकापेड से आलम कोल डिपो	42
3	कंपनी बाग टेंट हाउस से जजेश कॉलोनी गेट	21
4	कंपनीबाग विद्युत उपकेन्द्र से सरकारी आवास	36
5	कंपनी बाग कृषि गोदाम से वी. मार्ट	40
6	जलापूर्ति विभाग के सामने मंडी	76
7	चौधरी परिसर कार्यालय क्रासिंग से दुर्गा मंदिर	70
8	कबीर तिराहा से महाराणा प्रताप क्रॉसिंग	130
9	एसपी आवासीय के सामने दूसरी जमीन	180
10	आई.टी.आई. दूसरा गेट से आर.टी.ओ. कार्यालय	68
11	आरटीओ कार्यालय विद्युत ट्रांसफार्मर, डॉ सलीम के सामने पुलिया	36
12	एनएचआई / पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने कटरा	82
13	जिला उद्योग केंद्र कोतवाली के सामने	50
14	जिला पशु अस्पताल दक्षिण दरवाजा	40
15	जिला कार्यालय के पास मन वाटिका मैरिज हॉल के निकट	50

तालिका 74 बस्ती के वैंडिंग जोन

बस्ती में मौजूदा पार्क

क्रमांक	नाम	क्षेत्रफल
1	आवास विकास कॉलोनी टीवीटावर बस्ती	15000
2	पूर्व विधायक श्री रामलखन सिंह के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	15000
3	श्री राम जियावर के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	1350
4	कपिलगनाग के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	4800
5	मकान नं. 115 के पीछे आवास विकास कॉलोनी	4800
6	राजाबस्ती के घर के बगल में आवास विकास कॉलोनी	4800
7	आवास विकास कॉलोनी भोशनाथ पाठक के घर के पास	4800
8	श्री उदयशंकर के पास आवास विकास कॉलोनी	6300
9	श्री बाबूराम दुबे के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	6300
10	श्री अवनि कुमार श्रीवास्तव के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
11	श्री दुबे जी के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
12	श्री सूर्य प्रकाश भुकला के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	1800
13	श्री अनिल सिंह के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
14	श्री भरीफ के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
15	परिषद स्टोर के पास आवास विकास कॉलोनी	1800
16	श्री भर्मा के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
17	श्री कोदई के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
18	पानी की टंकी के पास आवास विकास कॉलोनी	7800
19	श्री तिवारी के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
20	नगर पालिका के पास पिकौरादतू राय कटेश्वर पार्क में	1 Acre

तालिका 75 बस्ती में मौजूदा पार्क


अनुलग्नक क 2031 के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता


क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	टाव यकता (2031)	अन्तर		
		क्षेत्रफल	इकाई	संख्या	301283	392000	510000			
शिक्षा सुविधा	जनसंख्या			संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	क्षेत्रफल	इकाई	
	नर्सरी स्कूल	2500	500	वर्ग. मी.	121	157	204	47	23600	वर्ग.मी.
	प्राथमिक विद्यालय	5000	1000	वर्ग. मी.	60	78	102	24	23600	वर्ग.मी.
	जूनियर हाई स्कूल	7500	2000	वर्ग. मी.	40	52	68	16	31466.6 6667	वर्ग.मी.
	इंटर कॉलेज	10000	4000	वर्ग. मी.	30	39	51	12	47200	वर्ग.मी.
	डिग्री कॉलेज	80000	5000	वर्ग. मी.	4	5	6	1	7375	वर्ग.मी.
	इंजीनियरिंग कॉलेज	100000	4	हेक्ट.	0	0	1	0	0.472	हेक्ट.
	चिकित्सा महाविद्यालय	100000	10	हेक्ट.	0	0	1	0	1.18	हेक्ट.
	डेटल कॉलेज	100000	2	हेक्ट.	0	0	1	0	0.236	हेक्ट.
	आंगनवाड़ी	5000	250	वर्ग. मी.	60	78	102	24	5900	वर्ग.मी.
2	स्वास्थ्य सुविधा									
	स्वास्थ्य केंद्र	15000	800	वर्ग. मी.	20	26	34	8	6293.33 3333	वर्ग.मी.
	बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	45000	2000	वर्ग. मी.	7	9	11	3	5244.44 4444	वर्ग.मी.
	सामान्य अस्पताल (बिस्तर-100)	100000	2	हेक्ट.	3	4	5	1	2.36	हेक्ट.
3	डाक और संचार									
	उप डाकघर	10000	100	वर्ग. मी.	30	39	51	12	1180	वर्ग.मी.
	टेलिफोन एक्सचेंज	100000	4000	वर्ग. मी.	3	4	5	1	4720	वर्ग.मी.
	पुलिस थाना (कर्मचारी आवास)	50000	4000	वर्ग. मी.	6	8	10	2	9440	वर्ग.मी.
	पुलिस चौकी (कर्मचारी आवास)	15000	1500	वर्ग. मी.	20	26	34	8	11800	वर्ग.मी.

	दमकल केन्द्र (कर्मचारी आवास)	2000 00	8000	वर्ग. मी.	2	2	3	1	4720	वर्ग.मी.
	ई-सुविधा केंद्र	1500 0	50	वर्ग. मी.	20	26	34	8	393.333 3333	वर्ग.मी.
4	विद्युत उपकेन्द्र									
	11 KV	1500 0	500	वर्ग. मी.	20	26	34	8	3933.33 3333	वर्ग.मी.
	33 KV		0.4	हेक्ट.				0	0	हेक्ट.
	66 KV	5000 0	0.61	हेक्ट.	6	8	10	2	1.4396	हेक्ट.
	132 KV		2.02	हेक्ट.				0	0	हेक्ट.
	220 KV	5000 00	4.04	हेक्ट.	0	1	1	0	0.95344	हेक्ट.
5	सामाजिक— सांस्कृतिक सुविधाएं									
	बारात घर / सामुदायिक केंद्र	2500 0	1500	वर्ग. मी.	12	16	20	5	7080	Sq.m
	कलब	2500 0	1000	वर्ग. मी.	12	16	20	5	4720	Sq.m
6	व्यावसायिक									
	सुविधा दुकानें	400	5%			980	1275	29 5		
	सेक्टर खरीदारी	200	25	वर्ग. मी.	1506	1960	2550	59 0	14750	Sq.m
	बूथ / कियोस्क	500	7.5	वर्ग. मी.	603	784	1020	23 6	1770	Sq.m
	नगर केंद्र	3000 00	7.5	हेक्ट.	1	1	2	0	2.95	Hec
	उपनगर केंद्र	1000 00	5	हेक्ट.	3	4	5	1	5.9	Hec
	अन्य वाणिज्यिक केंद्र	1 Per Zone	2.5	हेक्ट.						Hec
7	वितरण सुविधा									
	एलपीजी गोदाम & गैस गोदाम	5000 0	1000	वर्ग. मी.	6	8	10	2	2360	Sq.m
8	खेलकुद सुविधा									
	नगर खेल क्षेत्र	1000 000	20	हेक्ट.	0	0	1	0	2.36	Hec
	जोनल खेलक्षेत्र	1000 00	8	हेक्ट.	3	4	5	1	9.44	Hec


	पडोस खेल क्षेत्र	1500 0	1.5	हेक्ट.	20	26	34	8	11.8	Hec
	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	5000	वर्ग. मी.	60	78	102	24	118000	Sq.m
9	डंपिंग स्थल	500	15	वर्ग. मी.	603	784	1020	23 6	3540	Sq.m
10	पार्क और खुले स्थान	1000	1.6	हेक्ट.	301	392	510	11 8	188.8	Hec
	क्रीड़ागांन	1000 00	8	हेक्ट.	3	4	5	1	9.44	Hec
11	भौतिक मूल ढाँचा									
	जलापूर्ति	135		एम. एल. डी.	40.67	52.92	68.85			एम.एल. डी.
	मलजल	108		एम. एल. डी.	32.54	42.34	55.08			एम.एल. डी.
	ठोस अपशिष्ट	0.3		किग्रा & व्यक्ति	90384.9	117600	153000			किग्रा / व्यक्ति

तालिका 76 अनुलग्नक क 2031 के लिए बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता






चित्र 15 - 24 मीटर रोड



चित्र 16-30 मीटर सड़क खंड



PROPOSED ROAD 45.00 MTR WIDE FOR PARIKRAMA PATH

चित्र 17 45 मीटर सड़क खंड

बस्ती जोनिंग विनियम

13.1 परिचय

13.1.1 जोनिंग के उद्देश्य

आम तौर पर, महायोजना में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत, सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक सुविधाएं, परिवहन, पार्क, खुले स्थान और कृषि भूमि उपयोग चिह्नित / पहचाने जाते हैं। अनुषंगी / आकस्मिक गतिविधियां, जिन्हें भू—उपयोग मानचित्र में अलग से प्रदर्शित नहीं किया जाता है, को जोनिंग नियमों के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए। अनुषंगी/आकस्मिक गतिविधि यों/ उपयोगिताओं का प्रावधान जोनिंग विनियमों और किसी विशेष योजना की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है ताकि प्रस्तावित नियोजित क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मॉडल जोनिंग विनियमन की मुख्य विशेषताएं

शहरों के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवृत्ति को बदलने में विभिन्न गतिविधियों / उपयोगिताओं का विकास एक सतत प्रक्रिया है। जोनिंग विनियमों में, विकास की आवश्यकताओं की योजना बनाने और प्रतिक्रिया करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए मुख्य भूमि—उपयोग क्षेत्रों के तहत विभिन्न गतिविधियों / उपयोगिताओं की स्वीकृति निर्धारित की गई है। जोनिंग विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

(1) सामान्य जोनिंग विनियमों की जटिलताओं को सरल बनाने के लिए हटा दिया जाता है। मुख्य भूमि उपयोग क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधि यों की अनुमति को मैट्रिक्स के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है।

(2) भूमि के नियमित उपयोग के बजाय भूमि के लचीले और बहु—उपयोगी उपयोग की अवधारणा को अपनाया जाता है, ताकि यह शहर के तेजी से विकास को बढ़ावा दे सके।

(3) भूमि के एक टुकड़े की बहु—उपयोगिता की योजना और अनुमति उनके सहायक और वरीयता उपायों के आधार पर होगी, ताकि अन्योन्याश्रित बहु—उपयोगी भूमि की परिचालन और किफायती क्षमता को बढ़ाया जा सके और मुख्य भूमि का उपयोग किया जा सके। मूल चरित्र को भी बनाए रखें।

(4) अस्थायी भूमि—उपयोग की अवधारणा को जोनिंग विनियमों में अपनाया गया है, जिसके अनुसार सामान्य योजना / लेआउट योजना में जिन गतिविधियों की परिकल्पना नहीं की गई है और वहाँ जोनिंग विनियमन भविष्य में उनकी योग्यता के अनुसार विचार किया जा सकता है।

■ विभिन्न गतिविधियां / अनुमति श्रेणियों का उपयोग करती हैं

प्रस्तावित मुख्य भूमि उपयोग श्रेणियों में प्रदान की जाने वाली या नियोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियाँ / उपयोगिताएँ निम्नानुसार हैं:

(ए) अनुमेय उपयोग ये गतिविधियाँ / उपयोगिताएँ जो मुख्य भूमि—उपयोग के लिए सहायक हैं और नियोजित और अनुमन्य हैं।

(बी) सशर्त उपयोग ये गतिविधियाँ जो मुख्य भूमि—उपयोग के संबंध में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आवश्यक शर्तों और शर्तों के तहत नियोजित और अनुमन्य हैं। जोनिंग मैट्रिक्स के साथ आवश्यक नियम और शर्तें दी गई हैं।

(सी) प्राधिकरण की विशिष्ट अनुमति के तहत अनुमेय उपयोग इन गतिविधि यों की योजना या अनुमति प्राधिकरण की विशिष्ट अनुमति के तहत बुनियादी ढांचे और आसपास के क्षेत्र आदि पर इसके पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यानी उनके गुण और दोषों के आधार पर दी जाएगी।

(डी) निषिद्ध गतिविधि यां संबंधित भूमि-उपयोग में इन गतिविधियों को आम तौर पर अनुमति नहीं दी जाएगी।

चल/ प्रवाह उपयोग

योजना के लागू होने के बाद शहर के बदलते भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवृश्य के अनुसार कुछ गतिविधियाँ / उपयोगिताएँ प्रस्तावित हैं, जो समय की माँग के अनुसार आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन योजना या जोनिंग नियमों में परिकल्पित नहीं हैं। इस तरह की गतिविधियों में बस / ट्रक / रेल टर्मिनल, थोक व्यापार परिसर, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं, बिजली सब स्टेशन, उपचार संयंत्र आदि शामिल हैं। ऐसी गतिविधि यों को अनुमति देने के लिए, भूमि-उपयोग को बदलना कई बार अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए, ऐसी गतिविधियों/ उपयोगिताओं की माँग के अनुसार अनुमति देने के लिए, अस्थायी उपयोग/ गतिविधि की अवधारणा को शामिल किया गया है।

इसका लाभ यह है कि किसी एक भू-उपयोग क्षेत्र में गैर-निष्पादित गतिविधियों का कोई केंद्रीकरण नहीं होगा। इसके अलावा, अतिरिक्त अस्थायी उपयोगिताओं के कारण भूमि-उपयोग क्षेत्र के प्रमुख चरित्र पर किसी भी दुष्प्रभाव या गिरावट को रोकने के लिए और संबंधित क्षेत्र में प्रतिष्ठानों पर दबाव को नियंत्रित करने के लिए, एक प्रावधान निर्धारित किया गया है कि यदि कोई अस्थायी किसी विशेष क्षेत्र में उपयोगिता की अनुमति नहीं है, मामले के गुण/दोषों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट अनुमति द्वारा इसकी अनुमति दी जा सकती है।

प्रभाव शुल्क

यह वह शुल्क है जो विकास प्राधिकरण द्वारा उस जोनल भूमि उपयोग के जोनिंग नियमन के अनुसार विकास की अनुमति देने के लिए लिया जाता है।

अनुमति के लिए प्रक्रिया

प्रमुख भूमि उपयोग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों की अनुमति जोनिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दी जायेगी। विभिन्न भूमि उपयोगों में प्रस्तावित गतिविधियों की अनुमति के लिए जनता की आपत्ति आमंत्रित करने के लिए एक माह का समय लिया जाएगा। आपत्ति समाप्त होने के बाद ही प्रस्तावित गतिविधियों के लिए अनुमति/ प्रतिबंध दिया जाएगा। प्रतिबंध या अनुमति की पूरी प्रक्रिया के लिए अधि कतम 60 दिन दिए गए हैं।

जोनिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमुख भूमि उपयोग के तहत विभिन्न गतिविधियों की अनुमति देने से पहले, समिति द्वारा मामलों की जांच की जाएगी और फिर समिति की सिफारिशों को विकास प्राधिकरण के बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे।

- 1- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0
- 2- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उ.प्र.या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति
- 3- विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अशासकीय अधिकारी।

जोनिंग विनियमन के तहत अनुमति आवेदक द्वारा अधि कार के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है।

अन्य उम्मीदें

महायोजना के प्रमुख भूमि उपयोग के तहत यदि कुछ विशिष्ट भूमि उपयोग श्रेणी के लिए विकास के लिए कोई भूमि प्रस्तावित है, तो उस प्रस्ताव के अनुसार विकसित किया जाएगा। उदाहरण के लिए सार्वजनिक अर्ध-सार्वजनिक के तहत अस्पताल के लिए प्रस्तावित भूमि, केवल अस्पताल और उससे संबद्ध गतिविधि की अनुमति होगी।

महायोजना के तहत, किसी भी प्रस्तावित भूमि उपयोग श्रेणी के लिए यदि कोई जंगल, सार्वजनिक उपयोग और सेवाएं जैसे पार्क, खेल का मैदान या सड़कों मौजूद हैं तो यह वैसे ही रहेगा जैसे कि यह किसी भिन्न भूमि उपयोग श्रेणी के लिए प्रस्तावित है।

यदि कोई क्षेत्र या क्षेत्र या उसकी विकास योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है तो वह जस की तस बनी रहेगी। जोनिंग रेगुलेशन के तहत अनुमति किसी भी गतिविधि को जोन के बिल्डिंग कोड का पालन करने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी।

परिभाषाएं

- महायोजना / जोनल प्लान/ लेआउट प्लान में दर्शाए गए आवासीय या मिश्रित आवासीय भूमि उपयोग के लिए मिश्रित आवासीय या केवल आवासीय साधन
- सक्षम प्राधि कारी का अर्थ है उ.प्र.शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र के मामले में विकास प्राधिकरण बोर्ड।
- शहरी निर्मित का अर्थ है महायोजना में इसके रूप में दिखाया गया क्षेत्र
- विकासशील या अविकसित क्षेत्र का अर्थ है शहरी निर्मित क्षेत्र से बाहर लेकिन विकासशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।

विभिन्न भूमि उपयोग / गतिविधियों की परिभाषा

आवासीय

- एकल घर – स्वतंत्र आवासीय परिसर
- समूह आवास – ऐसा परिसर जिसमें दो या दो से अधिक तल हों और प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय मकान हों
- स्टॉफ हाउस – घरों में ऐसे परिसर केवल उस परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बनाए गए हैं
- चौकीदार/ गार्ड हाउस – मुख्य उपयोग की सुरक्षा और / या रख-रखाव के लिए जिम्मेदार वॉच और वार्ड स्टाफ के लिए आवासीय आवास।

वाणिज्यिक

- दुकानें – आवश्यक भंडारण के साथ उपभोक्ताओं को सीधे वस्तुओं की बिक्री के लिए एक परिसर।
- शो रूम – वस्तुओं के प्रदर्शन, बिक्री और भंडारण की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- आटा चक्की – एक ऐसा परिसर जहां अनाज, मसाले और सूखे खाद्य पदार्थों को पीसने का काम किया जाता है।
- थोक मंडी / व्यवसाय – एक परिसर जहां से माल और वस्तुओं की बिक्री / वितरण खुदरा विक्रेताओं को किया जाता है। परिसर में भंडारण, गोदाम, लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाएं शामिल हैं।
- कोल्ड स्टोरेज – एक परिसर जहां आवश्यक तापमान आदि को बनाए रखने के लिए यांत्रिक और विद्युत उपकरणों का उपयोग करके खराब होने वाली वस्तुओं को ढके हुए स्थान में संग्रहीत किया जाता है।
- होटल – भोजन के साथ या भोजन के बिना भुगतान पर ठहरने के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- मोटल – यात्रा करने वाले लोगों के लिए मुख्य सड़क के पास एक होटल।
- कैंटीन – किसी संस्था में खाना पकाने की सुविधाओं सहित श्रमिकों को खाद्य सामग्री परोसने के लिए इरतेमाल किया जाने वाला परिसर। इसमें बैठने की व्यवस्था के लिए ढका हुआ या खुला स्थान या दोनों हो सकते हैं।
- फूड कोर्ट – फूड कोर्ट एक सुविधा के भीतर एक (आमतौर पर) इनडोर प्लाजा या सामान्य क्षेत्र है जो कई खाद्य विक्रेताओं के काउंटरों से सटा हुआ है और स्वयं परोसने वाले भोजन के लिए एक सामान्य क्षेत्र प्रदान करता है। फूड कोर्ट शॉपिंग मॉल आदि का हिस्सा हो सकते हैं या अकेले विकास हो सकते हैं।
- सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स – दर्शकों के बैठने के लिए एक ढकी हुई जगह के साथ फिल्मों और स्टिल्स के प्रक्षेपण के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- पेट्रोल/ डीजल/ गैस फिलिंग स्टेशन – उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के लिए एक परिसर। इसमें ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग शामिल हो सकती है।
- गैस गोदाम – एक परिसर जहां रसोई गैस या अन्य गैस के सिलेंडर रखे जाते हैं।
- गोदाम/ गोदामरु संबंधित वस्तुओं/ वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के भंडारण के अनन्य उपयोग के लिए एक परिसर। परिसर में लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाएं शामिल हैं।

औद्योगिक

- सेवा उद्योग / कुटीर उद्योग: एक उद्योग में ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो मुख्य रूप से मूर्त उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके राजस्व अर्जित करती हैं। सेवा उद्योग कंपनियां खुदरा, परिवहन, वितरण, खाद्य सेवाओं के साथ-साथ अन्य सेवा-प्रधान व्यवसायों में शामिल हैं।
- सूचना/ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क : एक परिसर जहां सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आई.टी. सक्षम सेवाएं तैयार किए जाते हैं।
- मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग: राज्य सरकार के वर्गीकरण के अनुसार मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योग।
- लघु / हल्का उद्योग रु राज्य सरकार के वर्गीकरण के अनुसार लघु / हल्के उद्योग।

कार्यालय

- सरकारी/ अर्ध सरकारी / सार्वजनिक उपक्रम / स्थानीय निकाय कार्यालय रु संघ और राज्य सरकारों के कार्यालयों, अर्ध सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकाय कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- कार्यालय/ कॉर्पोरेट कार्यालय : वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, लाभ कमाने वाले संगठन और अन्य संस्थानों के कार्यालय के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- पेशेवर/ व्यक्तिगत/ एजेंट कार्यालय: एक परिसर जहां एक व्यक्ति या चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टूर एंड ट्रैवल एजेंट आदि जैसे पेशेवरों के समूह द्वारा पेशेवर परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- बैंक : बैंकिंग कार्यों और कार्यों को करने के लिए कार्यालय के लिए एक परिसर।
- परियोजना विकास/ प्रबंधन/ अनुरक्षण कार्यालय : प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परियोजना स्थल के भीतर परियोजना विकास, प्रबंधन और रखरखाव के लिए एक रियल एस्टेट डेवलपर द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- सैटलाइट/ वायरलेस/ दूरसंचार केंद्र : संचार उद्देश्य के लिए टावर की स्थापना के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।

सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक

- गेस्ट हाउस / लॉजिंग / बोर्डिंग हाउसरु गेस्ट हाउस सरकारी, अर्धसरकारी, सार्वजनिक उपक्रम और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों को कम अवधि के लिए आवास के लिए एक आधार है। बोर्डिंग हाउस एक ऐसा परिसर है जिसमें होटलों की तुलना में लंबी अवधि के लिए कमरे किराए पर दिए जाते हैं। लॉजिंग हाउस एक ऐसा परिसर है जिसका उपयोग 50 से कम व्यक्तियों के ठहरने के लिए किया जाता है।
- छात्रावास : एक परिसर जिसमें "संस्थाओं" से जुड़े कमरे या अन्यथा, छात्रों, प्रशिक्षुओं और श्रमिकों को दीर्घकालिक आधार पर किराए पर दिए जाते हैं।
- सुधारक और अनाथालय : अनाथालय का अर्थ माता-पिता के शोक संतप्त बच्चों के बोर्डिंग के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर होगा। इसमें शैक्षणिक सुविधाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी। सुधारक का अर्थ अपराधियों के कारावास और सुधार के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर होगा।
- मानसिक/ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्कूल: मानसिक और/ या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, उपचार, सुधार और सशक्तिकरण के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर। इसका प्रबंधन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वाणिज्यिक या गैर-व्यावसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- क्रेच एवं डे केयर सेंटर : एक परिसर जिसमें दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी की सुविधा होती है। केंद्र का प्रबंधन किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा वाणिज्यिक या गैर-व्यावसायिक आधार पर किया जा सकता है।
- प्ले और नर्सरी स्कूल : स्कूल की तैयारी के लिए बच्चों के लिए प्रशिक्षण और खेलने की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- वृद्धाश्रम : वृद्ध लोगों / वरिष्ठ नागरिकों के दीर्घ या अल्पावधि ठहरने के लिए वाणिज्यिक या गैर-व्यावसायिक व्यवस्था वाला परिसर। इसमें मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खानपान आदि की व्यवस्था शामिल हो सकती है।
- प्राथमिक विद्यालय : एक परिसर जिसमें पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हैं।

- माध्यमिक विद्यालय / वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय : एक परिसर जिसमें दसवीं या बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हैं। इसमें मौजूदा मध्य विद्यालय शामिल होंगे, जो आठवीं कक्षा तक हैं।
- एकीकृत आवासीय विद्यालय : एक परिसर जिसमें बारहवीं कक्षा तक शैक्षिक और खेल सुविधाएं हैं। इसमें छात्रों के लिए बोर्डिंग की सुविधा होगी और संकाय के लिए निवास हो सकता है।
- व्यावसायिक संस्थान : अनुशासन के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ एक परिसर, कुछ पेशे और व्यापार में रोजगार के लिए हानिकारक। इसमें प्रशिक्षण—सह—कार्य केंद्र शामिल हैं।
- डिग्री/ पीजी/ पेशेवर (चिकित्सा/ इंजीनियरिंग आदि) कॉलेज: एक विश्वविद्यालय के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाओं के साथ एक परिसर। इसमें सभी पेशेवर विषय शामिल हैं।
- विश्वविद्यालय : यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ उच्च शिक्षा के लिए एक संस्थान। एक विश्वविद्यालय बिना किसी कॉलेज से जुड़े हो सकता है, लेकिन उससे संबद्ध कॉलेजों का संयोजन हो सकता है।
- डाकघर : जनता द्वारा उपयोग के लिए डाक संचार की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- टेलीफोन एक्सचेंज : एक परिसर जिसमें एक निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए टेलीफोन प्रणाली के केंद्रीय संचालन की सुविधा है।
- पुलिस स्टेशन : एक परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस थाने के कार्यालयों के लिए सुविधाएं हैं। इसमें आवश्यक कर्मचारियों का निवास शामिल हो सकता है।
- फायर स्टेशन : एक परिसर जिसमें उसे सौंपे गए जलग्रहण क्षेत्र के लिए अग्निशमन की सुविधा है। इसमें आवश्यक कर्मचारियों का निवास शामिल हो सकता है या नहीं।
- पुलिस पोस्ट : एक स्थानीय पुलिस चौकी के लिए एक अस्थायी प्रकृति या पुलिस थाने की तुलना में छोटे पैमाने पर सुविधाओं वाला एक परिसर।
- पुस्तकालय : एक परिसर जिसमें आम जनता या विशिष्ट वर्ग के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों का बड़ा चयन होता है।
- अनुसंधान एवं विकास केंद्र : एक परिसर जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास की सुविधाएं हैं।
- स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र : एक परिसर जिसमें 30 बिस्तरों तक के इनडोर और आउटडोर रोगियों के इलाज की सुविधा है। स्वास्थ्य केंद्र का प्रबंधन गैर-व्यावसायिक आधार पर किसी सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक संस्थान द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केंद्र भी शामिल है।
- औषधालय : एक परिसर जिसमें चिकित्सा सलाह और दवाओं के प्रावधान की सुविधा हो
- ट्रॉमा सेंटर : ट्रॉमा के तहत रोगियों को तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए विशेष प्रकृति की चिकित्सा सुविधाओं वाला एक परिसर।
- अस्पताल : घर के अंदर और बाहर के मरीजों के इलाज के लिए सामान्य या विशेष प्रकृति की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाला परिसर।
- मैडिकल कॉलेज : एक परिसर जहां मानव शरीर से संबंधित शिक्षण, उपचार, संचालन और अनुसंधान और विकास किया जाता है।
- किलिनिक/ पॉलीकिलिनिक: एक परिसर जिसमें बाहरी मरीजों के इलाज की सुविधा एक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। पॉलीकिलिनिक के मामले में, इसका प्रबंधन डॉक्टरों के एक समूह द्वारा किया जाएगा।
- नर्सिंग होम : 30 बिस्तरों तक के इनडोर और आउटडोर रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं वाला एक परिसर। इसका प्रबंधन एक चिकित्सक द्वारा व्यावसायिक आधार पर किया जाएगा।
- किलिनिकल लैब / डायग्नोस्टिक सेंटर: एक परिसर जिसमें रोग के लक्षणों की पुष्टि के लिए विभिन्न परीक्षण करने की सुविधा है।
- पशु चिकित्सा अस्पताल / औषधालय : पशुओं के लिए चिकित्सा और समान सुविधाएं प्रदान करने वाला एक परिसर।
- हेल्थ क्लब / जिमनैजियम : एक कमरा या भवन जिसमें इनडोर खेलकूद और जिम की सुविधा हो।
- नृत्य / संगीत / कला केंद्र : एक परिसर जिसमें नृत्य, संगीत और कला के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षण देने की सुविधा है।
- योग / ध्यान केंद्र : एक परिसर जिसमें आत्म—प्राप्ति, मन और शरीर की उच्च गुणवत्ता प्राप्त करने आदि की सुविधाएं हों।

- दुर्घट बूथ : दूध की खुदरा बिक्री के लिए उपभोक्ताओं को सीधे मैनुअल या अन्य माध्यमों से एक परिसर।
- धार्मिक भवन / केंद्र : एक परिसर जो भगवान के आवास और सेवा और धार्मिक प्रकृति की अन्य वस्तुओं के लिए समर्पित है। विभिन्न धर्मों में इसका अलग-अलग नामकरण हो सकता है जैसे सभी धर्मों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, आराध नालय, आश्रम, स्नान घाट, गौशाला आदि।
- सामुदायिक केंद्र : एक परिसर जिसमें पड़ोस या समूह आवास परिसर की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक संलग्न स्थान होता है।
- सम्मेलन/ सम्मेलन केंद्र: एक परिसर जिसमें बैठक, संगोष्ठी, आदि के लिए सभी सुविधाएं हैं, जहां विभिन्न संगठनों के कई लोग भाग लेंगे।
- सभागार : एक परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए एक संलग्न स्थान और विभिन्न प्रदर्शनों जैसे संगीत, नाटक, नृत्य, नाटक, संगीत, गायन, समारोह आदि के लिए मंच होता है।
- तारामंडल : ग्रहों के अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाओं और उपकरणों के साथ एक परिसर।
- सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र: सामाजिक-सांस्कृतिक प्रकृति की गतिविधियों के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- पीसीओ: भुगतान के आधार पर स्थानीय, एसटीडी और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को टेलीफोन से फोन कॉल करने की सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- इंटरनेट/ सूचना केंद्र : संचार उद्देश्यों के लिए इंटरनेट प्रणाली के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परिसर।
- समाज कल्याण केंद्र : सामुदायिक विकास के कल्याण और प्रोत्साहन के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर। यह एक सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक संस्थान द्वारा चलाया जाएगा।
- श्मशान/ श्मशान भूमि/ श्मशान : श्मशान भूमि का अर्थ होगा जलाकर शवों का अंतिम संस्कार करने की सुविधा वाला परिसर। दफनाने का मतलब होगा शवों को दफनाने की सुविधा वाला परिसर। श्मशान का अर्थ एक विद्युत/ इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में शवों को निपटाने के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर होगा।

▪ सार्वजनिक उपयोगिताएँ

- सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट: सीवरेज के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली उपचार सुविधाओं के साथ एक परिसर।
- सीवरेज पंपिंग स्टेशन : एक पंपिंग स्टेशन के साथ एक परिसर जिसका उपयोग सीवेज को उच्च ग्रेडिएंट पर पंप करने के लिए किया जाता है।
- सेनेटरी लैंडफिल साइट : एक परिसर जहां ठोस कचरे का निपटान छोटी या विशिष्ट अवधि के लिए किया जाता है।
- ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र: एक परिसर जहां ठोस अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, यंत्रवत विद्युत रूप से संसाधित किया जाता है और पुनः उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है।
- ट्यूबवेल/ ओवर हेड टैंक/ अंडर ग्राउंड टैंक/ रेनी वेल: ट्यूबवेल: यांत्रिक साधनों का उपयोग करके भूमिगत स्त्रोतों से पानी निकालने की प्रणाली। इसमें संचालन और रखरखाव के लिए एक कमरा शामिल हो सकता है।
- ओवर हेड टैंक : एक परिसर जिसमें अपने पड़ोसी क्षेत्रों में पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक होता है। इसमें पंप हाउस शामिल हो भी सकता है और नहीं भी।
- भूमिगत टैंक : एक परिसर जिसमें अपने आस-पास के क्षेत्रों में पानी के भंडारण और आपूर्ति के लिए भूमिगत टैंक होता है। इसमें पंप हाउस शामिल हो भी सकता है और नहीं भी।
- रेनी वेल : किसी जलाशय के किनारे के भूमिगत स्रोतों से पानी निकालने की प्रणाली।
- इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन: बिजली के वितरण के लिए विद्युत स्थापना और परिवर्तन वाला एक परिसर।
- सार्वजनिक शौचालय : एक परिसर जिसमें जनता के उपयोग के लिए शौचालय और मूत्रालय हों।

यातायात और परिवहन

- खुली पार्किंग : वह परिसर जो आकाश में खुला हो, जिसका उपयोग वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाता है।
- कवर्ड/ मल्टी-लेवल पार्किंग : वाहनों की पार्किंग के लिए एक या अधिक स्तरों का कवर्ड परिसर।

- टैक्सी/ ऑटो स्टैंड : वाणिज्यिक आधार पर चलने वाले मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन वाहनों की पार्किंग के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर।
- साइकिल रिक्शा स्टैंड : रिक्शा और साइकिल पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक परिसर।
- ट्रक टर्मिनल / परिवहन नगर : अल्पावधि या दीर्घकालिक आधार पर ट्रकों की पार्किंग के लिए एक परिसर। इसमें एजेंसी कार्यालय, कार्यशालाएं, ढाबे, स्पेयर पार्ट की दुकानें, गोदाम, पेट्रोल / डीजल फिलिंग स्टेशन, रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होटल और प्राधिकरण द्वारा तय की गई ऐसी अन्य परिचालन सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
- बस स्टैंड/ आश्रय : बस स्टैंड या बस शेल्टर यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए कम समय अवधि के लिए कैरिज—वे से बसों को पार्क करने के लिए सड़क पर एक निर्दिष्ट स्थान है।
- बस डिपो : सार्वजनिक परिवहन एजेंसी या ऐसी किसी अन्य एजेंसी द्वारा बसों की पार्किंग, रखरखाव और मरम्मत के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर। इसमें कार्यशाला शामिल हो भी सकती है और नहीं भी।
- बस टर्मिनल : सार्वजनिक या निजी परिवहन एजेंसी द्वारा बसों को छोटी अवधि के लिए पार्क करने के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर। इसमें यात्रियों के लिए रेस्तरां, गेस्ट हाउस, होटल और ऐसी अन्य परिचालन सुविधाएं शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी।
- मोटर गैराज/ सर्विस गैराज/ कार्यशाला : ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए एक परिसर।
- ट्रैफिक पार्क/ चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क/ प्रशिक्षण केंद्र: पार्क के रूप में एक परिसर जिसमें यातायात और सिग्नल के बारे में जनता/ बच्चों को परिचित कराने और शिक्षित करने की सुविधा है। प्रशिक्षण केन्द्र में वाहन चलाने के प्रशिक्षण की सुविधा होगी।
- लोडिंग/ अनलोडिंग सुविधाएं/ स्पेस :
- परिवहन/ कार्गो बुकिंग केंद्र :
- कंटेनर डिपो :
- टोल प्लाजा : टोल रोड के उपयोग के लिए टोल वसूली के लिए एक परिसर/ सुविधा। इसमें टोल संग्रह प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए कार्यालय भवन शामिल हो सकता है।

पार्क, खेल / खुले स्थल

- पार्क : मनोरंजक अवकाश गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परिसर। इसमें भूनिर्माण, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय, बाड़ आदि से संबंधित हो सकते हैं। इसमें लॉन, खुले स्थल, हरा आदि जैसे पर्यायवाची शब्द शामिल होंगे।
- खेल का मैदान : बाहरी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला परिसर। इसमें भूनिर्माण, पार्किंग सुविधाएं, सार्वजनिक शौचालय आदि हो सकते हैं।
- बहुउद्देशीय खुले स्थान: अंतरिक्ष / क्षेत्र जो अनिवार्य रूप से खुला है और कई अस्थायी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- गोल्फ कोर्स : गोल्फ खेल खेलने के लिए निर्धारित क्षेत्र जो अनिवार्य रूप से खुला है और साथ ही न्यूनतम निर्मित स्थान जो खेल का समर्थन करता है।
- रेस कोर्स : दौड़ के समर्थन के लिए न्यूनतम निर्मित स्थान के साथ रेसिंग के लिए निर्धारित क्षेत्र।
- स्टेडियम : पवेलियन भवन के साथ आउटडोर खेलों के लिए एक परिसर और दर्शकों के बैठने के लिए स्टेडियम की संरचना जिसमें संबंधित सुविधाएं भी शामिल हैं।
- खेल प्रशिक्षण केंद्र: एक परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए प्रशिक्षण और कोचिंग की सुविधा है। इसमें शारीरिक शिक्षा केंद्र भी शामिल होगा।
- खेल परिसर : पवेलियन भवन, स्टेडियम और संबंधित सुविधाओं के साथ आउटडोर और इनडोर खेलों के लिए एक परिसर।
- पिकनिक स्पॉट : पर्यटक/ मनोरंजन केंद्र के भीतर एक परिसर जो मनोरंजन या छुट्टी के उद्देश्य के लिए कम अवधि के ठहरने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इंडोर स्टेडियम / गेम हॉल: खेल के मैदान के साथ इनडोर स्टेडियम के लिए एक परिसर और संबंधित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने की व्यवस्था।

- मनोरंजन/ विशिष्ट/ थीम पार्क : मनोरंजन पार्क और थीम पार्क लोगों के एक बड़े समूह के मनोरंजन के उद्देश्य से एकत्रित सवारी और अन्य मनोरंजन आकर्षणों के समूह के लिए शब्द हैं। एक मनोरंजन पार्क एक साधारण पार्क या खेल के मैदान की तुलना में अधिक विस्तृत है, जो आमतौर पर बच्चों, किशोरों और वयस्कों को पूरा करने के लिए आकर्षण प्रदान करता है।
- मनोरंजन क्लब : सभी संबंधित सुविधाओं के साथ सामाजिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों के समूह को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक परिसर।
- तरणताल : एक परिसर जिसमें तैराकी और दर्शकों के बैठने की सुविधा है, जो मानक और उद्देश्य के अनुसार अलग—अलग होंगे।
- संग्रहालय / सभागार : संग्रहालय का अर्थ प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक इतिहास, कला आदि को दर्शाने वाली वस्तुओं के भंडारण और प्रदर्शनी के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर है। सभागार का अर्थ है एक ऐसा परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए एक संलग्न स्थान और विभिन्न प्रदर्शन जैसे संगीत कार्यक्रम, नाटक, वादन के लिए मंच हो।
- सम्मेलन कक्ष : एक परिसर जिसमें बैठक, संगोष्ठी, संगोष्ठी आदि की सुविधा हो, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे।
- कला/ प्रदर्शनी दीर्घा : एक परिसर जिसमें विशिष्ट वर्ग के चित्रों, तस्वीरों, मूर्तियों, भित्ति चित्रों, चीनी मिट्टी की चीजें, हस्तशिल्प या उत्पादों के प्रदर्शन और प्रदर्शन की सुविधा है।
- ओपन एयर थियेटर : एक परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने की सुविधा हो और प्रदर्शन के लिए एक मंच खुला हो।
- राष्ट्रीय स्मारक : एक संरक्षित क्षेत्र जो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या राष्ट्रीय महत्व की घटना को याद करता है। स्मारक को सीधे विषय से संबंधित साइट पर स्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि

- बाग/ पौध नर्सरी/ सामाजिक वानिकी : बाग का अर्थ फलों के पेड़ों की धनी वृद्धि वाला परिसर होगा। इसमें फलों के पेड़ों वाला बगीचा भी शामिल हो सकता है। पौध नर्सरी का अर्थ एक ऐसा परिसर होगा जिसमें युवा पौधों के पालन और बिक्री की सुविधा होगी। वानिकी का अर्थ सामाजिक वानिकी सहित धने प्राकृतिक वनस्पतियों वाला एक परिसर होगा, जिसमें आंशिक प्राकृतिक वनस्पति और आंशिक मानव निर्मित वनस्पति हो सकती है।
- फार्म हाउस : फार्म पर आवास घर।
- डेयरी फार्म/ कुकुट फार्म : डेयरी/ कुकुट उत्पादों के पालन और प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं वाला एक परिसर। इसमें गायों / पश्चियों के शेड के लिए अस्थायी संरचनाएं हो सकती हैं।
- कृषि उपकरण कार्यशाला / सेवा केंद्र : ट्रैक्टर, ट्रॉली, हार्वेस्टर आदि जैसे कृषि उपकरणों की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए सुविधाओं के साथ एक परिसर।

अन्य

- वन
- पक्षी अभयारण्य

कोड संख्या.	आवश्यक शर्तें और अनुमति की बाधाएं
1	भूतल पर चौकीदार / संतरी आवास
2	भूतल को छोड़कर ऊपरी मंजिलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल का 5%
4	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10% अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10% केवल संबंधित कर्मचारियों के लिए
5	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
6	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैर्च्याओं तक
9	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैर्च्याओं तक
10	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
11	केवल महायोजना में चिह्नित सीमांकित वाणिज्यिक केंद्र / स्थलों के अंतर्गत
12	केवल दुर्बल/निम्न आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, विनाशकारी और आपातकालीन वस्तुओं के अलावा अन्य मर्दों का भंडारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हॉर्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
16	ROW के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हॉर्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अंतर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25% अथवा 100 वर्ग मीटर, दोनों में से जो भी कम हो की अनुमती है
20	केवल आनुषंगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले क्षेत्र के रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से संबंधित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर केवल तीन स्टार तक
24	10 हॉर्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)
25	महायोजना की नीतियों के अनुसार
26	केवल भूतल एवं प्रथम तल पर
27	द्वितीय तल एवं उसके ऊपर

प्रमुख भू-उपयोग क्षेत्रों में विभिन्न क्रियाएं																	
संकेत																	
1	आ०	आवासीय	6	ग्र० व०	ग्रीन वर्चे	11	बा० क्षे०	बाजार क्षेत्र	Permissible Use								
2	व्य०	व्यावसायिक	7	ग्रा० आ०	ग्रामीण आबादी/भावी विस्तार	12	नि० क्षे०	निर्मित क्षेत्र	Prohibited Use								
3	कार्य०	कार्यालय	8	एच०एफ०जे०	हाइवे फैसिलिटी जोन			1	Conditional Permissible Use								
4	सा० सुवि०	सार्वजनिक सुविधाएं	9	कृ० क्षे०	कृषि क्षेत्र				Special Permission								
	या० परि०	यातायात एवं परिवहन	10	पा०	पार्क एवं खुले स्थल			1	Special Permission with condition								
	क्रियाएं				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
क्र.सं.					नि० क्षे०	बा० क्षे०	आ०	व्य०	उद्योग	कार्य०	सा० सुवि०	या० परि०	पा०	ग्र० व०	ग्रा० आ०	कृ० क्षे०	एच०एफ०जे०
1	एकल आवास																
1.1	एकल आवास				27		2	3	4								
1.2	समूह आवास (ग्रुप हाउजिंग)						1	1	3		1					1	
1.3	गार्ड/चौकीदार आवास																
2	व्यावसायिक																
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक 1 के अनुसार)				5												
2.2	शोरूम (ऑटोमोबाइल शोरूम को छोड़ कर)				5	26		26								26	
2.3	ऑटोमोबाइल शोरूम/ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स दुकान				7		19			19						5	
2.4	थोक मंटी/थोक व्यापार						7										
2.5	नीलामी बाजार						6	6								6	
2.6	बेकरी एवं कनफेशनरी, आटा चक्की (10 एच.पी. तक)					5		5									
2.7	कोयला तथा लकड़ी के ताल				6	6	6	5									
2.8	कृषि उपज के विक्रय केंद्र						10										
2.9	शीत गृह						10										
2.10	रिज़ॉर्ट																
2.11	होटल				23	23	6				7						
2.12	मोटल/वे साइड रेस्टरां (ढाबा)						6										

	क्रियाएं	निं० क्षेत्रो	बा० क्षेत्रो	आ०	व्य०	उद्योग	कार्य०	सा० सवि०	या० परिओ	पा०	ग्र० व०	ग्र० आ०	कृ० क्षेत्रो	एच०एफ ०जेड०
													1	2
2.13	ओजनालय/जलपान गृह/कैन्टीन/ पूँड प्लाज़ा				5	5	5	5	5					
2.14	सिनेमा / मल्टीप्लेक्स	6	6	6										
2.15	पी.सी.ओ./ सेल्यूलर मोबाइल सेवा													
2.16	पेट्रोल / डीजल/सी.एन.जी./इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन	6	6	6									5	
2.17	ग्रैस गोदाम													
2.18	ग्रैस बुकिंग कार्यालय	6	6	6		6								
2.19	भण्डारण/गोदाम/ वेयर हाउस/ संग्रहण केन्द्र/ कबाडखाना				13	7			13					
2.20	सर्विस आर्प्टमेन्ट					3	4	3						
3	आधारिक													
3.1	सेवा/ कुटीर उद्योग	15	15	12										
3.2	सूचना प्रौद्योगिकी/ साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	7		7							
3.3	लघु उद्योग					17								
3.4	वृहद उद्योग/ शुगर मिल/ राइस मिल/ फ्लोर मिल/ कृषि उपज आधारित उद्योग													
3.5	संबंध पूर्ण / खतरनाक/ प्रदूषणकारक उद्योग													
3.6	खनन/ इट/ चूने का भड़ा / क्रेशर													
3.7	तेल डिपो एच०पी०ज०० रिफिल प्लान्ट													
3.8	ट्रैक प्रोसेसिंग युनिट/ द्रव्य एक्ट्रिकरण/ डेयरी													
3.9	विद्युत उत्पादन संयन्त्र केन्द्र													
3.10	उत्तरप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक पॉलिसी में परिभाषि लॉजिस्टिक पार्क एवं लॉजिस्टिक इकाइयाँ													
4	कार्यालय													
4.1	राजकीय/ अर्थ-राजकीय/ स्थानीय कार्यालय इत्यादि	5	5	6		6		19	19					
4.2	निजी कार्यालय/ एजेन्ट कार्यालय इत्यादि			6				19	19					
4.3	बैंक	5	5, 25											
4.4	वाणिज्यिक/ व्यापारिक कार्यालय	5	5, 25											
4.5	श्रद्धिक कल्याण केन्द्र													
4.6	पौ०एस०सी०/ पुलिस लाइन													
4.7	मीसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलेस केन्द्र/ वैधशाला													
4.8	सार्विकर कैफे			5										
4.9	बाये टेक पार्क													
4.10	बी०पी०ओ०													
4.11	कॉल सेन्टर													
4.12	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर													
4.13	बिज़नेस पार्क													

	क्रियार्थ	1 नि० क्षेत्र	2 बा० क्षेत्र	3 आ०	4 व्य०	5 उद्योग	6 कार्य०	7 सा० सुवि०	8 या० परि०	9 पा०	10 ग्र० व०	11 ग्रा० आ०	12 कृ० क्षेत्र	13 एच०एफ ०ज़ेड०
5	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधायें तथा ३पयोगिताएँ													
5.1	अंतिथि ग्रह/ निरीक्षण ग्रह	5	5	5		6	5					5		
5.2	धर्मशाला / रैन बसेरा/ लॉजिंग/ बोर्डिंग हाउस	5	5	5							5			
	आश्रम	5	5	5							5			
5.3	छात्रवास	5	5	5							5			
5.4	उन्नायालय/सधारालय													
5.5	हैन्डीकैप्चाइटिसेबल चिल्ड्रन हाउस	5		5							5			
5.6	शिश ग्रह एवं दिवस देखभाल केन्द्र							18						
5.7	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र													
5.8	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	5		5										
5.9	उच्च/माध्यमिक स्कूल/ इंस्टर महाविद्यालय	5	7	6							6	6		
5.10	कॉलेज		5	6							6	6		
5.11	विश्वविद्यालय											7		
5.12	पॉलीटेक्निक/आई०टी०आई०/मेडिकल/डेन्टल/इंजीनियरिंग कॉलेज											7		
5.13	प्रबन्ध संस्थान विशिष्ट शैक्षिक संस्थान													
5.14	डाकघर/ टेलीफोन एक्सचेन्ज	5		5										
5.15	पलिस स्टेशन/पलिस चौकी/ अग्नि शमन केन्द्र	5		6										
5.16	पुस्तकालय/ वाचनालय	5		5										
5.17	स्वास्थ केन्द्र/ परिवार कल्याण केन्द्र/ डिस्पेन्सरी	8												
5.18	अस्पताल						9	9				9		
5.19	नर्सिंग होम	8		8			9	9			8		8	
5.20	नैदानिक प्रयोगशाला											21		
5.21	हेल्थ क्लब, जिम्नोजियम/ क्लब													
5.22	विद्युत शवदाह गृह/ शमशान / कब्रिस्तान								11					
5.23	संगीत, नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र , कला केन्द्र	5	7	5							5			
5.24	सिलाइ, बनाइ, कठाइ, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि		7	19										
5.25	ऑडिओरीयम/नाट्यशाला/ थियेटर	5	7	6		6				21		21	21	21
5.26	योग मन्दन/ अध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	5	7	6							21		21	21

	क्रियायें	निरोक्षों	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			बांके क्षेत्र	आठवां	व्यय	उद्योग	कार्यवाही	सांख्यिकी	यांत्रिकी	पाठ्य	ग्रन्थालय	ग्रामीण आठवां	कृषि क्षेत्र	एचओएफ ओजेडो	
	5.27 धार्मिक भवन	5													
	5.28 सामुदायिक केन्द्र/ सांस्कृतिक केन्द्र	5		6	6				6			6			
	5.29 बारात घर/ बैंक हाल	6		6											
	5.30 कानॉफ्रैन्स/मीटिंग हाल	5													
	5.31 अजायब घर														
	5.32 आटे गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र	21		6		19				21			19		
	5.33 रोडियो व टलीविजन कार्यालय/केन्द्र														
	5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र/शोध केन्द्र					19									
	5.35 समाज कल्याण केन्द्र														
	5.36 पर्यटक संविधा केन्द्र														
	5.37 फिल्म सिटी														
	5.38 पर्यटन संविधा			5		6			6					6	
	5.39 नॉलैज पार्क														
	5.40 ए.टी.एम.														
	5.41 जेल														
	5.42 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/कूड़ा डम्पिंग ग्यारउण्ड इत्यादि					14		14							
	5.43 ट्रयुब वेल/ओवर हैंड रिजरवायर/विद्युत केन्द्र/सब स्टेशन		2												
	5.44 वाटर वर्क्स														
	5.45 माइक्रोवेल केन्द्र														
	5.46 कम्पोस्ट केन्द्र														
	5.47 पश्चवध शाला														
	5.48 सेल्यूलर मोबाइल टावर केन्द्र														
6	यातायात एवं परिवहन														
	6.1 पार्किंग स्थल									16					
	6.2 ट्रैकसी/ट्रैम्पो/रिकशा आदि के स्टैण्ड								16						
	6.3 ट्रान्सपोर्ट नगर/बस डिपो														
	6.4 बस स्टैण्ड	6		7	7	6		6	10		6				
	6.5 बस टर्मिनल					7									
	6.6 मोटर गैराज/सर्विस गैराज तथा वर्कशाप											5			
	6.7 मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र														
	6.8 लोडिंग/अनलोडिंग सम्बन्धित संविधायें	6		6	6				6		6				
	6.9 रेलवे गोदाम/रेलवे याडे साइडिंग/टर्मिनल														

	क्रियाएँ	1 निं० क्षेत्रों	2 बां० क्षेत्रों	3 आ० व्य०	4 उद्योग	5 कार्य०	6 सां० मतिज०	7 यां० परिऽ	8 पा०	9 ग्र० ब०	10 ग्रा० आ०	11	12 कृ० क्षेत्रों	13 एच०एफ जेड०
	6.10 धर्मकाटा	6			10	7						6		
	6.11 एयरपोर्ट		6											
7	पार्क, क्रिडा/खले स्थल													
	7.1 पार्क/क्रिडा स्थल/खेल का मैदान	6												
	7.2 बहुउद्दीशीय खले स्थल	6	7	7								7		
	7.3 गोल्फ/ रेस कोर्स													
	7.4 स्टॉडियम/खेल-कदम प्रशिक्षण केन्द्र													
	7.5 कारां पार्क/पिकनिक स्थल/शिविर केन्द्र													
	7.6 ट्राफिक पार्क										21			
	7.7 मनोरंजन पार्क	5									21			
	7.8 क्लब/ स्वीमिंग पूल	5	6									6		
	7.9 चिंडिया घर/जीवशाला/वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल													
	7.10 प्लाइंग क्लब/ हेली पैड						21						21	
	7.11 शटिंग रेंज													
8	कृषि													
	8.1 बागवानी/पौधशाला/उद्यान/वन/बोटैनिकल गार्डन													
	8.2 फार्म हाऊस													
	8.3 चारोगाहा/तूरुधशाला (डेरी फार्म)													
	8.4 धोकी घाट													
	8.5 सूअर/मत्स्य/कुकुट/मधुमक्खी पालन/पशु संवर्धन एवं प्रजनन केन्द्र													
	8.6 कृषि उपकरण की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप													
9	फ्लोटिंग उपयोग													
	9.1 सावधानिक सुविधायें एवं उपयोगितायें													
	9.2 व्यावसायिक					11								
	9.3 यातायात एवं परिवहन													
	9.4 सेवा एवं कटोर उद्योग			12										
	9.5 विशेष उद्योग (खतरनाक/प्रदूषणकारी/क्रिटिकल)													
10	अस्थाई क्रियाएँ													
	10.1 वैनिंग जोन													
	10.2 साप्ताहिक बाजार			6										
	10.3 अस्थाई सिनेमा/सर्कस/प्रदर्शनी /मेला स्थल			7	7			7		21		5		

प्रभाव शुल्क						
संकेत						
प्रभाव शुल्क से छूट						
गैर व्यावसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएं / उपयोग	1					
सेवा कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग	2					
संबंधित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	3					
भू-उपयोग जोन्स						
क्रियाएं (Activities) / उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)			विकासशील अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)			
क्र.सं.			1 कृषि, नगरीय कृषि, हरित पड़ो (ग्रीन वर्जन), पार्क, क्रीड़ास्थल	2 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	3 यातायात एवं परिवहन	4 औद्योगिक
1	कृषि, नगरीय कृषि, हरित पड़ो (ग्रीन वर्जन), पार्क, क्रीड़ास्थल				आवासीय (ग्रामीण आवादी सहित)	कार्यालय व्यावसायिक
2	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	0.25 (1)			0.25 (1)	
3	यातायात एवं परिवहन	0.30	0.10		0.25	
4	टिप्पणीदायक विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार 25 प्रक्रियों में दी गई है। इसका प्रभाव शुल्क देय है।	0.75	0.50			
5	आवासीय	0.50	0.40	0.40	0.25 (3)	
6	कार्यालय सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं / उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं 75 उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा।	0.75	0.50			
7	व्यावसायिक तथा प्रभाव शुल्क का आंकलन संबंधित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित "प्रभाव शुल्क गुणांक" की वैधानिक आधार पर विभिन्न फार्मों के अनुसार क्रियाजारण।	1.50	1.25	1.25	1.00	1.00 0.50

2.1 सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड का क्षेत्रफल * सर्किल रेट * प्रभाव शुल्क गुणांक * 0.25

2.2 विशेष अनुमति एवं विशेष अनुमति से सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड का क्षेत्रफल * सर्किल रेट * प्रभाव शुल्क गुणांक * 0.5

2.3 होटल को विभिन्न भू उपयोगों में अनुमन्य किए जाने हेतु कोई भी प्रभाव शुल्क आरोपित नहीं होगा।

3. प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, एवं प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के

विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर क्रिया जाएगा।

प्रभाव शुल्क के आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण -1

विभिन्न आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुजा हेतु :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 350 वर्ग मीटर

प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = ₹ 2000 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = भूखण्ड का क्षेत्रफल * सेक्टर रेट * "प्रभाव शुल्क गुणांक" * 0.25

अर्थात $350 * 2000 * 0.25 * 0.25 = ₹ 43,750$

उदाहरण- 2

कृषि भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुजा हेतु :-

भूखण्ड का क्षेत्रफल = 500 वर्ग मीटर

कृषि भूमि का सर्किल रेट = ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर

देय प्रभाव शुल्क = $500 * 200 * 1.5 * 0.5 = ₹ 75,000$

1	(1) प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:-	
1.1	(1.1) विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र की सूची/सीमा को यूपीसीडा से प्राप्त कर विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	Done
1.2	(1.2) प्रारूप महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में विभाजित कर प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।	Incorporated
1.3	(1.3) सभी महायोजनाओं में प्रस्तावित भू-उपयोग का नॉमनक्लेचर एक समान होना चाहिए, का सुझाव दिया गया जिसका प्रारूप संलग्न है (संलग्नक-1)।	Incorporated
1.4	(1.4) ऐसे नगर जो नदी के किनारे बसे हैं, में रिवर सेण्ट्रिक प्लानिंग के प्राविधानों के समावेशन प्रारूप महायोजना में किये जाने का सुझाव दिया गया।	Incorporated
1.5	(1.5) समक्ष स्तर से स्वीकृत लै-आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेन्शन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे।	Incorporated
1.6	(1.6) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में निम्नवत् भत्ता स्थिर हुआ-	
1.6.1	(1.6.1) वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।	Incorporated
1.6.2	(1.6.2) अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।	Incorporated

1.6.3	(1.6.3) प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।	Incorporated
1.6.4	(1.6.4) प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लोआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार लो-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।	Done
1.6.5	(1.6.5) बाजार स्ट्रीट हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।	Done
1.7	(1.7) प्रारूप महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टिका छोड़ने के पश्चात् नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुए अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का मत निम्नलिखित सुझावों के साथ स्थिर हुआ :-	Incorporated
1.7.1	(1.7.1) हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।	Incorporated
1.7.2	(1.7.2) हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।	Incorporated
1.7.3	(1.7.3) हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक-2) जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।	Done
1.7.4	(1.7.4) उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।	Done

	(1.8) वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू-उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित में किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू-उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायें। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानवित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिनपर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।	Done
2	(2) बस्ती विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गये हैं :—	Done
2.1	(2.1) वर्तमान में प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 के विश्लेषण/विचलन के प्रस्तुतीकरण में भू-उपयोग तालिका में दर्शित गणनाओं में टंकण त्रुटि पायी गयी, जिसे सुधार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।	Done
2.2	(2.2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को महायोजना में प्रदर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये।	Incorporated
2.3	(2.3) वर्तमान में प्रभावी महायोजना में प्रदर्शित निर्मिति क्षेत्र को यथावत् रखने के निर्देश दिये गये।	As per decision taken in the BDA board meeting dated 21.11.2020 compliance of the direction given by the board with respect to Built up area has been incorporated in the Draft Master plan -2031
2.4	(2.4) अयोध्या नगर का बस्ती नगर पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करते हुए यथावश्यक बस्ती महायोजना में प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया।	Done
2.5	(2.5) प्रारूप महायोजना के प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि बस्ती विकास क्षेत्र के मध्य स्थित 03 ग्राम यथा सोनूपर, बेलवादर तथा देवापर खास विकास क्षेत्र की अविस्तृता में सम्मिलित होने से छूट गये हैं जो कि विकास क्षेत्र में टापू की तरह विद्यमान है। नियोजन की दृष्टि से इन ग्रामों से आच्चादित क्षेत्र पर भी यथोचित प्रस्ताव इस शर्त के साथ दिये जाय कि उन ग्रामों को विकास क्षेत्र में अधिसूचित होने के उपरान्त ही प्रस्तावित भू-उपयोग प्रभावी होंगे। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उल्लिखित छूटे हुए ग्रामों को विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र सक्षम रूप से प्रेषित किया जाय।	Incorporated

	'प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्राधिकरण द्वारा बस्ती विकास क्षेत्र के सब का मानवित्र प्रस्तुत मानवित्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व की भाँति विकास क्षेत्र के चारों चरक निर्मिति क्षेत्र की भाँति ही सघन एवं अनियोजित महायोजना-2021 में विकृत 'निर्मिति क्षेत्र' के चारों चरक निर्मिति क्षेत्र की भाँति ही सघन एवं अनियोजित महायोजना के कारण निर्मिति क्षेत्र की भाँति विस्तार हो गया है। कठिन प्रावासीय क्षेत्र निर्मिति क्षेत्र की निर्माण होने के कारण निर्मिति क्षेत्र की भाँति विस्तार हो गया है। कठिन प्रावासीय क्षेत्र निर्मिति क्षेत्र की निर्माण होने के कारण वहां मानवित्र स्वीकृति में प्राधिकरण के समस्या हो रही है। भाँति विकसित हो गये हैं, जिसके कारण वहां मानवित्र स्वीकृति में प्राधिकरण के समस्या हो गये हैं, उन्हें नई निर्देशित किया गया कि सर्वे में जो आवासीय क्षेत्र निर्मिति क्षेत्र की भाँति विकसित हो गये हैं, उन्हें नई महायोजना-2031 में नियमानुसार गुण दोष के आधार पर समाहित किये जाने हेतु मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अवगत कर दिया जाए'।'	Incorporated in 2031 Master Plan as discussed in meeting	As per Development Authority
--	---	--	------------------------------